



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

विनियोग लेखे 2023-24



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार

विनियोग लेखे

वर्ष 2023-24

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची

	पृष्ठ सं०
विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xv
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01 विधान सभा	1
02 राज्यपाल	5
03 मंत्रिपरिषद्	7
04 न्याय प्रशासन	11
05 निर्वाचन	17
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	21
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें	31
08 आबकारी	61
09 लोक सेवा आयोग	63
10 पुलिस एवं जेल	65
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	72
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	98
13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	112
14 सूचना	124
15 कल्याण योजनायें	128
16 श्रम और रोजगार	146
17 कृषि फर्म एवं अनुसन्धान	152
18 सहकारिता	159
19 ग्राम्य विकास	163
20 सिंचाई एवं बाढ़	170
21 ऊर्जा	179
22 लोक निर्माण कार्य	184
23 उद्योग	191
24 परिवहन	197
25 खाद्य	202
26 पर्यटन	206
27 वन	211
28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य	218
29 औद्योगिक विकास	225
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	231
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	253

परिशिष्ट

परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2023-2024 को अर्वाधे में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई।	275
परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	276
परिशिष्ट III	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	278
परिशिष्ट IV	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	279
परिशिष्ट V	उचंत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	280

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2023-24 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किए विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुए 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं।

इस लेखे में-

- 'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है।
- 'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।
- 'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है।

प्रभारित विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं।

टिप्पणियों पर चयन का मानक

बचत पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) जब किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) कुल बचत बजट प्रावधान का 2 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, में जो भी अधिक हो।
- (ब) जब किसी अनुदान के किसी उपशीर्ष में बचत उस उपशीर्ष में बजट प्रावधान का 10 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख, जो भी अधिक हो।

आधिक्य पर टिप्पणियों के चयन का मानक:

- (अ) किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) व्ययाधिक्य प्राप्त होने पर उसके नियमितीकरण हेतु टिप्पणी में लिया जाता है।
- (ब) प्रत्येक उपशीर्ष जहाँ पर ₹ 2.00 लाख या उस उपशीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 10 प्रति शत से अधिक व्ययाधिक्य प्राप्त होता है, में जो भी कम हो पर टिप्पणियां।

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. विधान सभा				
दत्तमत	85,40,73	7,50,00	63,05,49	1,80,18
भारित	3,03,01	--	2,05,82	--
02. राज्यपाल				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	16,22,15	--	14,08,88	--
03. मंत्रिपरिषद्				
दत्तमत	59,63,21	65,10,00	41,41,24	59,87,26
भारित	--	--	--	--
04. न्याय प्रशासन				
दत्तमत	4,57,06,37	1,72,00,01	3,18,74,48	19,07,87
भारित	1,22,28,46	--	72,46,10	--
05. निर्वाचन				
दत्तमत	86,01,48	50,02	65,80,71	38,97
भारित	--	--	--	--
06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन				
दत्तमत	23,96,69,43	11,11,76,01	20,22,21,90	1,09,46,07
भारित	3,69,55	--	2,04,11	--
07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें				
दत्तमत	1,27,57,20,54	24,55,94,23	1,14,36,30,53	22,41,77,87
भारित	64,63,36,30	1,57,27,63,02	53,02,91,31	2,30,29,73,50
08. आबकारी				
दत्तमत	81,76,01	2,00,00	34,32,60	1,99,99
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09. लोक सेवा आयोग				
दत्तमत	17,82,00	2,59,56	16,23,95	76,24
भारित	1,13,71,00	--	87,39,40	--
10. पुलिस एवं जेल				
दत्तमत	25,31,75,44	96,15,00	23,47,38,03	96,07,83
भारित	--	--	--	--
11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति				
दत्तमत	1,01,48,33,97	6,92,53,35	95,14,12,91	4,59,05,41
भारित	--	--	--	--
12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण				
दत्तमत	43,67,05,91	6,75,60,37	35,06,44,65	6,63,15,72
भारित	--	--	--	--
13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास				
दत्तमत	13,84,11,88	27,18,91,52	11,88,96,08	16,05,52,98
भारित	--	--	--	--
14. सूचना				
दत्तमत	2,72,42,06	1,00,00	2,59,11,65	--
भारित	--	--	--	--
15. कल्याण योजनाएं				
दत्तमत	28,12,77,37	3,11,82,34	24,39,29,69	1,91,62,71
भारित	--	--	--	--
16. श्रम और रोजगार				
दत्तमत	5,58,32,61	84,00,00	5,23,76,24	72,15,69
भारित	--	--	--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17. कृषि फर्म एवं अनुसंधान				
दत्तमत	12,22,60,20	90,03,81	8,06,09,92	78,84,24
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	1,76,90,50	2,03,00,01	1,10,15,49	8,00,00
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	17,92,14,90	18,51,44,52	11,90,52,32	11,91,56,30
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	5,92,85,33	8,61,57,12	5,20,51,62	6,04,54,75
भारित	3,00,00	--	45,08	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	36,23,67	12,65,60,05	30,61,58	7,30,59,19
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	17,32,23,10	16,04,81,35	13,65,60,89	12,99,50,40
भारित	11,30,00	--	9,08,92	--
23. उद्योग				
दत्तमत	4,66,09,19	56,42,00	3,53,32,87	50,45,98
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	1,91,97,19	2,86,00,07	1,80,25,93	1,64,66,74
भारित	--	--	--	--

विनियोग लेखे

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25. खाद्य				
दत्तमत	5,67,54,77	6,52,00,01	2,00,28,59	6,41,68,05
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन				
दत्तमत	1,51,59,76	1,60,45,00	1,46,12,34	1,35,79,10
भारित	--	--	--	--
27. वन				
दत्तमत	11,32,87,95	74,70,59	7,45,39,98	58,67,03
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन संबंधी कार्य				
दत्तमत	5,76,58,63	79,75,00	4,98,57,15	68,14,38
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास				
दत्तमत	5,89,37,66	2,36,40,00	3,54,59,73	91,37,87
भारित	2,30,12	--	1,83,31	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण				
दत्तमत	17,91,99,82	6,71,23,55	11,95,23,06	5,01,89,98
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
दत्तमत	5,02,30,28	2,31,09,40	3,07,11,25	1,57,53,47
भारित	--	--	--	--
योग				
दत्तमत	4,95,39,71,96	1,67,21,94,89	4,17,81,62,87	1,13,06,02,27
भारित	67,38,90,59	1,57,27,63,02	54,92,32,93	2,30,29,73,50
कुल योग	5,62,78,62,55	3,24,49,57,91	4,72,73,95,80	3,43,35,75,77

का सारांश (क्रमशः)

कुल अनुदान / विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2023-24		2022-23	
(₹ हजार में)				राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3,67,26,18	10,31,96	--	--	(-)64.71	(-)1.58	(-)31.09	(-)4.36
--	--	--	--	--	--	--	--
5,47,42	24,65,90	--	--	(-)3.61	(-)15.37	(-)10.34	(-)14.07
--	--	--	--	--	--	--	--
3,87,47,97	16,03,56	--	--	(-)34.20	(-)21.46	(-)10.66	(-)41.86
--	--	--	--	--	--	--	--
78,01,48	11,60,62	--	--	(-)13.53	(-)14.55	(-)18.20	(-)59.31
--	--	--	--	--	--	--	--
2,34,77,93	1,45,02,13	--	--	(-)39.84	(-)61.35	(-)26.38	(-)56.72
46,81	--	--	--	(-)20.34	--	(-)17.28	--
5,96,76,76	1,69,33,57	--	--	(-)33.30	(-)25.23	(-)36.49	(-)34.38
--	--	--	--	--	--	--	--
1,95,19,03	73,55,93	--	--	(-)38.86	(-)31.83	(-)41.69	(-)29.91
--	--	--	--	--	--	--	--
77,58,09,09	54,15,92,62	--	--	(-)15.66	(-)32.39	(-)13.95	(-)31.28
12,46,57,66	--	--	73,02,10,48	(-)18.50	(+)46.43	(-)19.40	(+)11.83
90,04,66,75	54,15,92,62	--	73,02,10,48	(-)16.00	(+)5.81	(-)14.66	(-)14.71

विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

पूँजीगत प्रभाग

07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 3,08,80,75 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2023-24 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यौरे **परिशिष्ट-I** में दिए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 1,78,50,36 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई। अनुदानों जिससे यह सम्बंधित है, के अंतर्गत भी ₹ हजार में दर्शाए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दर्शाए गए व्यय में ₹ 1,77,06,29 हजार की राशि शामिल है (यह अनुदानों के अंतर्गत भी दिखाया गया है, जिससे यह सम्बंधित है) जो 31.03.2024 तक डीडीओ के बैंक खातों में अव्ययित पड़ी है। यह जानकारी राज्य सरकार के 62 सीसीओ में से 05 सीसीओ से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। हालांकि, 62 सीसीओ में से 38 ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि 19 ने 31.03.2024 को अपने डीडीओ के बैंक खातों में 'शून्य' राशि की सूचना दी है।

चूँकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियाँ (ब्यौरेवार **परिशिष्ट-II** में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए गये हैं।

विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2023-24 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत है।

	भारित		दत्तमत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	54,92,32,93	2,30,29,73,50	4,17,81,62,87	1,13,06,02,27
घटाइए-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ	2,00,13,21
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	54,92,32,93	2,30,29,73,50	4,17,81,62,87	1,11,05,89,06

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खतों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही उत्तराखण्ड सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे उत्तराखण्ड सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खतों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और उत्तराखण्ड सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

दिनांक: 11.11.2024

स्थान: नई दिल्ली



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 01 विधान सभा कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	---	------------------	--

राजस्व:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

दत्तमत -

मूल	85,40,73		
		85,40,73	63,05,49
			(-)22,35,24
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			20,29,91

भारित-

मूल	3,03,01		
		3,03,01	2,05,82
			(-)97,19
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			...

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	7,50,00		
		7,50,00	1,80,18
			(-)5,69,82
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			5,00,00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,235.24 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,029.91 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2018-19	7,234.35	6,915.19	319.16	
2019-20	7,068.51	6,465.44	603.07	
2020-21	6,702.44	5,974.19	728.25	
2021-22	6,804.98	5,943.39	861.59	
2022-23	8,228.63	6,724.42	1,504.21	

(iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101 विधान सभा

(1) 03 विधान सभा

मूल	4,039.71			
		3,754.11	3,585.05	(-)169.06
पुनर्वि०	(-)285.60			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को ₹ 120.00 लाख तथा दिनांक 14 दिसंबर 2023 को ₹ 1.50 लाख की कमी यात्रा व्यय एवं औषधि तथा रसायन में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 164.10 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

103 विधान मण्डल सचिवालय

(2) 03 विधान सभा सचिवालय

मूल	4,501.02			
		2,756.71	2,720.44	(-)36.27
पुनर्वि०	(-)1,744.31			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को ₹ 120.00 लाख तथा दिनांक 14 दिसंबर 2023 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान एवं अनुरक्षण तथा प्रशिक्षण व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,865.81 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

राजस्व:
भारित-

- (iv) ₹ 97.19 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (v) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	261.32	221.88	39.44
2019-20	224.82	223.80	1.02
2020-21	237.22	232.35	4.87
2021-22	255.76	219.26	36.50
2022-23	254.21	214.51	39.70

- (vi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101 विधान सभा

03 विधान सभा

मूल	303.01	303.01	205.82	(-)97.19
-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

पूंजीगत:
दत्तमत-

- (vii) ₹ 569.82 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 500.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
- (viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	3,150.00	3,145.00	5.00
2019-20	1,560.00	1,200.09	359.91
2020-21	1,060.00	183.32	876.68
2021-22	1,300.00	195.00	1,105.00
2022-23	1,200.00	100.00	1,100.00

अनुदान सं० 01 विधान सभा समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 03 गैरसैण में ग्रीष्मकालीन विधान सभा भवन का निर्माण

मूल 500.00

0.00

0.00

0.00

पुनर्वि० (-)500.00

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 04 गैरसैण (भराणीसैण) में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान

मूल 50.00

50.00

0.00

(-)50.00

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 02 राज्यपाल कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	---------------------------------------	------------------	--

राजस्व:

2012 राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

भारित-

मूल	16,12,15			
		16,22,15	14,08,88	(-)2,13,27
पूरक	10,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

भारित-

- ₹ 213.27 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 213.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 10.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	1,252.95	937.41	315.54
2019-20	1,293.19	930.99	362.20
2020-21	1,197.07	991.19	205.88
2021-22	1,190.68	1,108.70	81.98
2022-23	1,498.38	1,295.55	202.83

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2012 राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

090 सचिवालय

- 03 अधिष्ठान व्यय

मूल	954.02			
पूरक	10.00	962.02	836.49	(-)125.53
पुनर्वि०	(-)2.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2024 को ₹ 2.00 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गयी।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 02 राज्यपाल समाप्त. कुल विनियोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते				
(2)	03 राज्यपाल				
	मूल	42.00	42.00	28.50	(-)13.50
	103 पारिवारिक स्थापना				
(3)	02 राज भवन की स्वच्छता				
	मूल	28.59	28.59	23.56	(-)5.03
(4)	03 कर्मचारीवर्ग				
	मूल	335.01			
			336.51	299.00	(-)37.51
	पुनर्वि०	1.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2024 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय एवं कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				
	105 चिकित्सा सुविधायें				
(5)	03 चिकित्सा सम्बन्धी व्यय				
	मूल	92.03	92.03	63.25	(-)28.78

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	--	------------------	--

राजस्व:

2013 मंत्री परिषद्

दत्तमत -

मूल	59,63,21		
		59,63,21	41,41,24
			(-)18,21,97
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			8,33,03

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	50,10,00		
		65,10,00	59,87,26
			(-)5,22,74
पूरक	15,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			1,05,00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,821.97 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 833.03 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	7,671.59	6,446.14	1,225.45
2019-20	4,651.90	3,670.68	981.22
2020-21	6,220.20	5,027.30	1,192.90
2021-22	18,327.56	7,508.67	10,818.89
2022-23	5,929.70	3,814.72	2,114.98

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
		2013 मंत्री परिषद्			
		00			
		101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन			
(1)	03	मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्ते			
		मूल	550.00		
				398.81	336.89
					(-)61.92
		पुनर्वि०	(-)151.19		
		दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 151.19 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
		104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते			
(2)	03	मनोरंजन तथा सत्कार खर्च			
		मूल	330.00		
				150.00	129.61
					(-)20.39
		पुनर्वि०	(-)180.00		
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2024 को ₹ 180.00 लाख की कमी आतिथ्य व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।			
		105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
(3)	03	मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान			
		मूल	4,000.00		
				3,271.45	2,818.17
					(-)453.28
		पुनर्वि०	(-)728.55		
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 मार्च 2024 को ₹ 46.72 लाख की कमी कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 681.83 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(4)	05	माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान			
		मूल	500.00	500.00	223.84
					(-)276.16
		108 दौरा खर्च			
(5)	03	मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय			
		मूल	100.00	100.00	73.50
					(-)26.50

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(6)	800 अन्य व्यय 03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय				
	मूल	482.20	482.20	382.59	(-)99.61

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(iv) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2013 मंत्री परिषद्

00

800 अन्य व्यय

04 मुख्य मंत्री कार्यालय में पीएमयू का गठन

मूल 0.01

226.73 176.65 (-)50.08

पुनर्वि० 226.72

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2024 को ₹ 180.00 लाख तथा दिनांक 19 मार्च 2024 को ₹ 46.72 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (v) ₹ 522.74 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 105.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	6,500.00	5,455.97	1,044.03
2019-20	6,000.00	4,207.90	1,792.10
2020-21	6,000.00	5,448.69	551.31
2021-22	13,920.55	11,118.99	2,801.56
2022-23	5,020.00	4,774.31	245.69

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(vii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

800 अन्य व्यय

03 मुख्य मंत्री कार्यालय में पीएमयू का गठन

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान/ विनियोग			

राजस्व:

2014 न्याय प्रशासन

दत्तमत -

मूल	4,44,57,69			
		4,57,06,37	3,18,74,48	(-1,38,31,89)
पूरक	12,48,68			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				1,20,36,08

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,55 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 92,15 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

भारित-

मूल	1,03,23,46			
		1,22,28,46	72,46,10	(-49,82,36)
पूरक	19,05,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				41,93,72

अनुदान के राजस्व भारत अनुभाग में ₹ 34,45 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	1,72,00,01			
		1,72,00,01	19,07,87	(-1,52,92,14)
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	---

टिप्पणियां एवं टीकायें

**राजस्व:
दत्तमत-**

- (i) ₹ 13,831.89 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 12,036.08 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
- (ii) ₹ 13,831.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 1,248.68 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	20,764.85	16,791.61	3,973.24
2019-20	22,028.61	16,164.54	5,864.07
2020-21	24,710.55	18,047.03	6,663.52
2021-22	25,087.39	20,756.53	4,330.86
2022-23	30,035.56	25,401.21	4,634.35

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय प्रशासन

00

105 सिविल और सेशन न्यायालय

- (1) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	300.20			
पूरक	79.48	378.99	221.17	(-)157.82
पुनर्वि०	(-)0.69			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 मार्च 2024 को ₹ 0.69 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।

- (2) 03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश

मूल	28,911.55			
पूरक	784.00	20,770.02	20,356.62	(-)413.40
पुनर्वि०	(-)8,925.53			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 84.80 लाख की वृद्धि मजदूरी, अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय तथा पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 9,010.33 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

		अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...			
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(3)	06 रेलवे मजिस्ट्रेट का न्यायालय				
	मूल	171.50			
	पुनर्वि०	2.00			
		173.50	88.50	(-)85.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
	108 दण्ड न्यायालय				
(4)	03 नियमित अधिष्ठान				
	मूल	4,477.21			
	पूरक	5.00	3,291.71	3,236.01	
	पुनर्वि०	(-)1,190.50		(-)55.70	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 30.60 लाख की कमी मानदेय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय, उपार्जित अवकाश नकदीकरण, कार्यालय व्यय, अनुरक्षण तथा इन्शोरेन्स पॉलिसी/प्रीमियम में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,159.90 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
	114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)				
(5)	03 महाधिवक्ता				
	मूल	2,087.81			
	पुनर्वि०	(-)218.73	1,869.08	1,783.77	
				(-)85.31	
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 218.73 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(6)	04 विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता				
	मूल	1,436.70			
	पूरक	100.00	1,310.23	1,290.15	
	पुनर्वि०	(-)226.47		(-)20.08	
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 226.47 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
	117 पारिवारिक न्यायालय				
(7)	04 पारिवारिक न्यायालय अधिष्ठान				
	मूल	3,362.12			
	पूरक	30.00	2,034.81	1,943.10	(-)91.71
	पुनर्वि०	(-)1,357.31			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 72.45 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गयी । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 16.25 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक तथा आतिथ्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,301.11 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
	800 अन्य व्यय				
(8)	04 लोक सेवा अधिकरण				
	मूल	648.25	648.25	535.51	(-)112.74
(9)	05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण				
	मूल	535.75			
	पूरक	25.43	561.18	377.85	(-)183.33
(10)	06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण				
	मूल	1,411.50			
	पूरक	5.00	1,416.50	1,153.14	(-)263.36
(11)	07 महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल				
	मूल	29.40	29.40	15.12	(-)14.28
(12)	10 लोक अदालत				
	मूल	530.95			
	पुनर्वि०	(-)119.54	411.41	182.49	(-)228.92
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 119.54 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2014 न्याय प्रशासन

00

800 अन्य व्यय

08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून-2024)।

**राजस्व:
भारित-**

- (vi) ₹ 4,982.36 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 4,193.72 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (vii) ₹ 4,982.36 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 1,905.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2018-19	5,376.42	3,567.28	1,809.14	
2019-20	4,725.64	3,644.96	1,080.68	
2020-21	5,098.00	3,956.66	1,141.34	
2021-22	5,948.95	4,799.23	1,149.72	
2022-23	6,779.01	5,478.58	1,300.43	

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2014 न्याय का प्रशासन

00

102 उच्च न्यायालय

03 उच्च न्यायालय

मूल	10,323.46			
पूरक	1,905.00	8,034.74	7,246.10	(-)788.64
पुनर्वि०	(-)4,193.72			

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 4,193.72 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------------------------	-------------------	----------------------	---

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (x) ₹ 15292.14 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (xi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	4,510.00	4,045.78	464.22
2019-20	5,540.00	2,641.31	2,898.69
2020-21	5,580.00	2,463.43	3,116.57
2021-22	5,530.00	1,403.12	4,126.88
2022-23	15,865.50	9,603.62	6,261.88

- (xii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

- | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|----------|--------------|
| (1) | 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना | | | | |
| | मूल | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,379.34 | (-)13,620.66 |
| (2) | 05 न्यायिक कार्यों हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास | | | | |
| | मूल | 500.00 | 500.00 | 375.27 | (-)124.73 |
| (3) | 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश | | | | |
| | मूल | 1,700.00 | 1,700.00 | 153.26 | (-)1,546.74 |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 05 निर्वाचन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2015 निर्वाचन

दत्तमत -

मूल	81,70,88			
		86,01,48	65,80,71	(-)20,20,77
पूरक	4,30,60			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				10,42,03

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,07 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	2			
		50,02	38,97	(-)11,05
पूरक	50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 2,020.77 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,042.03 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 2,020.77 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 430.60 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	4,688.29	3,592.92	1,095.37
2019-20	15,198.97	11,972.30	3,226.67
2020-21	4,540.63	3,733.67	806.96
2021-22	13,755.21	11,473.95	2,281.26
2022-23	9,496.15	8,203.01	1,293.14

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-------	--	---------------	--------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2015 निर्वाचन

00

103	निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण			
(1)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	190.00		
			90.00	
	पुनर्वि०	(-)100.00		
			30.45	(-)59.55
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2023 को ₹ 100.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(2)	03 विधान सभा एवं संसद (50 प्रतिशत केंद्र पोषित)			
	मूल	1,333.00		
			1,127.00	
	पुनर्वि०	(-)206.00		
			1,064.40	(-)62.60
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2023 को ₹ 200.00 लाख तथा दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को ₹ 6.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(3)	05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50 प्रतिशत केंद्र पोषित)			
	मूल	1,891.01		
	पूरक	29.60	2,099.89	
	पुनर्वि०	179.28		
			1,700.35	(-)399.54
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2023 को ₹ 179.28 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
105	संसद के चुनाव कराने के लिए के लिए प्रभार			
(4)	03 सामान्य निर्वाचन			
	मूल	4,150.03		
			3,108.00	
	पुनर्वि०	(-)1,042.03		
			2,908.65	(-)199.35
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,042.03 लाख के अभ्यर्षण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	--	---------------	--------------------------------------

106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार

(5) 05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा

मूल	0.10			
पूरक	356.40	362.50	239.75	(-)122.75
पुनर्वि०	6.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को ₹ 6.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय तथा अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

109 पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार

(6) 03 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय

मूल	136.50			
		176.50	112.52	(-)63.98
पूरक	40.00			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2015 निर्वाचन

00

103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण

95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	190.00			
		0.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)190.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2023 को ₹ 190.00 लाख की कमी मानदेय, लेखन सामग्री एवं छपाई, कार्यालय व्यय तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 05 निर्वाचन समाप्त. कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	--	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2015 निर्वाचन

00

106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार

03 सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा

मूल 0.11

310.83 264.44 (-)46.39

पुनर्वि० 310.72

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 अगस्त 2023 को ₹ 310.72 लाख की वृद्धि मजदूरी, लेखन सामग्री एवं छपाई, कार्यालय व्यय, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण, गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद तथा अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 11.05 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 0.01

50.01 38.97 (-)11.04

पूरक 50.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन			आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय		

राजस्व:

2029	भू राजस्व
2052	सचिवालय - सामान्य सेवायें
2053	जिला प्रशासन
2062	सतर्कता
2070	अन्य प्रशासनिक सेवायें
2245	प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत कार्य
2506	भूमि सुधार

दत्तमत -

मूल	20,71,24,88			
		23,96,69,43	20,22,21,90	(-3,74,47,53)
पूरक	3,25,44,55			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				41,02,45

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 45,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 95,65 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2024 को आहरण वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

भारित-

मूल	3,69,55			
		3,69,55	2,04,11	(-1,65,44)
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

पूंजीगत:

- 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	11,09,60,01			
		11,11,76,01	1,09,46,07	(-)10,02,29,94
पूरक	2,16,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				2,45,82

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 37,447.53 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 4,102.45 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
(ii) ₹ 37,447.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 32,544.55 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	123,440.67	86,186.63	37,254.04
2019-20	112,142.36	83,037.99	29,104.37
2020-21	184,021.41	163,451.65	20,569.76
2021-22	256,137.71	149,918.59	106,219.12
2022-23	219,299.47	173,757.34	45,542.13

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2029 भू-राजस्व

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण

मूल	24.51	24.51	2.23	(-)22.28
-----	-------	-------	------	----------

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	06 भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण			
	मूल	62.41	62.41	3.92
				(-58.49)
2052 सचिवालय - सामान्य सेवायें				
	00			
	099 राजस्व परिषद			
(3)	02 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान			
	मूल	605.10	605.10	457.54
				(-147.56)
2053 जिला प्रशासन				
	00			
	093 जिला स्थापनाएं			
(4)	03 कलक्टरी स्थापना			
	मूल	18,898.00		
	पूरक	200.00	17,357.15	16,469.46
	पुनर्वि०	(-1,740.85)		(-887.69)
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2023 को ₹ 3.00 लाख, दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 7.00 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आतिथ्य व्यय एवं अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,850.85 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(5)	04 जिलाधिकारियों के निवर्तन पर अनटाइड फंड			
	मूल	3,900.00		
			3,343.33	2,068.33
				(-1,275.00)
	पुनर्वि०	(-556.67)		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2023 को ₹ 325.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 231.67 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
	101 आयुक्त			
(6)	03 मुख्य कार्यालय			
	मूल	643.00	643.00	531.69
				(-111.31)

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2062 सतर्कता			
	00			
	105 अन्य सतर्कता एजेंसियां			
(7)	02 सतर्कता अधिष्ठान			
	मूल	1,420.10		
			1,490.10	
	पूरक	70.00	1,284.43	(-)205.67
(8)	04 सेवा का अधिकार आयोग			
	मूल	428.21		
			443.21	
	पूरक	15.00	305.06	(-)138.15
	2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ			
	00			
	003 प्रशिक्षण			
(9)	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल			
	मूल	1,300.91		
	पूरक	25.00	1,189.39	
	पुनर्वि०	(-)136.52	1,048.37	(-)141.02
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 136.52 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
	106 सिविल रक्षा			
(10)	03 स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)			
	मूल	88.06		
			89.11	
	पूरक	1.05	79.37	(-)9.74
	800 अन्य व्यय			
(11)	13 सूचना आयोग की स्थापना			
	मूल	653.32	653.32	
			550.10	(-)103.22
	2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत कार्य			
	05 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि			
	101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण - एस०डी०आर०एफ०			
(12)	02 आपदा राहत निधि से व्यय			
	मूल	91,840.00	91,840.00	
			20,000.00	(-)71,840.00

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...					
क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	97 वाह्य सहायतित योजना				
	मूल	1,000.00	1,000.00	200.00	(-)800.00
	08 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि				
	797 रिजर्व फंड को हस्तांतरण				
(14)	03 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय				
	मूल	22,960.00			
			44,820.00	21,860.00	(-)22,960.00
	पूरक	21,860.00			
	80 सामान्य				
	102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध				
(15)	02 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण				
	मूल	1,016.53			
			875.80	409.15	(-)466.65
	पुनर्वि०	(-)140.73			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 140.73 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(16)	04 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास				
	मूल	2,000.00	2,000.00	1,523.25	(-)476.75
(17)	05 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन				
	मूल	367.01	367.01	282.01	(-)85.00
(18)	07 जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण				
	मूल	428.03	428.03	269.97	(-)158.06
(19)	10 राज्य राहत निधि				
	मूल	100.00	100.00	13.73	(-)86.27
(20)	13 उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र				
	मूल	1,340.00			
			1,440.00	845.00	(-)595.00
	पूरक	100.00			

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	14 जोशीमठ एवं अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों का प्रबन्धन			
	मूल	10,000.00	10,000.00	7,000.00
				(-)3,000.00
	2506 भूमि सुधार			
	00			
	102 चकबन्दी			
(22)	03 खेतों की चकबन्दी			
	मूल	1,611.86		
			1,488.46	1,297.00
				(-)191.46
	पुनर्वि०	(-)123.40		
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 123.40 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।			
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	2053 जिला प्रशासन			
	00			
	093 जिला स्थापनाएं			
(1)	07 विशिष्ट अतिथि सत्कार			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	(-)100.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख की कमी आतिथ्य व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।			
	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	107 होमगार्डस			
(2)	09 होमगार्डस कल्याण कोष			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-)10.00
	800 अन्य व्यय			
(3)	16 सेना भर्ती रैली एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन			
	मूल	25.00	25.00	0.00
				(-)25.00

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	--	------------	---------------	--------------------------------------

2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत कार्य

80 सामान्य

102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध

(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	300.00			
			10,300.00	0.00	(-)10,300.00
	पूरक	10,000.00			
(5)	09 पं० दीन दयाल उपाध्याय एकीकृत भूकम्प सुरक्षा कार्यक्रम				
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
	800 अन्य व्यय				
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	60.07	60.07	0.00	(-)60.07

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2029 भू-राजस्व

00

103 भू-अभिलेख

(1)	07 राजस्व पुलिस एवं भुलेख प्रशिक्षण केन्द्र				
	मूल	234.03			
			434.97	302.26	(-)132.71
	पुनर्वि०	200.94			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2023 को ₹ 325.00 लाख की वृद्धि मानदेय एवं व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 124.06 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	--	------------	---------------	--------------------------------------

2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें

00

107 होमगार्डस

- (2) 04 भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत)

मूल	1,341.75			
पूरक	188.00	1,776.25	1,605.10	(-)171.15
पुनर्वि०	246.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2024 को ₹ 246.50 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, लेखन सामग्री एवं छपाई, फर्नीचर एवं उपकरण, कार्यालय व्यय, कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय, मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र, सम्पूर्ति तथा अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

2245 प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत कार्य

05 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

901 घटाइये राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से पूरी की गयी धनराशि

- (3) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	(-)91,840.00	(-)91,840.00	(-)20,000.00	(+)71,840.00
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

₹ 20,000.00 लाख राज्य आपदा राहत निधि से राहत सहायता पर व्यय के लिए प्राप्त हुई, जो कि प्रारंभ में लेखा शीर्ष-2245 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित हुई थी।

08 राज्य आपदा मोचन निधि

797 रिज़र्व फंड को हस्तांतरण

- (4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	20,660.00	20,660.00	30,500.00	(+)9,840.00
-----	-----------	-----------	-----------	-------------

901 घटाइये राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गयी धनराशि

- (5) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	(-)22,960.00	(-)22,960.00	(-)21,860.00	(+)1,100.00
-----	--------------	--------------	--------------	-------------

₹ 21,860.00 लाख राज्य आपदा मोचन निधि से राहत सहायता पर व्यय के लिए प्राप्त हुई, जो कि प्रारंभ में लेखा शीर्ष-2245 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित हुई थी।

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

राजस्व:
भारित-

(vii) ₹ 165.44 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	219.31	213.46	5.85
2019-20	282.50	209.51	72.99
2020-21	367.25	198.48	168.77
2021-22	244.55	197.44	47.11
2022-23	262.78	244.49	18.29

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2062 सतर्कता

00

103 लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त

02 लोक आयुक्त संगठन

मूल	369.55	369.55	204.11	(-)165.44
-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(x) ₹ 1,00,229.94 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 245.82 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(xi) ₹ 1,00,229.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 216.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(xii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	44,275.03	17,023.97	27,251.06
2019-20	41,025.01	19,790.25	21,234.76
2020-21	35,396.73	17,776.12	17,620.61
2021-22	40,014.01	37,009.86	3,004.15
2022-23	27,435.01	23,419.94	4,015.07

अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(xiii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
60 अन्य भवन				
051 निर्माण				
(1)	16 एटीआई में निर्माण कार्य			
	मूल	500.00	500.00	126.58 (-)373.42
(2)	97 बाह्य सहायतित योजनाएं (एस०डी०एम०ए०)			
	मूल	15,500.00	15,500.00	6,500.00 (-)9,000.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
60 अन्य भवन				
051 निर्माण				
(1)	17 सतर्कता विभाग में वृहद निर्माण			
	मूल	500.00	500.00	0.00 (-)500.00
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
00				
101 प्राकृतिक विपदायें				
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	90,000.00	90,000.00	0.00 (-)90,000.00
(3)	02 वरुणावत पर्वत के अन्तर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य			
	मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
(4)	04 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का निर्माण			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून-2024) ।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------	------------------	--

राजस्व:

2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
2043	राज्य माल और सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवायें		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवायें		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ		
2075	विविध सामान्य सेवाएँ		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम		
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		

दत्तमत -

मूल	1,25,48,17,00		
		1,27,57,20,54	1,14,36,30,53 (-)13,20,90,01
पूरक	2,09,03,54		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			1,75,77,29

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 27,31,44 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

भारित-

मूल	63,90,40,10		
		64,63,36,30	53,02,91,31 (-)11,60,44,99
पूरक	72,96,20		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			3,53,95

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

पूँजीगत:

4047	अन्य वित्तीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज
7615	विविध ऋण

दत्तमत -

मूल	17,54,80,06			
		24,55,94,23	22,41,77,87	(-),14,16,36
पूरक	7,01,14,17			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				73,59,85

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 31,01,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

भारित-

मूल	1,12,27,63,02			
		1,57,27,63,02	2,30,29,73,50	(+),73,02,10,48
पूरक	45,00,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,32,090.01 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 17,577.29 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 1,32,090.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 20,903.54 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	843,999.02	774,229.83	69,769.19
2019-20	955,441.34	814,942.08	140,499.26
2020-21	979,184.66	909,188.07	69,996.59
2021-22	1,080,082.81	935,487.12	144,595.69
2022-23	1,121,076.76	1,037,873.67	83,203.09

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

01 स्टाम्प न्यायिक

102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

(1) 03 न्यायिक स्टाम्प

मूल	80.00	80.00	60.22	(-)19.78
-----	-------	-------	-------	----------

02 स्टाम्प-न्यायिकेतर

101 स्टाम्पों की लागत

(2) 03 गैर अदालती स्टाम्प

मूल	20.00	20.00	4.02	(-)15.98
-----	-------	-------	------	----------

102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

(3) 03 गैर-अदालती स्टाम्प

मूल	300.00	300.00	244.81	(-)55.19
-----	--------	--------	--------	----------

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(4) 03 मुख्यालय

मूल	2,111.65			
पूरक	797.50	2,544.04	1,953.10	(-)590.94
पुनर्वि०	(-)365.11			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2024 को ₹ 2.00 लाख तथा दिनांक 22 फरवरी 2024 को ₹ 124.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 491.61 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(5)	04 जिला व्यय			
	मूल	1,106.37		
			999.87	878.92
	पुनर्वि०	(-)106.50		(-)120.95
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2024 को ₹ 2.00 लाख तथा दिनांक 22 फरवरी 2024 को ₹ 104.50 लाख की कमी विभिन्न अधिष्ठान व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।			

2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर

00

800 अन्य व्यय

(6)	05 वैट के अन्तर्गत वापसी			
	मूल	1,200.00		
	पूरक	500.00	1,319.50	1,319.50
	पुनर्वि०	(-)380.50		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 380.50 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

2043 राज्य माल और सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार

00

001 निदेशन एवं प्रशासन

(7)	03 अधिष्ठान			
	मूल	3,618.50		
			2,959.15	2,824.87
	पुनर्वि०	(-)659.35		(-)134.28
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2024 को ₹ 2.25 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 661.60 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

(8)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना			
	मूल	100.00		
			70.00	70.00
	पुनर्वि०	(-)30.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2024 को ₹ 30.00 लाख की कमी इन्शोरेन्स पॉलिसी/प्रीमियम में हुई बचत के कारण की गयी ।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 संग्रहण प्रभार			
(9)	03 वाणिज्यिकी कर अधिष्ठान			
	मूल	10,365.11		
	पूरक	423.62	9,391.19	9,260.27
	पुनर्वि०	(-1,397.54)		(-130.92)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2024 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,427.54 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
	800 अन्य व्यय			
(10)	02 राज्य का जी०एस०टी०-एन० में अंश			
	मूल	800.00		
	पुनर्वि०	(-2.25)	797.75	339.97
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2024 को ₹ 2.25 लाख की कमी व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण की गयी।			
	2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
	00			
	103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क			
(11)	03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय			
	मूल	270.25	270.25	196.03
	(74.22)			
	2047 अन्य राजकोषीय सेवायें			
	00			
	103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि			
(12)	03 राज्य अल्प बचत संगठन			
	मूल	383.63	383.63	162.08
	(221.55)			
	800 अन्य व्यय			
(13)	03 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान			
	मूल	162.39	162.39	88.95
	(73.44)			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें			
	00			
	090 सचिवालय			
(14)	05 रेसिडेन्ट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान			
	मूल	208.81		
			217.41	
	पूरक	8.60	170.07	(-)47.34
(15)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान			
	मूल	42.04	42.04	8.22
				(-)33.82
(16)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान			
	मूल	97.95	97.95	54.25
				(-)43.70
(17)	21 जी-20 समिट			
	मूल	3,000.00		
	पूरक	1,000.00	2,729.96	1,568.53
	पुनर्वि०	(-)1,270.04		(-)1,161.43
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,270.04 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
	091 संलग्न कार्यालय			
(18)	03 राज्य सम्पत्ति विभाग			
	मूल	10,697.75		
	पूरक	1,531.00	10,651.38	9,256.52
	पुनर्वि०	(-)1,577.37		(-)1,394.86
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,577.37 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(19)	04 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय			
	मूल	229.01	229.01	133.46
				(-)95.55
(20)	05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक (सरप्लस स्टाफ) हेतु एक मुश्त व्यवस्था			
	मूल	47.75	47.75	42.36
				(-)5.39

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	07 कार्यालय निरीक्षणालय				
	मूल	52.50	52.50	40.33	(-)12.17
(22)	10 वित्त आयोग निदेशालय				
	मूल	108.21			
			135.31	76.44	(-)58.87
	पूरक	27.10			
(23)	12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना				
	मूल	102.30	102.30	76.97	(-)25.33
(24)	15 वेतन आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना				
	मूल	85.70	85.70	53.27	(-)32.43
(25)	16 डी०बी०टी० सेल				
	मूल	12.67	12.67	5.30	(-)7.37
	092 अन्य कार्यालय				
(26)	02 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान				
	मूल	100.00	100.00	41.60	(-)58.40
	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन				
	00				
	095 लेखा तथा खजाना निदेशालय				
(27)	02 विभागों में ई प्रोक्चोरमेंट योजना लागू किया जाना				
	मूल	184.60	184.60	139.59	(-)45.01
(28)	03 कोषागार एवं वित्त सेवायें अधिष्ठान				
	मूल	737.21			
			733.71	639.38	(-)94.33
	पुनर्वि०	(-)3.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2024 को ₹ 3.50 लाख की कमी कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(29)	05 विभागीय लेखा अधिष्ठान मूल	225.21		
	पूरक	41.00		
			266.21	231.35
				(-)34.86
(30)	07 वित्तीय डेटा सेंटर मूल	1,946.00		
	पुनर्वि०	(-1,414.34)		
			531.66	492.59
				(-)39.07
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,414.34 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
	097 खजाना स्थापना			
(31)	03 कोषागार अधिष्ठान मूल	7,724.00		
	पुनर्वि०	(-1,445.35)		
			6,278.65	6,095.17
				(-)183.48
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2024 को ₹ 5.25 लाख तथा दिनांक 11 मार्च 2024 को ₹ 12.00 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा वेतन में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,428.10 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा			
(32)	05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन मूल	350.80	350.80	274.04
				(-)76.76
(33)	06 आडिट निदेशालय मूल	1,284.00	1,284.00	1,020.39
				(-)263.61
	2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
	01 सिविल			
	101 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
(34)	07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक मूल	100.00	100.00	71.36
				(-)28.64

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य			
(35)	03 पेंशनों की राशिमूल्य(कम्प्यूटेड वैल्यु आफ पेंशन)			
	मूल	60,000.01		
			54,850.01	53,602.47
				(-1,247.54)
	पुनर्वि०	(-5,150.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 5,150.00 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण की गयी ।			
	104 उपादान			
(36)	03 उपादान			
	मूल	80,000.01		
			69,265.01	68,880.45
				(-384.56)
	पुनर्वि०	(-10,735.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 10,735.00 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण की गयी ।			
	200 अन्य पेंशन			
(37)	06 नई पेंशन योजना हेतु सी0आर0ए0 को भुगतान			
	मूल	300.00		
			200.00	85.89
				(-114.11)
	पुनर्वि०	(-100.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।			
	800 अन्य व्यय			
(38)	04 राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता(उत्तराखण्ड)			
	मूल	350.00	350.00	150.86
				(-199.14)
(39)	08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार सहायता			
	मूल	50.00	50.00	40.13
				(-9.87)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2075 विविध सामान्य सेवाएँ			
	00			
	911 घटाएँ			
(40)	03 तीन वर्ष से अधिक समय से पीएलए में जमा अनउपयोगी धनराशि की वापसी			
	मूल	(-0.01	(-0.01	(-13,191.53
				(-13,191.52
	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	107 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(41)	02 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन (अनुदान सं० 15 के 2235601070357 से स्थानांतरित)			
	मूल	2,400.00		
			1,970.47	1,970.47
	पुनर्वि०	(-429.53		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 429.53 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
	3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ			
	00			
	092 अन्य कार्यालय			
(42)	03 नियोजन अधिष्ठान			
	मूल	697.02		
			559.28	381.12
	पुनर्वि०	(-137.74		(-178.16
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 137.74 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(43)	04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन/ सूचना तंत्र का सुदृढीकरण/डी०पी०आर० निर्माण			
	मूल	1,000.00		
			619.44	119.44
	पुनर्वि०	(-380.56		(-500.00
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 380.56 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(44)	08 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण हेतु योजना (सी०पी०पी०सी०जी०)			
	मूल	5,899.00		
			3,599.00	2,359.60
	पुनर्वि०	(-2,300.00)		(-1,239.40)
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 2,300.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

112 आर्थिक सलाह और सांख्यिकी

(45)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान			
	मूल	185.01		
			191.81	84.70
	पूरक	6.80		(-107.11)

(46)	06 सर्वेक्षण एवं अध्ययन कार्य			
	मूल	20.00	20.00	10.37
				(-9.63)

800 अन्य व्यय

(47)	05 जी०आई०एस० प्रकोष्ठ एवं जिओं पोर्टल की स्थापना			
	मूल	82.56	82.56	72.23
				(-10.33)

3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

00

200 अन्य विविध क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन

(48)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	141,911.72		
			138,729.00	74,930.78
	पुनर्वि०	(-3,182.72)		(-63,798.22)
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 3,182.72 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(49)	02 राज्य वित्त आयोग			
	मूल	192,434.19		
			208,133.64	180,808.38
	पूरक	15,699.45		(-)27,325.26

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

01 स्टाम्प न्यायिक

101 स्टाम्पों की लागत

(1) 03 न्यायिक स्टाम्प

	मूल	10.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी । वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

03 पंजीकरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2) 05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति

	मूल	10.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को ₹ 10.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी । वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें

00

090 सचिवालय

(3) 13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय

	मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
--	-----	------	------	------	---------

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	22 मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार मूल	7.00	7.00	0.00	(-)7.00
	091 संलग्न कार्यालय				
(5)	13 कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रकोष्ठ मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
(6)	18 राजकीय विभागों में नव प्रवर्तन एवं सुधार मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-)1,000.00
	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन				
	00				
	003 प्रशिक्षण				
(7)	03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मूल	363.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)363.00			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 363.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
	2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ				
	01 सिविल				
	105 परिवार पेंशन				
(8)	06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
	वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	800 अन्य व्यय				
(9)	09 राज्य न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
	वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(10)	10 राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त लाभ (एक बार)			
	मूल	20,000.00		
	पुनर्वि०		400.00	(-)400.00

पुनर्वि० (-)19,600.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 19,600.00 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण की गयी। वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

2075 विविध सामान्य सेवाएँ

00

800 अन्य व्यय

(11)	02 व्यपगत जमा धनराशियों की अदायगियाँ			
	मूल	0.00		
	पूरक	300.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)300.00		

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ

00

092 अन्य कार्यालय

(12)	10 पी०पी०पी० प्रकोष्ठ का गठन			
	मूल	160.36		
	पुनर्वि०		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)160.36		

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 160.36 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(13)	12 वेब पोर्टलों का विकास एवं रख-रखाव			
	मूल	10.00	10.00	(-)10.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

112 आर्थिक सलाह और सांख्यिकी

(14) 05 राज्य एकीकृत सांख्यिकी प्रणाली

मूल 100.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)100.00

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें

00

090 सचिवालय

(1) 08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय

मूल 40.00

पूरक 10.00

85.00 81.35

(-)3.65

पुनर्वि० 35.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को ₹ 35.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

01 सिविल

101 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते

(2) 03 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते

मूल 187,000.00

204,466.00 208,453.18

(+)3,987.18

पुनर्वि० 17,466.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 19,500.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 2,000.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 34.00 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण की गयी।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	04 पूर्ववर्ती यु०पी०स्टेट विद्युत बोर्ड			
	मूल	26,000.00		
			27,079.00	
	पुनर्वि०	1,079.00	26,820.00	(-)259.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 421.00 लाख की कमी पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ में हुई बचत के कारण की गयी ।			
	104 उपादान			
(4)	04 पूर्ववर्ती यु०पी०स्टेट विद्युत बोर्ड			
	मूल	2,250.00		
			2,484.00	
	पुनर्वि०	234.00	2,483.68	(-)0.32
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 230.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 4.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
	105 परिवार पेंशन			
(5)	03 परिवार पेंशन			
	मूल	125,000.00		
			133,330.00	
	पुनर्वि०	8,330.00	132,778.68	(-)551.32
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 8,300.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
(6)	04 पूर्ववर्ती यु०पी०स्टेट विद्युत बोर्ड			
	मूल	8,250.00		
			9,485.00	
	पुनर्वि०	1,235.00	9,437.28	(-)47.72
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 1,235.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(7)	106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार 03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान मूल	200.01	200.01	357.93	(+)157.92
(8)	109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन 03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं मूल	55,000.01	56,835.01	56,835.22	(+)0.21
	पुनर्वि०	1,835.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 1,835.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(9)	06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ मूल	55,000.01	56,815.01	56,814.77	(-)0.24
	पुनर्वि०	1,815.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 1,815.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(10)	111 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य 03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य मूल	815.00	905.00	903.13	(-)1.87
	पुनर्वि०	90.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 90.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(11)	117 निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान 03 राज्य सरकार का अंशदान मूल	85,000.00	90,500.00	89,945.43	(-)554.57
	पुनर्वि०	5,500.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 5,500.00 लाख की वृद्धि पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2), (7) एवं (8) पर अंतिम आधिक्य एवं क्रम संख्या (1), (3) से (6) एवं (9) से (11) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

राजस्व:
भारित-

- (vii) ₹ 1,16,044.99 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 353.95 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
- (viii) ₹ 1,16,044.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 7,296.20 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (ix) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2018-19	517,462.33	447,532.44	69,929.89	
2019-20	567,569.45	465,478.86	102,090.59	
2020-21	604,573.95	492,435.83	112,138.12	
2021-22	655,612.62	514,856.06	140,756.56	
2022-23	647,134.57	521,768.14	125,366.43	

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2048 ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन

00

797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण

- (1) 03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण
- | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|
| मूल | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | (-)10,000.00 |
|-----|-----------|-----------|-----------|--------------|
- (2) 04 राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों को संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण
- | | | | | |
|-----|----------|----------|----------|-------------|
| मूल | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | (-)1,500.00 |
|-----|----------|----------|----------|-------------|

2049 ब्याज अदायगियां

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

101 बाज़ार कर्जों पर ब्याज

- (3) 26 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2015-16 में प्राप्त हुआ
- | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|
| मूल | 36,719.00 | 36,719.00 | 32,122.12 | (-)4,596.88 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|
- (4) 29 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुआ
- | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|
| मूल | 52,894.50 | 52,894.50 | 46,237.82 | (-)6,656.68 |
|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(5)	31 वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राप्त बाजार ऋण मूल	42,608.00	42,608.00	35,758.00	(-)6,850.00
(6)	33 वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त बाजार ऋण मूल	44,292.50	44,292.50	19,292.50	(-)25,000.00
(7)	115 भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 02 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज मूल	4,000.00	4,000.00	1,426.07	(-)2,573.93
(8)	123 राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज (20490310706 से स्थानान्तरित) मूल	70,000.00	70,000.00	50,391.86	(-)19,608.14
(9)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	3,500.00	3,500.00	1,257.30	(-)2,242.70
(10)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज मूल	25,000.00	25,000.00	13,284.20	(-)11,715.80
(11)	305 ऋण प्रबन्ध 03 ऋण प्रबन्ध पर व्यय मूल	1,600.00	1,600.00	1,180.26	(-)419.74
(12)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 03 भविष्य निधि मूल	75,950.01	75,950.01	65,885.98	(-)10,064.03
(13)	04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज मूल	450.00	450.00	294.41	(-)155.59

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	701 विविध			
(14)	03 मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज			
	मूल	50.00		
			48.00	20.04
				(-)27.96
	पुनर्वि०	(-)2.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2023 को ₹ 2.00 लाख की कमी ब्याज / लाभांश में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(15)	08 कैम्पा निधि के ब्याज का अन्तरण			
	मूल	15,000.00	15,000.00	11,639.00
				(-)3,361.00

2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें

	00			
	092 अन्य कार्यालय			
(16)	03 मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से सम्बन्धित धनराशि			
	मूल	400.00		
			46.05	46.05
				0.00
	पुनर्वि०	(-)353.95		
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 353.95 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2049 ब्याज अदायगियां

	01 आंतरिक ऋणों पर ब्याज			
	101 बाज़ार कर्जों पर ब्याज			
(1)	34 वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त बाज़ार ऋण			
	मूल	30,000.00	30,000.00	0.00
				(-)30,000.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
(2)	12 आर०ई०सी० से प्राप्त ऋण पर ब्याज			
	मूल	700.00	700.00	0.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)700.00

03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज

	108 बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज			
(3)	03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज			
	मूल	350.00	350.00	0.00
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)350.00

60 अन्य दायित्वों पर ब्याज

	101 जमाओं पर ब्याज			
(4)	05 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं पर ब्याज का भुगतान			
	मूल	0.00		
	पूरक	1,000.00	1,000.00	0.00
				(-)1,000.00

701 विविध

(5)	06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज			
	मूल	22.00	22.00	0.00
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)22.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2049 ब्याज अदायगियां

	<i>01 आंतरिक ऋणों पर ब्याज</i>			
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज			
(1)	27 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2016-2017 में प्राप्त हुआ			
	मूल	40,795.90	40,795.90	41,457.69 (+)661.79
(2)	28 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुआ			
	मूल	51,489.40	51,489.40	65,118.17 (+)13,628.77
(3)	30 वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त बाजार ऋण			
	मूल	37,067.00	37,067.00	37,665.75 (+)598.75
(4)	32 वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त बाजार ऋण			
	मूल	22,848.00	22,848.00	26,378.00 (+)3,530.00
	<i>04 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिमों पर ब्याज</i>			
	101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज			
(5)	03 उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋणों पर समानुपातिक ब्याज			
	मूल	7,500.00	7,500.00	7,611.73 (+)111.73
	<i>05 रिजर्व फंड पर ब्याज</i>			
	105 सामान्य एवं अन्य रिजर्व फंड पर ब्याज			
(6)	03 कैम्पा निधि के ब्याज का अंतरण			
	मूल	0.00		
	पूरक	6,296.19	6,296.19	9,657.18 (+)3,360.99

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	701 विविध			
(7)	04 पेंशन/अवकाश नकदीकरण के देर से अदायगी के कारण ब्याज आदि का भुगतान			
	मूल	0.75		
			2.75	
	पुनर्वि०	2.00		
			1.58	(-)1.17
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2023 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि ब्याज / लाभांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (xiii) ₹ 21,416.36 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 7,359.85 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (xiv) ₹ 13,170.40 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)
- (xv) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	32,812.73	16,778.70	16,034.03
2019-20	29,655.47	9,030.27	20,625.20
2020-21	58,467.02	44,532.07	13,934.95
2021-22	114,093.98	51,675.58	62,418.40
2022-23	153,613.02	116,841.43	36,771.59

- (xvi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

	80 सामान्य			
	051 निर्माण			
(1)	03 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण			
	मूल	300.00	300.00	
			309.28	(+)9.28

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	800 अन्य व्यय			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	130,000.01		
	पूरक	65,646.00	217,186.30	208,557.76
	पुनर्वि०	21,540.29		(-8,628.54)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2024 को ₹ 14,000.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 8,164.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 623.71 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

	02 शहरी आवास			
	800 अन्य भवन			
(3)	03 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण			
	मूल	0.01		
			5,112.91	5,112.91
	पुनर्वि०	5,112.90		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख, दिनांक 12 जनवरी 2024 को ₹ 3,500.00 लाख तथा दिनांक 12 मार्च 2024 को ₹ 1,600.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण एवं भूमि क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 287.10 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम अधिक्य एवं क्रम संख्या (2) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(xvii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 कार्यालय भवनों			
	051 निर्माण			
(1)	02 कोषागार / उपकोषागार भवन के निर्माण			
	मूल	150.00	150.00	105.59
				(-44.41)

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	80 सामान्य			
	800 अन्य भवन			
(2)	17 महत्वपूर्ण स्थापना कार्य			
	मूल	12,500.00		
			4,202.89	3,434.59
	पुनर्वि०	(-8,297.11)		(-768.30)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2024 को ₹ 7,500.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 164.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 633.11 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(3)	19 जी-20 समिट			
	मूल	7,000.00		
	पूरक	3,000.00	4,857.11	3,421.11
	पुनर्वि०	(-5,142.89)		(-1,436.00)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 3,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 2,142.89 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(4)	22 विभिन्न विभागों में भूमि अधिग्रहण हेतु एन0पी0बी0 भुगतान			
	मूल	0.00		
			1,000.00	2.83
	पूरक	1,000.00		(-997.17)
	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
	02 शहरी आवास			
	800 अन्य भवन			
(5)	15 राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार			
	मूल	100.00	100.00	79.17
				(-20.83)
(6)	17 रायपुर (देहरादून) में सचिवालय भवन का निर्माण (फेज 1)			
	मूल	7,500.00		
			1,626.96	1,563.96
	पुनर्वि०	(-5,873.04)		(-63.00)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2024 को ₹ 3,500.00 लाख तथा दिनांक 11 मार्च 2024 को ₹ 300.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 2,073.04 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

7615 विविध ऋण

00

200 अन्य कर्ज

(7)	03 विधायकों को आवास हेतु ऋण(7615-00-200-01 से स्थानान्तरित)			
	मूल	100.00	100.00	22.50
				(-77.50)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(xviii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 कार्यालय भवन

051 निर्माण

(1)	03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-10.00)

80 सामान्य

800 अन्य भवन

(2)	18 शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना निर्माण			
	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00
				(-2,000.00)

वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(3)	20 यु0आई0आई0डी0बी0 द्वारा क्रियान्वित योजनाओं से प्राप्त धनराशि से अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
	मूल	5,000.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-5,000.00)		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 5,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।

(4)	21 जलवायु परिवर्तन शमन			
	मूल	6,500.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-6,500.00)		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2024 को ₹ 6,500.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 सरकारी आवासीय भवन			
	700 अन्य भवन			
(5)	02 सचिव/अपर सचिव स्तर के आवासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	600.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)600.00		
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 600.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
	02 शहरी आवास			
	800 अन्य भवन			
(6)	16 रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण			
	मूल	2,000.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)2,000.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 मार्च 2024 को ₹ 1,600.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(7)	19 जनपद चमोली के भराडीसैण (गैरसेण) में मिनी सचिवालय का निर्माण			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)100.00		
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए । वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(8)	02 सचिवालय परिसर में अनावासीय भवनों का ध्वस्तीकरण/जीर्णोद्धार/नवनिर्माण			
	मूल	500.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)500.00		
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए । वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज

00

201 भवन निर्माण अग्रिम

- (9) 03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अग्रिम का भुगतान
- | | | | | |
|-----|-------|-------|------|----------|
| मूल | 10.00 | 10.00 | 0.00 | (-)10.00 |
|-----|-------|-------|------|----------|
- वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

7615 विविध ऋण

00

200 अन्य कर्ज

- (10) 02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण
- | | | | | |
|-----|-------|-------|------|----------|
| मूल | 10.00 | 10.00 | 0.00 | (-)10.00 |
|-----|-------|-------|------|----------|
- वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

**पूंजीगत:
भारित-**

- (xix) पूंजीगत भारत विनियोग के अंतर्गत ₹ 7,30,210.48 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (xx) ₹ 730,210.48 लाख के अंतिम आधिक्य को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 4,50,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (xxi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

110 भारतीय रिज़र्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम

- (1) 03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान
- | | | | | |
|------|------------|--------------|--------------|----------------|
| मूल | 700,000.00 | | | |
| पूरक | 450,000.00 | 1,150,000.00 | 1,891,964.79 | (+)7,41,964.79 |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

	111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति			
(2)	03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान			
	मूल	75,000.00	75,000.00	78,101.65
				(+)3,101.65

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

09 राज्यों के लिए अन्य ऋण

101 ब्लॉक लोन

(3)	03 एकमुश्त ऊधार			
	मूल	1,000.00	1,000.00	1,631.68
				(+)631.68

(xxii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

105 नाबार्ड से कर्ज

(1)	03 नाबार्ड को ऋण वापसी			
	मूल	85,000.00	85,000.00	76,096.65
				(-)8,903.35

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

01 आयोजनेतर ऋण

800 अन्य कर्ज

(2)	03 पूर्वोत्तर उ०प्र० के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी			
	मूल	110.00	110.00	42.70
				(-)67.30

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज

101 एक मुश्त कर्ज

(3)	03 एक मुश्त उधार			
	मूल	7,000.00	7,000.00	5,136.03
				(-)1,863.97

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय अन्य सेवायें समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------	---------------	--------------------------------------

(xxiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

00

101 बाज़ार कर्ज

(1)	04 गैर ब्याजू बाजार कर्ज का भुगतान			
	मूल	60.00	60.00	0.00
				(-)60.00

108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज

(2)	04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान			
	मूल	4,500.00	4,500.00	0.00
				(-)4,500.00

109 अन्य संस्थाओं से कर्ज

(3)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	60.00	60.00	0.00
	वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)60.00

800 अन्य कर्ज

(4)	03 अन्य ऋण			
	मूल	22.00	22.00	0.00
	वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)22.00

6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिये

800 अन्य कर्ज

(5)	03 सहकारिता			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2014-15 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)10.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 08 आबकारी		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2039 राज्य उत्पाद शुल्क

दत्तमत -

मूल	79,26,01			
		81,76,01	34,32,60	(-)47,43,41
पूरक वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)	2,50,00			1,20,61

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	2,00,00			
		2,00,00	1,99,99	(-)1
पूरक वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 4,743.41 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 120.61 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
- ₹ 4,743.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 250.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	2,935.50	2,623.60	311.90
2019-20	2,963.39	2,539.78	423.61
2020-21	3,305.07	2,757.91	547.16
2021-22	3,690.15	2,983.26	706.89
2022-23	3,842.00	3,248.21	593.79

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 08 आबकारी समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2039 राज्य उत्पाद शुल्क

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 अधिष्ठान

मूल 4,902.01

पूरक 250.00 5,031.40 675.21 (-)4,356.19

पुनर्वि० (-)120.61

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 120.61 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए। उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान/ विनियोग			

राजस्व:

2051 लोक सेवा आयोग

दत्तमत -

मूल	17,82,00			
		17,82,00	16,23,95	(-)1,58,05
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

भारित-

मूल	1,13,71,00			
		1,13,71,00	87,39,40	(-)26,31,60
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				12,07,47

अनुदान के राजस्व भारित अनुभाग में ₹ 27,12,24 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	2,00,01			
		2,59,56	76,24	(-)1,83,32
पूरक	59,55			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 158.05 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

राजस्व:

भारित-

- (ii) ₹ 2,631.60 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,207.47 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------------------	------------------	---------------------------------------

(iii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	2,912.01	1,734.80	1,177.21
2019-20	2,764.02	1,915.18	848.84
2020-21	3,271.43	1,737.00	1,534.43
2021-22	2,698.01	2,279.28	418.73
2022-23	4,813.51	3,989.21	824.30

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2051 लोक सेवा आयोग

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल	11,371.00			
		10,163.53	8,739.40	(-),424.13
पुनर्वि०	(-),1,207.47			

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,207.47 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (v) ₹ 183.32 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (vi) ₹ 183.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 59.55 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण

मूल	200.00	200.00	16.69	(-),183.31
-----	--------	--------	-------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2055	पुलिस
2056	जेलें

दत्तमत -

मूल	24,95,73,09	25,31,75,44	23,47,38,03	(-1,84,37,41
पूरक	36,02,35			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				1,50,64,92

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,00,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	66,15,00	96,15,00	96,07,83	(-)7,17
पूरक	30,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹25,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 18,437.41 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 15,064.92 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 18,437.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 3,602.35 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	193,877.78	183,347.98	10,529.80
2019-20	197,056.34	182,088.34	14,968.00
2020-21	214,274.66	186,514.58	27,760.08
2021-22	225,431.64	202,804.67	22,626.97
2022-23	240,145.64	218,600.99	21,544.65

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2055 पुलिस					
00 निदेशन तथा प्रशासन					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(1)	06 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान				
	मूल	185.60			
			220.22	154.92	(-)65.30
	पूरक	34.62			
(2)	09 राज्य मानवाधिकार आयोग				
	मूल	634.49			
			516.03	461.29	(-)54.74
	पुनर्वि०	(-)118.46			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 118.46 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
(3)	13 अभियोजन अधिष्ठान				
	मूल	1,346.20			
			1,442.20	1,224.15	(-)218.05
	पूरक	96.00			
(4)	14 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो				
	मूल	313.75	313.75	222.54	(-)91.21
(5)	15 लोकतंत्र सेनानी तथा उनके आश्रितों को पेंशन योजना				
	मूल	200.00	200.00	154.91	(-)45.09

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता					
(6)	05 अपराधिक अन्वेषण					
	मूल	1,599.50				
	पूरक	33.86	1,520.60	1,439.32	(-)81.28	
	पुनर्वि०	(-)112.76				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 5.00 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 107.76 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।					
(7)	06 भारत नेपाल सीमा पर अधिसूचना तंत्र का सुदृढीकरण					
	मूल	191.50				
	पूरक	4.62	195.12	150.26	(-)44.86	
	पुनर्वि०	(-)1.00				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 1.00 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गयी ।					
	104 विशेष पुलिस					
(8)	03 राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य					
	मूल	30,017.00				
			26,286.79	26,209.44	(-)77.35	
	पुनर्वि०	(-)3,730.21				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2024 को ₹ 6.58 लाख तथा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 131.85 लाख की कमी यात्रा व्यय एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 3,591.78 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।					
(9)	04 इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना					
	मूल	14,639.25				
			13,170.31	13,075.64	(-)94.67	
	पुनर्वि०	(-)1,468.94				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 228.00 लाख की कमी यात्रा व्यय एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,240.94 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।					

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	109 जिला पुलिस				
(10)	07 घुड़सवार पुलिस इकाई				
	मूल	638.00			
			610.25	544.09	(-)66.16
	पुनर्वि०	(-)27.75			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 27.75 लाख की कमी यात्रा व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, कार्यालय व्यय भोजन व्यय तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(11)	14 जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण				
	मूल	139.80			
			146.38	125.53	(-)20.85
	पुनर्वि०	6.58			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2024 को ₹ 6.58 लाख की वृद्धि किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी				
(12)	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण				
	04 चिकित्सालय व्यय				
	मूल	458.00	458.00	337.84	(-)120.16
(13)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण(सुरक्षा सम्बन्धी व्यय)				
	01 केंद्रीय द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	800.03	800.03	226.30	(-)573.73
(14)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	60.00	60.00	25.12	(-)34.88
(15)	116 न्यायालयिक विज्ञान				
	03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला				
	मूल	448.60	448.60	364.94	(-)83.66

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	117 आंतरिक सुरक्षा				
(16)	02 आन्तरिक सुरक्षा हेतु केन्द्रीय पुलिस बल आदि को भुगतान				
	मूल	1,000.00			
			98.24	83.89	(-)14.35
	पुनर्वि०	(-)901.76			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2024 को ₹ 751.76 लाख तथा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 150.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(17)	04 इ०आर०एस०एस० अधिष्ठान				
	मूल	149.50			
			77.50	68.49	(-)9.01
	पुनर्वि०	(-)72.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 22.00 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 50.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।				
	2056 जेलें				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(18)	03 कारागार अधिष्ठान				
	मूल	9,290.10			
	पूरक	210.00	8,183.23	7,897.69	(-)285.54
	पुनर्वि०	(-)1,316.87			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवंबर 2023 को ₹ 10.50 लाख तथा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 15.50 लाख की कमी वेतन, मजदूरी तथा पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गयी । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1292.87 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-------	---------------------------------------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2055 पुलिस

00

001 निदेशन और प्रशासन

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 495.70

499.50 0.00 (-)499.50

पूरक 3.80

वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण

(2) 10 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा साहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता/पुरस्कार

मूल 20.00 20.00 0.00 (-)20.00

117 आंतरिक सुरक्षा

(3) 05 छात्र पुलिस कैडिट योजना

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून-2024) ।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2055 पुलिस

00

108 राज्य पुलिस मुख्यालय

(1) 05 यूनिफार्म सिविल कोड

मूल 100.00

160.00 147.31 (-)12.69

पुनर्वि० 60.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 35.00 लाख तथा दिनांक 15 मार्च 2024 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

2056 जेलें

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2) 04 कारागार मुख्यालय

मूल 225.70

पूरक 13.00

पुनर्वि० 24.00

262.70

247.07

(-)15.63

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवंबर 2023 को ₹10.50 लाख तथा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 15.50 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय की विभिन्न मदों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 मार्च 2024 को ₹ 2.00 लाख की कमी कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय में हुई बचत के कारण की गयी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 7.17 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	2,322.01	1,858.80	463.21
2019-20	5,372.65	3,606.51	1,766.14
2020-21	5,050.00	3,173.90	1,876.10
2021-22	5,250.00	4,850.58	399.42
2022-23	4,650.00	4,605.73	44.27

- (ix) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

00

207 राज्य पुलिस

02 अग्निशमन एवं आपात सेवा

मूल 400.00

पुनर्वि० 40.60

440.60

440.60

0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2024 को ₹ 40.60 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति			
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेलकूद तथा युवा सेवायें
2205	कला एवं संस्कृति

दत्तमत -

मूल	99,05,11,88			
		1,01,48,33,97	95,14,12,91	(-)6,34,21,06
पूरक	2,43,22,09			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				4,50,32,24
अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 8,28,88 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।				

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 1,05,17 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2024 को आहरण वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

पूंजीगत:

4202	शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत -

मूल	5,54,43,42			
		6,92,53,35	4,59,05,41	(-)2,33,47,94
पूरक	1,38,09,93			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- (i) ₹ 63,421.06 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 45,032.24 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 63,421.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 24,322.09 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	760,974.26	706,732.74	54,241.52
2019-20	837,976.63	740,291.24	97,685.39
2020-21	903,510.19	779,175.03	124,335.16
2021-22	911,104.87	815,496.10	95,608.77
2022-23	1,009,717.02	910,325.97	99,391.05

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारम्भिक शिक्षा

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 निदेशालय अधिष्ठान

मूल	651.76			
		699.93	589.79	(-)110.14
पूरक	48.17			

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

(2) 04 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

मूल	323,064.01	323,064.01	288,058.87	(-)35,005.14
-----	------------	------------	------------	--------------

(3) 07 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

मूल	100.00	100.00	89.91	(-)10.09
-----	--------	--------	-------	----------

(4) 12 प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	4,100.00			
		3,416.05	3,416.05	0.00
पुनर्वि०	(-)683.95			

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 683.95 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

(5) 14 सहायता प्राप्त उ.मा. विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग

मूल	1,100.00	1,100.00	922.48	(-)177.52
-----	----------	----------	--------	-----------

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
क्रम. सं०	शीर्ष			
(6)	18 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान			
	मूल	1,164.00		
			1,009.54	1,009.54
	पुनर्वि०	(-)154.46		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 154.46 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(7)	20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण			
	मूल	900.00		
	पूरक	4,150.00	4,502.85	1,502.85
	पुनर्वि०	(-)547.15		(-)3,000.00
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 547.15 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(8)	104 निरीक्षण			
	03 क्षेत्रीय निरीक्षण			
	मूल	1,759.50	1,759.50	1,545.16
				(-)214.34
(9)	05 विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना			
	मूल	4,480.02		
			3,525.62	3,488.35
	पुनर्वि०	(-)954.40		(-)37.27
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 954.40 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(10)	112 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम			
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	10,072.84	10,072.84	8,376.43
				(-)1,696.41
(11)	95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश			
	मूल	952.51	952.51	839.04
				(-)113.47

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
	02 माध्यमिक शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(12)	03 माध्यमिक शिक्षा का अधिष्ठान			
	मूल	1,002.56		
	पूरक	73.00	958.34	742.70
	पुनर्वि०	(-)117.22		(-)215.64
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 117.22 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(13)	05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कार्यालय			
	मूल	290.76		
			291.96	203.73
	पूरक	1.20		(-)88.23
(14)	06 अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय			
	मूल	133.01	133.01	109.50
				(-)23.51
(15)	16 राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति, 2020			
	मूल	31.25	31.25	9.82
				(-)21.43
	004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण			
(16)	05 एस.सी.ई.आर.टी. की स्थापना			
	मूल	119.01		
			1,491.85	1,180.25
	पूरक	1,372.84		(-)311.60
	105 अध्यापक प्रशिक्षण			
(17)	02 प्रशिक्षण हेतु डायटो का सशक्तिकरण			
	मूल	59.50	59.50	27.40
				(-)32.10
	106 पाठ्य पुस्तकें			
(18)	02 9वीं से 12वीं तक के सामान्य एवं पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्य पुस्तक			
	मूल	2,500.00		
			4,000.00	2,701.10
	पूरक	1,500.00		(-)1,298.90

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(19)	107 छात्रवृत्तियां 15 खेल छात्रवृत्ति मूल	6.50	6.50	0.40 (-)6.10
(20)	18 राज्य योग्यता छात्रवृत्ति मूल	500.00	262.96	83.40 (-)179.56
	पुनर्वि०	(-)237.04		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 नवंबर 2023 को ₹ 23.00 लाख, दिनांक 08 फरवरी 2024 को ₹35.74 लाख, दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख, दिनांक 13 मार्च 2024 को ₹ 7.70 लाख तथा दिनांक 26 मार्च 2024 को ₹ 70.60 लाख की कमी छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(21)	19 मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना मूल	1,100.00	1,100.00	534.96 (-)565.04
(22)	108 परीक्षाएं 04 माध्यमिक शिक्षा परिषद का अधिष्ठान मूल	1,201.61	1,208.86	1,055.19 (-)153.67
	पुनर्वि०	7.25		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 7.25 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण तथा अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
(23)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना मूल	3,246.91	2,896.65	2,639.99 (-)256.66
	पुनर्वि०	(-)350.26		
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 350.26 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(24)	15 राजीव गांधी अभिनव विद्यालयों की स्थापना मूल	106.10	106.10	68.35 (-)37.75

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(25)	16 विजीटिंग शिक्षकों का मानदेय मूल 15,000.00 पुनर्वि० (-)1,555.86 दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,555.86 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।	13,444.14	10,944.14	(-)2,500.00
(26)	17 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना (माध्यमिक) मूल 250.00	250.00	203.60	(-)46.40
(27)	27 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना मूल 810.41 पुनर्वि० (-)302.16 दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 302.16 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।	508.25	462.87	(-)45.38
(28)	113 समग्र शिक्षा 95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश मूल 3,961.80	3,961.80	3,264.19	(-)697.61
(29)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,419.84	1,419.84	773.04	(-)646.80
(30)	95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश मूल 155.76 वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।	155.76	85.88	(-)69.88
(31)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 विश्वविद्यालयों को सहायता 08 श्रीदेव सुमन विश्व विद्यालय मूल 2,876.67	2,876.67	2,376.67	(-)500.00
(32)	12 शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोडा मूल 4,100.00	4,100.00	3,558.70	(-)541.30

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...						
क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(33)	103 राजकीय कॉलेज और संस्थान 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना	मूल	900.00	900.00	439.02	(-)460.98
(34)	03 राजकीय उपाधि महाविद्यालय	मूल	40,057.97			
		पुनर्वि०	(-)4,820.58	35,237.39	35,211.87	(-)25.52
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2024 को ₹ 7.43 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय एवं औषधि तथा रसायन में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 4,813.15 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।					
(35)	16 राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में एडुसेट के माध्यम से शिक्षा	मूल	50.00	50.00	17.77	(-)32.23
(36)	17 राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना	मूल	50.00	50.00	25.71	(-)24.29
(37)	20 राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं हेतु प्रोत्साहन योजना	मूल	50.00	50.00	24.00	(-)26.00
(38)	22 संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र/छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता	मूल	50.00			
		पूरक	23.00	73.00	56.50	(-)16.50
(39)	95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश	मूल	100.00	100.00	67.82	(-)32.18
(40)	104 अराजकीय महाविद्यालयों एवं संस्थानों को सहायता 05 वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अधिष्ठान व्यय में वृद्धि	मूल	410.00	410.00	109.05	(-)300.95

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...					
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	107 छात्रवृत्तियां				
(41)	07 शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति				
	मूल	1,000.00	1,000.00	773.76	(-)226.24
	05 भाषा विकास				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(42)	03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान				
	मूल	104.42	104.42	39.71	(-)64.71
	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का सम्वर्धन				
(43)	04 उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिष्ठान				
	मूल	250.00	250.00	200.00	(-)50.00
	103 संस्कृत शिक्षा				
(44)	03 राजकीय संस्कृत पाठशाला				
	मूल	124.01	124.01	88.28	(-)35.73
(45)	04 संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान				
	मूल	2,884.00			
			2,734.00	2,552.80	(-)181.20
	पुनर्वि०	(-)150.00			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 150.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(46)	06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण				
	मूल	154.01	154.01	108.24	(-)45.77
(47)	07 संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण				
	मूल	20.00	20.00	12.08	(-)7.92
(48)	08 उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन				
	मूल	91.61	91.61	73.03	(-)18.58

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(49)	03 एनसीसी निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	133.25		
			136.25	112.32
				(-)23.93
	पुनर्वि०	3.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 नवंबर 2023 को ₹ 3.00 लाख की वृद्धि गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
(50)	04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल			
	मूल	3,312.58		
			2,923.34	2,690.04
				(-)233.30
	पुनर्वि०	(-)389.24		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 नवंबर 2023 को ₹ 3.00 लाख की कमी गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 386.24 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(51)	05 एयर स्काइन एन0सी0सी0 की स्थापना			
	मूल	89.37		
			91.52	77.14
				(-)14.38
	पूरक	2.15		
	003 प्रशिक्षण			
(52)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	4,320.00		
			3,972.80	3,729.74
				(-)243.06
	पुनर्वि०	(-)347.20		
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 347.20 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(53)	02 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान			
	मूल	155.79	155.79	114.38
				(-)41.41
(54)	03 सरकारी प्रशिक्षण संस्थान (प्राथमिक) (पुरुष)			
	मूल	140.51	140.51	109.26
				(-)31.25

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
2203 तकनीकी शिक्षा				
00				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(55)	02 प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद			
	मूल	199.01	199.01	150.79 (-)48.22
(56)	03 प्रावधिक शिक्षा निदेशालय			
	मूल	520.20	520.20	414.18 (-)106.02
(57)	04 संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ			
	मूल	287.55	287.55	233.87 (-)53.68
105 बहुशिल्प (पॉलिटेक्निक) विद्यालय				
(58)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,349.60	1,349.60	155.00 (-)1,194.60
(59)	03 सामान्य पॉलिटेक्निक			
	मूल	15,051.22		
	पूरक	623.00	13,102.44	12,934.05 (-)168.39
	पुनर्वि०	(-)2,571.78		
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 2,571.78 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
112 अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान				
(60)	03 पंत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पंतनगर को सहायता अनुदान			
	मूल	3,270.79	3,270.79	552.79 (-)2,718.00
(61)	04 इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)			
	मूल	2,682.41	2,682.41	1,000.00 (-)1,682.41
2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें				
00				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(62)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	64.15	64.15	20.28 (-)43.87

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...					
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(63)	04 प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण मूल	2,446.10	2,320.84	2,044.91	(-)275.93
	पुनर्वि०	(-)125.26			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 125.26 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(64)	05 उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद मूल	76.02	76.02	53.84	(-)22.18
(65)	09 युवा दलो को आर्थिक सहायता मूल	35.00	22.45	21.70	(-)0.75
	पुनर्वि०	(-)12.55			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को ₹ 12.55 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(66)	10 निर्वाचन, चारधाम, कुम्भ मेला व आपदा आदि हेतु पी0आर0डी0 स्वयं सेवको की बजट व्यवस्था मूल	600.00	600.00	487.99	(-)112.01
(67)	18 युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल महाकुम्भ का आयोजन मूल	1,500.00	1,611.50	1,593.78	(-)17.72
	पूरक	700.00			
	पुनर्वि०	(-)588.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को ₹ 588.50 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(68)	19 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का प्रशिक्षण मूल	50.00	50.00	26.31	(-)23.69
(69)	22 मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वालंबन योजना मूल	500.00	263.16	26.52	(-)236.64
	पुनर्वि०	(-)236.84			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2024 को ₹ 69.35 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 167.49 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
104	खेलकूद और क्रीड़ा			
(70)	10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार			
	मूल	250.00		
			67.11	67.11
	पुनर्वि०	(-)182.89		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 182.89 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(71)	12 प्रदेशीय क्रीडा संघों, क्लबो एवं अन्य क्रीडा संघों आदि को प्रतियोगिताओ के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान			
	मूल	50.00		
			38.71	13.86
	पुनर्वि०	(-)11.29		(-)24.85
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2024 को ₹ 11.29 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(72)	15 प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन			
	मूल	20.00		
			10.14	10.14
	पुनर्वि०	(-)9.86		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2024 को ₹ 105.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 114.86 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(73)	21 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं मे पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता			
	मूल	400.00		
			54.97	54.97
	पुनर्वि०	(-)345.03		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2023 को ₹ 142.55 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 202.48 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(74)	22 प्रदेशीय क्रीडा संघों एवं क्लबों को आर्थिक सहायता			
	मूल	10.00	10.00	0.79
				(-)9.21

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(75)	24 सिविल सेवा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता			
	मूल	20.00		
	पूरक	5.00	55.00	19.63
	पुनर्वि०	30.00		(-35.37)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2024 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			
(76)	29 उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति			
	मूल	1,000.00		
	पूरक	100.00	1,061.88	972.13
	पुनर्वि०	(-38.12)		(-89.75)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 को ₹ 38.12 लाख की कमी छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन में हुई बचत के कारण की गयी।			
(77)	31 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन			
	मूल	1,000.00		
	पूरक	2,500.00	3,202.13	2,250.00
	पुनर्वि०	(-297.87)		(-952.13)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2024 को ₹ 297.87 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी।			
	2205 कला एवं संस्कृति			
	00			
	101 ललित कला शिक्षा			
(78)	03 भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय			
	मूल	297.72		
	पूरक	23.50	320.97	265.12
	पुनर्वि०	(-0.25)		(-55.85)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को ₹ 0.25 लाख की कमी विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय में हुई बचत के कारण की गयी।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन			
(79)	04 स्व० गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान			
	मूल	14.72		
			14.62	3.24
				(-)11.38
	पुनर्वि०	(-)0.10		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को ₹ 0.10 लाख की कमी विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय में हुई बचत के कारण की गयी।			
(80)	06 साहित्यिक कला परिषद की स्थापना			
	मूल	20.00	20.00	11.05
				(-)8.95
(81)	09 वृद्ध कलाकारों, लेखकों को मासिक पेंशन			
	मूल	65.00	65.00	42.87
				(-)22.13
(82)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन			
	मूल	21.40	21.40	6.05
				(-)15.35
(83)	35 मेला समितियों को परम्परिक एवं अन्य मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता			
	मूल	100.00	100.00	82.10
				(-)17.90
(84)	41 प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन मंदिरों व देवालयों तथा धार्मिक स्थलों, तीर्थों का रख-रखाव व जीर्णोद्धार			
	मूल	50.00		
			20.00	12.29
				(-)7.71
	पुनर्वि०	(-)30.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 30.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी।			
(85)	44 हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र देहरादून का वार्षिक रखरखाव/संचालन			
	मूल	170.02		
			174.54	105.73
				(-)68.81
	पूरक	4.52		

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
(86)	103 पुरातत्त्व विज्ञानं 02 पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन			
	मूल	10.52		
			12.94	6.15
	पूरक	2.42		(-)6.79
(87)	03 पुरातत्त्व अधिष्ठान			
	मूल	291.34		
	पूरक	1.00	291.84	226.54
	पुनर्वि०	(-)0.50		(-)65.30
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को ₹ 0.50 लाख की कमी विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय में हुई बचत के कारण की गयी।			
(88)	104 अभिलेखागार 03 राज्य अभिलेख			
	मूल	179.49		
			175.54	129.81
	पुनर्वि०	(-)3.95		(-)45.73
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को ₹ 3.95 लाख की कमी प्रशिक्षण व्यय, लेखन सामग्री एवं छपाई, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय, कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद में हुई बचत के कारण की गयी।			
(89)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 03 केंद्रीय राज्य पुस्तकालय			
	मूल	283.61		
			285.04	202.47
	पूरक	1.43		(-)82.57
(90)	107 संग्रहालय 03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	158.86		
			159.41	123.15
	पूरक	0.55		(-)36.26
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।			

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारंभिक शिक्षा

	112 प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी एम पोषण)			
(1)	04 बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए मोटे अनाज का प्रावधान			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00

02 माध्यमिक शिक्षा

	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
(2)	28 माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट कलस्टर विद्यालय			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00

03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

	103 राजकीय कॉलेज तथा संस्थान			
(4)	21 भक्त दर्शन सिंह पुरस्कार वितरण			
	मूल	5.00	5.00	0.00
				(-)5.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

(5)	23 अनुसंधान एवं विकास कार्य			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-)10.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

2203 तकनीकी शिक्षा

00

	112 अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान			
(6)	06 वीर माधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय			
	मूल	600.00	600.00	0.00
				(-)600.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...					
क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	12 महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून				
	मूल	180.01	180.01	0.00	(-)180.01
2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें					
00					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(8)	06 युवा छात्रावासों का विकास				
	मूल	10.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को ₹ 10.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।					
(9)	20 पीआरडी स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण				
	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(10)	96 पूर्व योजनाओं के सापेक्ष टॉप अप				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
104 खेलकूद और क्रीड़ा					
(11)	07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार				
	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00
(12)	36 निजी क्षेत्रों में खेल अकादमी की स्थापना				
	मूल	50.00			
			10.00	0.00	(-)10.00
	पुनर्वि०	(-)40.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितंबर 2023 को ₹ 40.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी । वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।					

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

2205 कला एवं संस्कृति

00

102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्धन

(13)	34 धार्मिक यात्राओ हेतु प्रदेश के स्थानीय निवासियों को आर्थिक सहायता			
	मूल	10.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-10.00)		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 10.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी। वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(14)	43 राज्योत्सव (राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन)			
	मूल	25.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-25.00)		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 25.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी। वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(15)	95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश			
	मूल	315.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-315.00)		

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 315.00 लाख के अभ्यर्षण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(16)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय			
	95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-50.00)

वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून-2024)।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2202 सामान्य शिक्षा						
<i>01 प्रारंभिक शिक्षा</i>						
	102	अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता				
(1)	07	सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों और केजी/नर्सरी स्कूलों को सहायता				
		मूल	13,000.00			
				13,963.87	13,634.70	(-)329.17
		पुनर्वि०	963.87			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 1,065.35 लाख की वृद्धि वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 101.48 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।						
<i>02 माध्यमिक शिक्षा</i>						
	001	निदेशन तथा प्रशासन				
(2)	12	दून पुस्तकालय एवं अनुसंधान केन्द्र को अनुदान				
		मूल	100.00			
				200.00	200.00	0.00
		पुनर्वि०	100.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।						
	110	गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता				
(3)	04	अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता				
		मूल	120.00			
				163.44	154.92	(-)8.52
		पुनर्वि०	43.44			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2024 को ₹ 35.74 लाख तथा दिनांक 13 मार्च 2024 को ₹ 7.70 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।						
	113	समग्र शिक्षा				
(4)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	35,295.22	35,295.22	82,757.30	(+)47,462.08

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(5)	25 राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं विभिन्न युवा दिवसों का आयोजन			
	मूल	0.00		
	पूरक	20.00	40.17	22.03
	पुनर्वि०	20.17		(-)18.14

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2024 को ₹ 20.17 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

104 खेलकूद और क्रीड़ा

(6)	16 स्थायी क्रीडा उपकर्मों का क्रय			
	मूल	25.00		
	पुनर्वि०	11.30	36.30	36.23
				(-)0.07

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 20 नवंबर 2023 को ₹ 11.30 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

(7)	35 मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना			
	मूल	200.00		
	पुनर्वि०	502.88	702.88	702.88
				0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को ₹ 611.05 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 108.17 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

2205 कला एवं संस्कृति

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(8)	03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय			
	मूल	816.44		
	पुनर्वि०	69.80	886.24	840.58
				(-)45.66

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 65.00 लाख तथा दिनांक 14 फरवरी 2024 को ₹ 4.80 लाख की वृद्धि विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 23,347.94 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 23,347.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 13,809.93 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	29,793.39	14,279.43	15,513.96
2019-20	44,723.43	25,791.14	18,932.29
2020-21	42,421.28	35,253.08	7,168.20
2021-22	58,778.64	30,714.75	28,063.89
2022-23	52,249.67	41,490.71	10,758.96

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

- | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
| (1) | 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना | | | | |
| | मूल | 19,259.52 | | | |
| | | | 26,087.52 | 15,576.04 | (-)10,511.48 |
| | पूरक | 6,828.00 | | | |
| (2) | 11 राजकीय हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कॉलेजो के भवनहीन/ जीर्णशीर्ण भवन/ अवस्थापना सुविधाओ का निर्माण | | | | |
| | मूल | 1,000.00 | 1,000.00 | 865.25 | (-)134.75 |
| (3) | 30 मॉडल स्कूलों में भवन निर्माण | | | | |
| | मूल | 300.00 | 300.00 | 233.85 | (-)66.15 |
| (4) | 37 माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय | | | | |
| | मूल | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,299.27 | (-)1,700.73 |

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश मूल	2,273.28		
	पूरक	695.00	2,968.28	1,800.16
				(-)1,168.12
(6)	98 नाबार्ड पोषित मूल	4,500.00		
	पूरक	2,000.00	6,500.00	4,192.10
				(-)2,307.90
(7)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	2,700.00	2,700.00	85.56
				(-)2,614.44
(8)	17 मुक्त विश्वविद्यालय मूल	500.00		
	पुनर्वि०	(-)121.55	378.45	378.45
				0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फ़रवरी 2024 को ₹ 100.00 लाख तथा दिनांक 12 मार्च 2024 को ₹ 21.55 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(9)	18 श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय मूल	500.00		
	पुनर्वि०	(-)100.00	400.00	400.00
				0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फ़रवरी 2024 को ₹ 100.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(10)	95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश मूल	300.00	300.00	9.51
				(-)290.49
(11)	600 सामान्य 02 एन०सी०सी० प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण मूल	600.00	600.00	33.00
				(-)567.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

02 तकनीकी शिक्षा

(12)	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान 06 पंत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पंत नगर	200.00	200.00	80.02	(-119.98)
	मूल				

03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ

(13)	102 खेलकूद स्टेडिआ 05 खेल स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)	100.00			
	मूल				
	पूरक	2,000.00	1,252.38	1,252.38	0.00
	पुनर्वि०	(-847.62)			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को ₹ 417.07 लाख, दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 390.03 लाख तथा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 40.52 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।

(14)	15 ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम				
	मूल	1,500.00	1,500.00	1,342.14	(-157.86)

04 कला और संस्कृति

(15)	106 संग्रहालय 03 संग्रहालय भवन संबंधी निर्माण	300.00	300.00	102.54	(-197.46)
	मूल				

800 अन्य व्यय

(16)	03 सांस्कृतिक परिषद/कला केंद्र /विद्यालय/ऑडिटोरियम आदि का निर्माण	400.00	400.00	109.16	(-290.84)
	मूल				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

(1)	202 माध्यमिक शिक्षा 18 पुस्तकालय भवनों का निर्माण	50.00	50.00	0.00	(-50.00)
	मूल				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	32 उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय जयहरिखाल पौड़ी का भवन निर्माण			
	मूल	100.00	100.00	0.00
	वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)100.00
	203 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा			
(3)	15 दून विश्वविद्यालय			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)100.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 52.60 लाख तथा दिनांक 12 मार्च 2024 को ₹ 47.40 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(4)	19 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय			
	मूल	100.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)100.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को ₹ 100.00 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण की गयी । वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
	600 सामान्य			
(5)	03 एन०सी०सी० कार्यालय भवन निर्माण			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,058.54	1,058.54	0.00
	वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)1,058.54
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान			
(7)	11 इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्तरकाशी			
	मूल	361.94	361.94	0.00
				(-)361.94

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(8)	12 सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान, पिथौरागढ़			
	मूल	200.00	200.00	0.00
	वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)200.00

03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ

	102 खेलकूद स्टेडिआ			
(9)	08 खेल निदेशालय की स्थापना			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 50.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।			

(10)	96 पूर्व योजनाओं के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	500.00	500.00	0.00
				(-)500.00

04 कला और संस्कृति

	106 संग्रहालय			
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	244.19	244.19	0.00
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)244.19

(12)	95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश			
	मूल	91.53	91.53	0.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)91.53

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून-2024) ।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

203 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा

(1) 14 कुमाऊं विश्वविद्यालय

मूल 100.00

221.55 221.55 0.00

पुनर्वि० 121.55

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 52.60 लाख तथा दिनांक 12 मार्च 2024 को ₹ 68.95 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

(2) 23 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोडा

मूल 500.00

800.00 800.00 0.00

पुनर्वि० 300.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को ₹ 300.00 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ

102 खेलकूद स्टेडिआ

(3) 09 अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण

मूल 100.00

907.10 897.10 (-)10.00

पुनर्वि० 807.10

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2023 को ₹ 417.07 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 390.03 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण			आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

राजस्व:

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण

दत्तमत -

मूल	37,68,24,68			
		43,67,05,91	35,06,44,65	(-),8,60,61,26
पूरक	5,98,81,23			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				2,15,99,73

पूँजीगत:

4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	4,49,62,64			
		6,75,60,37	6,63,15,72	(-),12,44,65
पूरक	2,25,97,73			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 86,061.26 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 21,599.73 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 86,061.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 59,881.23 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	222,290.42	172,645.40	49,645.02
2019-20	230,224.31	178,243.01	51,981.30
2020-21	238,341.58	209,904.32	28,437.26
2021-22	319,846.44	247,475.50	72,370.94
2022-23	403,193.40	348,809.45	54,383.95

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी				
	110 अस्पताल एवं औषधालय				
(1)	03 एलोपैथी चिकित्सालयों एवं औषधालय का अधिष्ठान				
	मूल	39,006.53			
	पूरक	561.00	39,256.53	35,278.91	(-)3,977.62
	पुनर्वि०	(-)311.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2023 को ₹ 78.00 लाख, दिनांक 02 जनवरी 2024 को ₹ 20.00 लाख, दिनांक 03 जनवरी 2024 को ₹ 708.00 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 5.00 लाख की कमी वेतन, अन्य भत्ते और पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गयी। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 फ़रवरी 2024 को ₹ 500.00 लाख की वृद्धि औषधि तथा रसायन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				
(2)	05 क्षय रोग चिकित्सालयों का अधिष्ठान				
	मूल	3,192.00			
			2,825.83	2,782.10	(-)43.73
	पुनर्वि०	(-)366.17			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 366.17 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
(3)	11 ब्लड बैंक की स्थापना/अधिष्ठान				
	मूल	284.51	284.51	246.70	(-)37.81
(4)	14 विधानसभा में रा0एलो0 औषधालय की स्थापना				
	मूल	124.76	124.76	108.90	(-)15.86
(5)	23 गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र की स्थापना				
	मूल	273.50			
			123.50	37.85	(-)85.65
	पुनर्वि०	(-)150.00			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 150.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	24 उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का अधिष्ठान			
	मूल	462.85		
			474.35	
	पूरक	11.50		
			321.09	(-153.26)
(7)	25 अस्पतालों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण			
	मूल	250.00	250.00	
			194.97	(-55.03)
(8)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ			
	मूल	15,091.87	15,091.87	
			9,450.00	(-5,641.87)
	200 अन्य स्वास्थ्य सेवाएं			
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	179.28	179.28	
			145.59	(-33.69)
(10)	03 प्रदेश में अधेपन की रोकथाम (राज्य पोषित)			
	मूल	1,021.50	1,021.50	
			826.68	(-194.82)
(11)	05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण			
	मूल	117.75	117.75	
			8.03	(-109.72)
(12)	07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना			
	मूल	394.52	394.52	
			353.58	(-40.94)
	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
	101 आयुर्वेद			
(13)	03 निदेशन एवं प्रशासन			
	मूल	2,100.22		
	पूरक	59.90	1,817.55	
	पुनर्वि०	(-342.57)		
			1,728.32	(-89.23)

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 29.05 लाख की कमी यात्रा व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व, मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र तथा अनुरक्षण में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 13.52 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(14)	04 विभागीय औषद्धि विनिर्माण			
	मूल	512.90		
	पुनर्वि०	(-6.52)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 6.52 लाख की कमी मजदूरी, यात्रा व्यय, पारिश्रमिक तथा विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।	506.38	454.15	(-52.23)
(15)	11 आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को सहायता			
	मूल	6,090.00	6,090.00	5,429.00
	बचत			(-661.00)
	102 होम्योपैथी			
(16)	04 अस्पताल एवं औषधालय			
	मूल	1,289.77		
	पूरक	50.00	1,268.69	1,088.89
	पुनर्वि०	(-71.08)		(-179.80)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 नवंबर 2023 को ₹ 5.70 लाख, दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 50.53 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2024 को ₹ 17.00 लाख की कमी वेतन, पारिश्रमिक, गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद तथा लघु निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 नवंबर 2023 को ₹ 2.00 लाख तथा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 0.15 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय एवं औषधि तथा रसायन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी			
	101 स्वास्थ्य उपकेंद्र			
(17)	03 दूरस्थ क्षेत्रों के उपकेन्द्रों में फार्मासिस्टों का अधिष्ठान			
	मूल	6,608.87		
	पूरक	10.00	5,736.22	5,676.49
	पुनर्वि०	(-882.65)		(-59.73)
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 882.65 लाख के अभ्यर्पण योजना के तहत हुई बचत के कारण किए गए ।			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र			
(18)	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान			
	मूल	13,687.50		
	पूरक	700.00	12,823.77	12,474.61
	पुनर्वि०	(-1,563.73)		(-349.16)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2024 को ₹ 500.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 2063.73 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
	110 अस्पताल एवं औषधालय			
(19)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	77,337.93		
	पूरक		97,949.93	57,316.00
				(-40,633.93)
	पूरक	20,612.00		
(20)	17 राजकीय एलोपैथिक, ग्रामीण महिला चिकित्सालयों एवं ट्रामा सेंटर का अधिष्ठान			
	मूल	14,280.00		
	पूरक	700.00	13,901.81	13,025.40
	पुनर्वि०	(-1,078.19)		(-876.41)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2024 को ₹ 15.20 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2024 को ₹ 495.00 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गयी । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2024 को ₹ 700.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,267.99 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(21)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	8,533.02		
	पूरक		10,824.04	8,646.58
				(-2,177.46)
	पूरक	2,291.02		
	800 अन्य व्यय			
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	117.01	117.01	103.34
				(-13.67)

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
	105 एलोपैथी			
(23)	04 मेडिकल कॉलेज			
	मूल	52,813.51		
	पूरक	2,694.04	44,239.80	43,751.14
	पुनर्वि०	(-11,267.75)		(-488.66)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 890.00 लाख की कमी चिकित्सा प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 10,377.75 लाख के अभ्यर्षण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(24)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा			
	मूल	2,413.58		
	पूरक	335.10	2,748.68	2,324.74
				(-423.94)
	06 लोक स्वास्थ्य			
	003 प्रशिक्षण			
(25)	03 संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठान			
	मूल	397.00		
	पुनर्वि०	9.00	406.00	336.83
				(-69.17)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 9.00 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
	101 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण			
(26)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	87.25	87.25	75.77
				(-11.48)
(27)	05 मातृ एवं शिशु कल्याण का अधिष्ठान			
	मूल	5,636.00		
	पूरक	2,000.00	5,844.70	5,830.63
	पुनर्वि०	(-1,791.30)		(-14.07)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 10.00 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,781.30 लाख के अभ्यर्षण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(28)	06 कुष्ठ चिकित्सालयों का अधिष्ठान			
	मूल	993.50	993.50	789.14
				(-)204.36
(29)	08 राज्य एड्स एवं रक्त संचरण परिषद हेतु (राज्यांश)			
	मूल	118.00		
			59.56	59.00
	पुनर्वि०	(-)58.44		(-)0.56
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2023 को ₹ 14.44 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 44.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(30)	12 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण की स्थापना/अधिष्ठान			
	मूल	115.01		
			134.01	97.55
	पूरक	19.00		(-)36.46
(31)	14 राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना			
	मूल	500.00		
			1,247.22	434.63
	पूरक	747.22		(-)812.59
(32)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन (पी0पी0पी0)			
	मूल	2,000.00		
			1,000.00	981.85
	पुनर्वि०	(-)1,000.00		(-)18.15
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2024 को ₹ 500.00 लाख तथा दिनांक 21 फरवरी 2024 को ₹ 500.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(33)	113 लोक स्वास्थ्य प्रचार			
	03 राज्य में लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रचार-प्रसार			
	मूल	80.00	80.00	35.23
				(-)44.77

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

2211 परिवार कल्याण

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(34) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 1,559.70

पूरक 125.00 1,330.74 1,029.03 (-)301.71

पुनर्वि० (-)353.96

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 353.96 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

003 प्रशिक्षण

(35) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 343.50 343.50 304.34 (-)39.16

101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ

(36) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 15,258.50

पूरक 4,300.00 19,096.40 14,741.04 (-)4,355.36

पुनर्वि० (-)462.10

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 462.10 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

102 शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ

(37) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 482.75 482.75 393.19 (-)89.56

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

06 लोक स्वास्थ्य

101 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण

(1) 13 दुर्लभ बीमारीयों से ग्रसित मरीजों का उपचार

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	800 अन्य व्यय			
(2)	17 जनपदों में महिला लिंगानुपात बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन राशि			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)5.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी

110 अस्पताल एवं औषधालय

(1)	10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना			
	मूल	100.07		
	पुनर्वि०	35.20	135.27	110.50
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2024 को ₹ 20.00 लाख तथा दिनांक 12 फरवरी 2024 को ₹ 15.20 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा पारिश्रमिक हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			(-)24.77
(2)	16 सचिवालय में एवं उत्तराखंड निवास, नई दिल्ली में राजकीय एलोपैथी औषधालय की स्थापना/ अधिष्ठान			
	मूल	121.25		
	पुनर्वि०	122.00	243.25	157.71
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2024 को ₹ 11.11 लाख तथा दिनांक 05 फरवरी 2024 को ₹ 110.89 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			(-)85.54

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कार्यालयों का अधिष्ठान मूल पुनर्वि० प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 मार्च 2024 को ₹ 495.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 265.54 लाख के अभ्यर्पण योजना के तहत हुई बचत के कारण किए गए।	3,526.50	3,755.96	3,653.63 (-)102.33
	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ			
	101 आयुर्वेद			
(4)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल पुनर्वि० प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 58.30 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।	250.00	308.30	308.30 0.00
	102 होम्योपैथी			
(5)	03 निदेशन तथा प्रशासन मूल पूरक पुनर्वि० प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 नवंबर 2023 को ₹ 5.70 लाख, दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 76.31 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2024 को ₹ 17.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व तथा कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 0.15 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण की गयी ।	219.57	339.33	333.29 (-)6.04
	05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
	105 एलोपैथी			
(6)	09 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय मूल पूरक पुनर्वि० प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 890.00 लाख की वृद्धि मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।	340.01	1,313.01	1,175.42 (-)137.59

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

पूँजीगत:
दत्तमत-

- (vii) ₹ 1,244.65 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	22,980.07	18,740.30	4,239.77
2019-20	18,821.65	9,759.50	9,062.15
2020-21	30,543.42	17,294.21	13,249.21
2021-22	48,064.24	31,319.47	16,744.77
2022-23	39,507.42	29,837.44	9,669.98

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ

110 अस्पताल एवं औषधालय

- (1) 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था
- | | | | | |
|-----|----------|----------|--------|-----------|
| मूल | 1,000.00 | 1,000.00 | 755.50 | (-)244.50 |
|-----|----------|----------|--------|-----------|

- (2) 30 मानसिक चिकित्सालयों का निर्माण

मूल	1,000.00			
पुनर्वि०	(-)700.00	300.00	300.00	0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2023 को ₹ 500.00 लाख तथा दिनांक 02 जनवरी 2024 को ₹ 200.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।

03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान

101 आयुर्वेद

- (3) 05 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन का निर्माण

मूल	400.00	400.00	271.17	(-)128.83
-----	--------	--------	--------	-----------

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	105 एलोपैथी			
(4)	08 दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना (एस०पी०ए०)			
	मूल	5,000.00		
	पूरक	1,411.00	5,000.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,411.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2023 को ₹ 1,411.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(5)	09 हलद्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पतालों की स्थापना			
	मूल	800.00		
	पूरक	700.00	621.78	(-338.08)
	पुनर्वि०	(-878.22)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2023 को ₹ 700.00 लाख तथा दिनांक 13 मार्च 2024 को ₹ 178.22 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।			
(6)	10 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना			
	मूल	600.00		
	पूरक	540.70	600.00	0.00
	पुनर्वि०	(-540.70)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2023 को ₹ 540.70 लाख की कमी आतिथ्य व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(7)	13 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना (चंपावत, बाजपुर एवं गुप्तकाशी)			
	मूल	500.00		
	पूरक	200.00	500.00	0.00
	पुनर्वि०	(-200.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2023 को ₹ 200.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान

105 एलोपैथी

(1) 11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना

मूल	100.00			
पूरक	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
पुनर्वि०	(-)100.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2023 को ₹ 100.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी। वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2) 12 अल्मोडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना

मूल	10.00			
पूरक	400.00	210.00	0.00	(-)210.00
पुनर्वि०	(-)200.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख की कमी भूमि क्रय में हुई बचत के कारण की गयी।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून-2024)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ

110 अस्पताल एवं औषधालय

(1) 17 अनावासीय भवनों में वृहद् स्तरीय अनुरक्षण, विस्तारीकरण और निर्माण

मूल	800.00			
		1,300.00	1,076.88	(-)223.12
पुनर्वि०	500.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2023 को ₹ 500.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	23 उप जिला चिकित्सालयों का निर्माण			
	मूल	500.00		
			700.00	0.00
	पुनर्वि०	200.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2024 को ₹ 200.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
	03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान			
	105 एलोपैथी			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	28,611.70		
	पूरक	8,199.11	40,045.63	0.00
	पुनर्वि०	3,234.82		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2023 को ₹ 3,234.82 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
(4)	03 श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना			
	मूल	200.00		
	पूरक	91.20	498.22	0.00
	पुनर्वि०	207.02		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 मार्च 2024 को ₹ 98.22 लाख तथा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 200.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2023 को ₹ 91.20 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(5)	17 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय			
	मूल	0.01		
			80.01	80.00
	पुनर्वि०	80.00		(-)0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 मार्च 2024 को ₹ 80.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			

	अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास			
मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)	
			(₹ हजार में)	

राजस्व:

2215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
2216	आवास
2217	शहरी विकास

दत्तमत -

मूल	11,27,53,04			
		13,84,11,88	11,88,96,08	(-1,95,15,80)
पूरक	2,56,58,84			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				16,24,70

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 12,62,92 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	13,98,16,07			
		27,18,91,52	16,05,52,98	(-11,13,38,54)
पूरक	13,20,75,45			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				1,51,00

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- (i) ₹ 19,515.80 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,624.70 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	70,507.26	56,153.00	14,354.26
2019-20	68,149.01	52,075.06	16,073.95
2020-21	174,320.61	101,260.98	73,059.63
2021-22	92,416.47	56,811.33	35,605.14
2022-23	98,304.93	88,808.89	9,496.04

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:						
2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता						
<i>01 जलापूर्ति</i>						
101 शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम						
(1)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	100.00	100.00	66.49	(-)33.51
102 ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम						
(2)	07	केन्द्र पोषित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान				
		मूल	14,000.00			
		पूरक	15,000.00	21,736.45	21,736.45	0.00
		पुनर्वि०	(-7,263.55)			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को ₹ 1,659.82 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 5,603.73 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी।						
190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता						
(3)	05	पेयजल निगम को अर्जित सेंटेंज के सापेक्ष वेतन भुगतान के गैप की पूर्ति हेतु अनुदान				
		मूल	2,500.00	2,500.00	2,023.85	(-)476.15
(4)	07	के०एफ०डब्ल्यू० परियोजना का संचालन				
		मूल	200.00	200.00	100.00	(-)100.00
<i>02 जल-मल निकासी एवं स्वच्छता</i>						
105 स्वच्छता सेवाएँ						
(5)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	672.30	672.30	63.76	(-)608.54
(6)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	74.70	74.70	7.08	(-)67.62

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2216 आवास				
	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(7)	02 उत्तराखंड भूसंपदा अपीलीय अधिकरण				
	मूल	0.00			
			376.00	324.19	(-)51.81
	पूरक	376.00			
	2217 शहरी विकास				
	03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(8)	06 नगर एवं ग्रामीण नियोजन अधिष्ठान				
	मूल	526.96			
	पूरक	181.00	575.81	479.02	(-)96.79
	पुनर्वि०	(-)132.15			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 132.15 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
(9)	07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान				
	मूल	47.00	47.00	20.16	(-)26.84
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार मंडलों आदि को सहायता।				
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	15,821.01			
			16,117.81	11,483.69	(-)4,634.12
	पूरक	296.80			
(11)	03 नगरो का समेकित विकास				
	मूल	8,520.01			
			8,720.01	7,644.84	(-)1,075.17
	पूरक	200.00			
(12)	95 केंद्रीय पोषित योजना मे राज्यांश				
	मूल	4,225.58			
			4,480.78	1,759.77	(-)2,721.01
	पूरक	255.20			

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	96	पूर्व योजना के सापेक्ष टॉप अप मूल	0.00	1,000.00	550.00	(-)450.00
		पूरक	1,000.00			
(14)	97	बाह्य सहायतित परियोजनाएँ मूल	5,175.00	6,175.00	2,799.00	(-)3,376.00
		पूरक	1,000.00			
		04 झुग्गी क्षेत्र में सुधार				
		001 निदेशन तथा प्रशासन				
(15)	03	शहरी विकास निदेशालय अधिष्ठान मूल	606.50	609.50	487.79	(-)121.71
		पूरक	3.00			
		80 सामान्य				
		001 निदेशन तथा प्रशासन				
(16)	02	हरिद्वार कुम्भ/अर्ध कुम्भ मेला अस्थायी अधिष्ठान मूल	142.50	142.50	78.76	(-)63.74
(17)	03	नगर पंचायतों का चुनाव मूल	2,024.95	532.41	439.48	(-)92.93
		पुनर्वि०	(-)1,492.54			
		दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,492.54 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(18)	04	उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग मूल	87.72	87.72	18.23	(-)69.49
(19)	05	शहरी भूमि सीमा वृक्षारोपण मूल	19.35	19.35	13.26	(-)6.09
(20)	06	उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद मूल	130.50	130.50	85.40	(-)45.10

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

क्रम सं०	शीर्ष सं०	अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	(iv)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
		2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता			
		01 जलापूर्ति			
		001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03	परामर्श, रिमोट सेंसिंग और मास्टर प्लान			
		मूल	5.00	5.00	0.00
		वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-) 5.00
		101 शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम			
(2)	97	बाह्य / विश्वबैंक सहायतित			
		मूल	1,000.00	1,000.00	0.00
					(-) 1,000.00
		2216 आवास			
		80 सामान्य			
		800 अन्य व्यय			
(3)	04	यूनिटी मोल/प्लाजा निर्माण			
		मूल	10.00	10.00	0.00
					(-) 10.00
(4)	05	ग्रीन फील्ड/ ब्राउन फील्ड शहरों की स्थापना			
		मूल	2,500.00	2,500.00	0.00
					(-) 2,500.00
		2217 शहरी विकास			
		03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास			
		001 निदेशन तथा प्रशासन			
(5)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
		मूल	100.00	100.00	0.00
					(-) 100.00
		191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार मंडलों आदि को सहायता।			
(6)	06	सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति कूड़ा बिननें वालों, सपेरा आदि हेतु सहायता			
		मूल	10.00	10.00	0.00
		वर्ष 2016-17 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-) 10.00

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...			
	800 अन्य व्यय			
(7)	19 नजूल भूमि फ्रीहोल्ड करने हेतु जमा धनराशी की वापसी			
	मूल	50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)50.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।			
(v)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
	2215 जल आपूर्ति एवं स्वच्छता			
	01 जलापूर्ति			
	101 शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम			
(1)	05 नगरीय पेय जल			
	मूल	30,040.01		
	पूरक	2,000.00	37,643.74	37,633.45
	पुनर्वि०	5,603.73		(-)10.29
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 5,603.73 लाख की वृद्धि उपयोगिता बिलों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			
	800 अन्य व्यय			
(2)	08 पेयजल योजनाओं के दैवीय आपदा, अतिवृष्टि एवं बादल फटने के कारण, पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण हेतु अनुदान			
	मूल	500.00		
			1,500.00	1,500.00
	पुनर्वि०	1,000.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			
	02 जल-मल निकासी एवं स्वच्छता			
	106 वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम			
(3)	03 गंगा कार्यकारी योजना के अंतर्गत रखरखाव हेतु जल संस्थान को अनुदान (चरण 1, 2)			
	मूल	2,200.00		
			2,859.82	2,859.82
	पुनर्वि०	659.82		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2024 को ₹ 659.82 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	---	------------	---------------	--------------------------------------

2217 शहरी विकास

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

(4)	10 कावड़ मेले के आयोजन हेतु अनुदान				
	मूल	180.00			
			641.51	661.50	(+)19.99
	पूरक	461.51			

पूँजीगत: दत्तमत-

- (vi) ₹ 1,11,338.54 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 151.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2018-19	111,516.99	59,786.24	51,730.75	
2019-20	143,214.01	101,540.98	41,673.03	
2020-21	173,380.60	110,040.43	63,340.17	
2021-22	230,585.60	133,642.61	96,942.99	
2022-23	151,396.26	103,565.60	47,830.66	

- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय

01 जलापूर्ति

101 शहरी जल आपूर्ति

(1)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ				
	मूल	1,500.00			
			1,004.68	1,004.68	0.00
	पुनर्वि०	(-)495.32			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 सितंबर 2023 को ₹ 495.32 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति				
(2)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ				
	मूल	23,806.00			
			21,970.17	13,854.90	(-)8,115.27
	पुनर्वि०	(-)1,835.83			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2024 को ₹ 835.83 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 1,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।				
	02 सीवरेज एवं स्वच्छता				
	106 मलजल सेवाएँ				
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	6,000.00			
			7,337.47	4,332.45	(-)3,005.02
	पूरक	1,337.47			
(4)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	800.00			
			948.61	481.39	(-)467.22
	पूरक	148.61			
	4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय				
	03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
	051 निर्माण				
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	30,500.01			
			31,549.01	11,848.00	(-)19,701.01
	पुनर्वि०	1,049.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2023 को ₹ 1,049.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(6)	05 गैरसैन में अवस्थापना कार्य				
	मूल	1,000.00	1,000.00	885.51	(-)114.49

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	12,990.01	12,990.01	11,000.00	(-)1,990.01
(8)	191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता।				
	03	नगरों का समेकित विकास				
		मूल	0.00	200.00	177.19	(-)22.81
		पूरक	200.00			
(9)	97	बाह्य सहायतित परियोजनाएँ				
		मूल	10,600.00			
		पूरक	6,900.00	16,451.00	14,900.00	(-)1,551.00
		पुनर्वि०	(-)1,049.00			
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 नवंबर 2023 को ₹ 1,049.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय						
		01	जलापूर्ति			
		102	ग्रामीण जल आपूर्ति			
(1)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	0.02	40,000.02	0.00	(-)40,000.02
		पूरक	40,000.00			
(2)	98	नाबार्ड वित्त पोषित				
		मूल	3,800.00	4.49	0.00	(-)4.49
		पुनर्वि०	(-)3,795.51			
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 सितंबर 2023 को ₹ 35.75 लाख, 12 सितंबर 2023 को ₹ 3,700.00 लाख तथा दिनांक 21 सितंबर 2023 को ₹ 59.76 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।				

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय					
	80 सामान्य					
	800 अन्य व्यय					
(3)	04 ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करना					
	मूल	200.00		3,200.00	0.00	(-)3,200.00
	पूरक	3,000.00				
(4)	05 हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना					
	मूल	200.00		2,700.00	0.00	(-)2,700.00
	पूरक	2,500.00				
(5)	06 ग्रीन सिटी/ ब्राउन सिटी निर्माण					
	मूल	1,000.00		1,000.00	0.00	(-)1,000.00
(6)	07 यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण					
	मूल	10.00		5,010.00	0.00	(-)5,010.00
	पूरक	5,000.00				
	4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय					
	01 कोई विवरण नहीं					
	051 निर्माण-कार्य					
(7)	02 मेट्रो रेल का निर्माण					
	मूल	10,100.00		6,100.00	0.00	(-)6,100.00
	पुनर्वि०	(-)4,000.00				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2024 को ₹ 4,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
	03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास					
	051 निर्माण					
(8)	03 शहरी विकास निदेशालय भवन का निर्माण					
	मूल	500.00		500.00	0.00	(-)500.00
	वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9)	06 आवास विभाग के अंतर्गत विभाग/ प्राधिकरण/ निगम/ परिषद के उपयोगार्थ कार्यालय भवन निर्माण					
	मूल		200.00	200.00	0.00	(-)200.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।					
(10)	98 नाबार्ड पोषित					
	मूल		10.00			
				13,536.00	0.00	(-)13,536.00
	पूरक		13,526.00			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।					
(x)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:					
	4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय					
	<i>01 जलापूर्ति</i>					
	101 शहरी जल आपूर्ति					
(1)	03 नगरीय पेयजल					
	मूल		8,600.00			
				9,600.00	9,583.98	(-)16.02
	पुनर्वि०		1,000.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।					
(2)	07 पेयजल/जलोत्सारण हेतु अनुदान					
	मूल		50.00			
				981.34	981.34	0.00
	पुनर्वि०		931.34			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 सितंबर 2023 को ₹ 35.75 लाख, दिनांक 21 सितंबर 2023 को ₹ 59.76 लाख तथा दिनांक 01 फरवरी 2024 को ₹ 835.83 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान में हुई बचत के कारण की गयी ।					

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(3)	95 केंद्रीय पोषित योजनाओं में राज्यांश			
	मूल	10,000.01		
	पूरक	26,163.35	40,358.68	40,358.67
	पुनर्वि०	4,195.32		(-)0.01

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2023 को ₹ 3,700.00 लाख तथा दिनांक 13 सितंबर 2023 को ₹ 495.32 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
(4)	02 अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
	मूल	10,000.00		
	पूरक	5,000.00	18,849.00	15,113.19
	पुनर्वि०	3,849.00		(-)3,735.81

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 फरवरी 2024 को ₹ 4,000.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 151.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 14 सूचना कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	-----------------------------------	------------------	--

राजस्व:

2220 सूचना एवं प्रसार

दत्तमत -

मूल	1,39,33,59	2,72,42,06	2,59,11,65	(-)13,30,41
पूरक	1,33,08,47			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				1,05,42

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,81,41,62 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूँजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	1,00,00	1,00,00	...	(-)1,00,00
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,330.41 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 105.42 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	12,774.27	11,882.51	891.76
2019-20	7,604.13	5,599.57	2,004.56
2020-21	13,129.42	10,643.21	2,486.21
2021-22	39,514.93	38,340.93	1,174.00
2022-23	17,878.88	16,726.24	1,152.64

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-------	---	---------------	--------------------------------------

(iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2220 सूचना एवं प्रसार

01 फिल्म

105 फिल्मों का निर्माण

(1) 06 फिल्म परिषद् की स्थापना

मूल 1,100.00

480.00 317.48 (-)162.52

पुनर्वि० (-)620.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 620.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।

60 अन्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2) 03 अधिष्ठान व्यय

मूल 2,003.71

पूरक 374.50 2,139.46 1,759.20 (-)380.26

पुनर्वि० (-)238.75

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 133.33 लाख की कमी व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 105.42 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

102 सूचना केन्द्र

(3) 03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान

मूल 83.43

84.93 53.65 (-)31.28

पुनर्वि० 1.50

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	04 हलद्वानी मीडिया सेंटर				
	मूल	33.98			
	पुनर्वि०	4.14	38.12	23.55	(-)14.57
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 4.14 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, कार्यालय व्यय, किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(5)	106 क्षेत्र प्रचार 03 अधिष्ठान				
	मूल	452.36			
	पुनर्वि०	71.69	524.05	379.92	(-)144.13
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 71.69 लाख की वृद्धि किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(6)	107 गीत और नाटक सेवाएँ 02 गीत एवं नाट्य योजना				
	मूल	88.00	88.00	64.27	(-)23.73
(7)	800 अन्य व्यय 06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति				
	मूल	60.00	60.00	38.86	(-)21.14
(8)	07 प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति का गठन				
	मूल	50.00	50.00	7.32	(-)42.68

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 14 सूचना समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(iv) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2220 सूचना एवं प्रचार					
01 फिल्म					
105 फ़िल्मों का निर्माण					
(1)	03 अधिष्ठान				
	मूल	782.62			
			1,120.62	1,036.37	(-) 84.25
	पुनर्वि०	338.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 338.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				
60 अन्य					
800 अन्य व्यय					
(2)	03 स्वतंत्रता एवं गणतंत्र दिवस सम्बन्धी उत्सवों आदि पर व्यय (उत्तराखंड सचिवालय को छोड़कर)				
	मूल	140.00			
	पूरक	350.00	754.00	553.43	(-) 200.57
	पुनर्वि०	264.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 मार्च 2024 को ₹ 264.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (v) ₹ 100.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन					
051 निर्माण					
04 मीडिया से सम्बंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास					
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें		
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2251	सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ			

दत्तमत -

मूल	26,59,27,37			
		28,12,77,37	24,39,29,69	(-)3,73,47,68
पूरक	1,53,50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				83,31,52

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 30,35,03 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 49,98 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			

दत्तमत -

मूल	1,90,97,14			
		3,11,82,34	1,91,62,71	(-)1,20,19,63
पूरक	1,20,85,20			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				12,77,00

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 15,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 37,347.68 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 8,331.52 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 37,347.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 15,350.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	170,943.24	134,182.98	36,760.26
2019-20	185,921.41	144,405.00	41,516.41
2020-21	197,295.72	149,445.28	47,850.44
2021-22	234,344.19	164,571.09	69,773.10
2022-23	298,585.90	228,499.98	70,085.92

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

01 अनुसूचित जाति का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

- 03 मुख्यालय एवं मंडलीय अधिष्ठान

मूल 660.51

680.51 548.41 (-)132.10

पूरक 20.00

- 05 जिला कार्यालयों का अधिष्ठान

मूल 1,565.04

पूरक 50.00

1,636.76 1,261.77 (-)374.99

पुनर्वि० 21.72

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को ₹ 21.72 लाख की वृद्धि गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

- 06 आई0टी0सैल

मूल 113.32

113.32 91.07 (-)22.25

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(4)	04 उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन					
	मूल	97.91	97.91	48.20	(-)49.71	
	102 आर्थिक विकास					
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	1,109.00	1,109.00	847.68	(-)261.32	
	04 अल्पसंख्यकों का कल्याण					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(6)	02 उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को सहायता					
	मूल	300.00	300.00	100.00	(-)200.00	
(7)	03 प्रांतीय हज समिति को अनुदान					
	मूल	101.11	101.11	46.68	(-)54.43	
(8)	04 अल्पसंख्यक आयोग का अधिष्ठान					
	मूल	124.52	124.52	99.17	(-)25.35	
(9)	05 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय					
	मूल	158.97				
	पुनर्वि०	5.60	164.57	138.99	(-)25.58	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2024 को ₹ 0.30 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 5.30 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद में हुई बचत के कारण की गयी ।					
(10)	06 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों की स्थापना					
	मूल	198.18				
	पुनर्वि०	(-)5.30	192.88	157.85	(-)35.03	
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 5.30 लाख की कमी गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद, मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।					

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	15 कल्याण योजनायें क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता					
(11)	02 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को विकास कार्यों के संचालन हेतु सहायता					
	मूल	220.02	220.02	110.00	(-)110.02	
	277 शिक्षा					
(12)	02 अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति					
	मूल	203.00	142.60	7.49	(-)135.11	
	पुनर्वि०	(-)60.40				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को ₹ 60.40 लाख की कमी छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन में हुई बचत के कारण की गयी ।					
(13)	04 मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनैस फाउंडेशन					
	मूल	200.00	200.00	100.00	(-)100.00	
(14)	06 अरबी फ़ारसी मदरसा बोर्ड					
	मूल	123.33	123.33	68.91	(-)54.42	
	800 अन्य व्यय					
(15)	02 मदरसों का आधुनिकीकरण					
	मूल	200.01	200.01	133.95	(-)66.06	
(16)	09 वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए सहायता					
	मूल	26.35	26.35	10.39	(-)15.96	
	2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण					
	02 समाज कल्याण					
	101 विकलांगों का कल्याण					
(17)	04 विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आश्रित कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण केंद्र					
	मूल	149.56	149.56	98.81	(-)50.75	
(18)	07 दिव्यांग युवक/युवतियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन					
	मूल	25.00	25.00	7.00	(-)18.00	
(19)	09 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति/वजीफा					
	मूल	10.00	10.00	0.70	(-)9.30	

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(20)	11 दिवयांगजन आयुक्त कार्यालय				
	मूल	45.00	45.00	28.49	(-)16.51
(21)	19 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता।				
	मूल	50.00	50.00	6.64	(-)43.36
	102 बाल कल्याण				
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	56,009.85			
	पूरक	100.02	54,359.68	41,586.72	(-)12,772.96
	पुनर्वि०	(-)1,750.19			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,750.19 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
(23)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र				
	मूल	381.80			
			365.04	286.61	(-)78.43
	पुनर्वि०	(-)16.76			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ₹ 20.00 लाख की कमी वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण की गयी। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 3.24 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				
(24)	05 बाल कल्याण न्यायालय बोर्ड की स्थापना				
	मूल	49.65	49.65	34.31	(-)15.34
(25)	06 बाल कल्याण की विविध योजनाएँ				
	मूल	167.50	167.50	99.03	(-)68.47
(26)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन				
	मूल	981.00			
			999.07	789.86	(-)209.21
	पुनर्वि०	18.07			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 18.07 लाख की वृद्धि पारिश्रमिक तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(27)	15 निदेशालय				
	मूल	3,012.39			
	पूरक	217.04	2,490.65	2,010.82	(-479.83)
	पुनर्वि०	(-738.78)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2024 को ₹ 89.00 लाख की वृद्धि कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण, गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद तथा अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 827.78 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(28)	18 मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना				
	मूल	1,000.00			
			797.44	727.88	(-69.56)
	पुनर्वि०	(-202.56)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 202.56 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(29)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	6,347.12			
	पूरक	0.02	6,186.63	4,918.84	(-1,267.79)
	पुनर्वि०	(-160.51)			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 160.51 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
	103 महिला कल्याण				
(30)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,255.79			
			1,319.49	954.59	(-364.90)
	पूरक	63.70			
(31)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना				
	मूल	157.75			
			159.05	97.65	(-61.40)
	पूरक	1.30			

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(32)	13 कार्यस्थलों पर यौन उत्पीडन, बाल विवाह और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा				
	मूल	50.00			
	पुनर्वि०	(-9.00)	41.00	33.68	(-7.32)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2024 को ₹ 9.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(33)	14 मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए आवासीय गृह का संचालन				
	मूल	229.00	229.00	193.30	(-35.70)
(34)	18 कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों में स्टाफ की व्यवस्था				
	मूल	25.00	25.00	4.52	(-20.48)
(35)	19 महिला कल्याण निदेशालय				
	मूल	380.00			
	पुनर्वि०	(-1.31)	378.69	197.68	(-181.01)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 21.31 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि वेतन तथा महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(36)	20 परित्यक्त /निराश्रित महिला, मानसिक विकृत व्यक्ति की पत्नी का भरण पोषण अनुदान				
	मूल	1,000.00			
	पूरक	215.47	1,186.88	964.31	(-222.57)
	पुनर्वि०	(-28.59)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 28.59 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(37)	104 वृद्धों, अशक्तों और निराश्रितों का कल्याण 03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह				
	मूल	89.02	89.02	37.34	(-51.68)
(38)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण				
	मूल	117.51	117.51	59.09	(-58.42)

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता					
(39)	03 मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुदान					
	मूल	35.00	35.00	17.74	(-)17.26	
	200 अन्य कार्यक्रम					
(40)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	604.76	604.76	197.73	(-)407.03	
(41)	04 निराश्रित विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान					
	मूल	900.00	900.00	427.50	(-)472.50	
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम					
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना					
(42)	96 पूर्व योजना के सापेक्ष टॉप अप					
	मूल	23,884.87				
			23,912.04	20,557.38	(-)3,354.66	
	पुनर्वि०	27.17				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 जून 2023 को ₹ 2,205.95 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ₹ 1.39 लाख, दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ₹ 588.50 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 1,588.89 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी।					
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
	200 अन्य कार्यक्रम					
(43)	03 सैनिकों का कल्याण					
	मूल	3,912.59				
			4,374.04	3,920.42	(-)453.62	
	पूरक	461.45				
(44)	07 राज्य आंदोलनकारियों के कल्याणार्थ पेंशन की सुविधा हेतु कॉर्पस फंड की स्थापना					
	मूल	4,500.00				
			3,237.51	3,232.74	(-)4.77	
	पुनर्वि०	(-)1,262.49				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को ₹ 15.00 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,247.49 लाख के अभ्यर्ण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।					

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

	2251 सचिवालय - सामाजिक सेवाएँ				
	00				
	092 अन्य कार्यालय				
(45)	05 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान एवं अन्य सहायता				
	मूल	35.00	35.00	20.50	(-)14.50

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

	2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	277 शिक्षा				
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	195.00	195.00	0.00	(-)195.00
(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	195.00	195.00	0.00	(-)195.00

	800 अन्य व्यय				
(3)	07 गोरखा कल्याण परिषद				
	मूल	51.00			
			29.28	0.00	(-)29.28
	पुनर्वि०	(-)21.72			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को ₹ 21.72 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण की गयी।

	04 अल्पसंख्यकों का कल्याण				
	277 शिक्षा				
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	739.83	739.83	0.00	(-)739.83
(5)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	70.00	70.00	0.00	(-)70.00

वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
	800 अन्य व्यय				
(6)	03 पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय				
	मूल	17.00	17.00	0.00	(-)17.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(7)	07 उत्तराखण्ड वक्फ विकास परिषद				
	मूल	13.01	13.01	0.00	(-)13.01
	वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(8)	08 उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद				
	मूल	6.75			
			6.45	0.00	(-)6.45
	पुनर्वि०	(-)0.30			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2024 को ₹ 0.30 लाख की कमी पारिश्रमिक में हुई बचत के कारण की गयी । वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण					
	01 पुनर्वासि				
	202 अन्य पुनर्वासि योजनाएँ				
(9)	02 कश्मीरी प्रवासियों का पुनर्वासि				
	मूल	5.81	5.81	0.00	(-)5.81
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	02 समाज कल्याण				
	101 विकलांगों का कल्याण				
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,114.26	1,114.26	0.00	(-)1,114.26
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(11)	21 सुगम उत्तराखण्ड अभियान के अंतर्गत बैरियर फ्री आवागमन की सुविधा				
	मूल	200.01	200.01	0.00	(-)200.01
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(12)	23 राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड				
	मूल	8.50	8.50	0.00	(-)8.50
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	103 महिला कल्याण				
(13)	09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना				
	मूल	6.12	6.12	0.00	(-)6.12
	वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(14)	22 परित्यक्ता महिलाओं की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(15)	36 मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना (विदेशी मदिरा से प्राप्त सेस के सापेक्ष)				
	मूल	0.00			
			800.00	0.00	(-)800.00
	पूरक	800.00			
	104 वृद्धों, अशक्तों और निराश्रितों का कल्याण				
(16)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
(17)	08 वृद्धों की देखभाल हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता				
	मूल	100.01	100.01	0.00	(-)100.01
	वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता				
(18)	06 अनाथ बच्चों के दाह संस्कार/दफनाने के लिए स्वैच्छिक संगठन/संस्थानों को सहायता				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
	200 अन्य कार्यक्रम				
(19)	06 दिव्यांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना				
	मूल	8.01	8.01	0.00	(-)8.01
	वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(20)	09 सामाज कल्याण योजनायें अनुश्रवन समिति,				
	मूल	21.00	21.00	0.00	(-)21.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(21)	11 मा० मुख्यमंत्री जी के सलाहकार (समाज कल्याण)				
	मूल	11.00	11.00	0.00	(-)11.00
	वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(22)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	24.27	24.27	0.00	(-)24.27
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	800 अन्य व्यय				
(23)	14 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन				
	मूल	9.72	9.72	0.00	(-)9.72
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
	102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन				
(24)	07 पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले साठ से उपर के निवासरत पुरोहितों हेतु पेंशन योजना				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

(25)	08 डंगरियो एवं जगरियों को मासिक पेंशन				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण

277 शिक्षा

(1)	05 मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना				
	मूल	300.00			
			360.40	356.95	(-)3.45
	पुनर्वि०	60.40			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2024 को ₹ 60.40 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				

2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

02 समाज कल्याण

101 विकलांगों का कल्याण

(2)	20 दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु				
	मूल	12,000.00			
			12,152.03	12,151.76	(-)0.27
	पुनर्वि०	152.03			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2024 को ₹ 378.78 लाख की वृद्धि सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 226.75 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	103 महिला कल्याण				
(3)	32 मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना				
	मूल	1,995.00			
			2,197.56	2,197.24	(-)0.32
	पुनर्वि०	202.56			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 202.56 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम				
	101 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना				
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	8,020.61			
			8,714.13	8,316.30	(-)397.83
	पुनर्वि०	693.52			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 जून 2023 को ₹ 43.73 लाख, दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ₹ 15.01 लाख, दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ₹ 588.50 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 1588.89 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय तथा सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,542.61 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
	200 अन्य कार्यक्रम				
(5)	05 दंगा पीड़ितों को सहायता				
	मूल	0.30			
			15.30	15.30	0.00
	पुनर्वि०	15.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 12,019.63 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,277.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	8,029.05	3,787.12	4,241.93
2019-20	10,936.07	7,014.21	3,921.86
2020-21	15,198.16	7,275.05	7,923.11
2021-22	10,760.28	3,371.59	7,388.69
2022-23	13,488.68	6,208.94	7,279.74

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

04 अल्पसंख्यकों का कल्याण

277 शिक्षा

- | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|
| (1) | 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना | | | | |
| | मूल | 5,100.00 | 5,100.00 | 1,896.00 | (-)3,204.00 |
| (2) | 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश | | | | |
| | मूल | 700.00 | 700.00 | 241.16 | (-)458.84 |

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 समाज कल्याण

102 बाल कल्याण

- | | | | | | |
|-----|---|-------------|----------|----------|-----------|
| (3) | 04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण | | | | |
| | मूल | 200.00 | 200.00 | 73.57 | (-)126.43 |
| (4) | 05 मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना | | | | |
| | मूल | 2,000.00 | | | |
| | पूरक | 5,000.00 | 5,292.50 | 5,292.48 | (-)0.02 |
| | पुनर्वि० | (-)1,707.50 | | | |

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को ₹ 1,707.50 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

	103 महिला कल्याण				
(5)	06 किशोर न्याय (बालको का संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत घरों का निर्माण				
	मूल	100.00	100.00	52.24	(-)47.76

	104 वृद्धों, असहायों और निराश्रितों का कल्याण				
(6)	08 राजकीय वृद्धाश्रम का भवन निर्माण				
	मूल	2,000.00	2,000.00	431.92	(-)1,568.08

	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम				
	800 अन्य व्यय				
(7)	03 सैनिक कल्याण				
	मूल	450.02			
			235.02	135.00	(-)100.02

पुनर्वि० (-)215.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2024 को ₹ 215.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण				
	277 शिक्षा				
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	0.01			
			70.01	0.00	(-)70.01
	पूरक	70.00			

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	15 कल्याण योजनायें क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल		0.01			
				989.81	0.00	(-)989.81
	पूरक		989.80			
	वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।					
	<i>04 अल्पसंख्यकों का कल्याण</i>					
	800 अन्य व्यय					
(3)	02 हज हाउस का निर्माण					
	मूल		30.00	30.00	0.00	(-)30.00
	4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय					
	<i>02 समाज कल्याण</i>					
	103 महिला कल्याण					
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल		0.00			
	पूरक		4,782.35	3,633.05	0.00	(-)3,633.05
	पुनर्वि०		(-)1,149.30			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,149.30 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।					
(5)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल		0.00			
	पूरक		516.70	389.00	0.00	(-)389.00
	पुनर्वि०		(-)127.70			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 127.70 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।					

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 समाज कल्याण

102 बाल कल्याण

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,000.01		
	पूरक	113.71	6,650.47	6,608.75
	पुनर्वि०	1,536.75		(-41.72)

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को ₹ 1,536.75 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	600.01		
	पूरक	12.64	783.40	726.31
	पुनर्वि०	170.75		(-57.09)

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 जून 2023 को ₹ 170.75 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम

800 अन्य व्यय

(3)	04 शौर्य स्थल			
	मूल	2,000.00		
	पूरक	200.00	2,415.00	2,415.00
	पुनर्वि०	215.00		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2024 को ₹ 215.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

- 2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

दत्तमत -

मूल	4,75,86,51			
		5,58,32,61	5,23,76,24	(-)34,56,37
पूरक	82,46,10			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				20,33,86

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 97,11 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

पूँजीगत:

- 4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	77,00,00			
		84,00,00	72,15,69	(-)11,84,31
पूरक	7,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 3,456.37 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2,033.86 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
(ii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	36,817.83	22,160.48	14,657.35
2019-20	43,522.46	28,877.70	14,644.76
2020-21	49,059.96	33,485.12	15,574.84
2021-22	39,566.11	33,602.75	5,963.36
2022-23	56,119.50	34,605.31	21,514.19

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास				
	01 श्रम				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	03 श्रम विभाग का अधिष्ठान				
	मूल	388.10			
	पूरक	5.00	398.10	324.88	(-) 73.22
	पुनर्वि०	5.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2024 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				
	101 औद्योगिक संबंध				
(2)	03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन (22300110307 सम्मिलित)				
	मूल	1,011.75			
			1,026.75	875.96	(-) 150.79
	पूरक	15.00			
(3)	04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड				
	मूल	47.50			
			42.50	30.53	(-) 11.97
	पुनर्वि०	(-) 5.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 01 मार्च 2024 को ₹ 5.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण की गयी।				
(4)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय की स्थापना				
	मूल	873.94			
	पूरक	1.10	755.95	578.27	(-) 177.68
	पुनर्वि०	(-) 119.09			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 119.09 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
	102 कार्य की परिस्थितियाँ तथा सुरक्षा				
(5)	03 निरीक्षण अधिष्ठान				
	मूल	152.67	152.67	88.50	(-) 64.17

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
	103 सामान्य श्रम कल्याण				
(6)	03 श्रम कल्याण की विविध योजनाएँ/कल्याण केंद्र				
	मूल	59.45	59.45	52.90	(-)6.55
	02 रोजगार सेवा				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(7)	03 रोजगार संबंधी अधिष्ठान				
	मूल	1,288.95	1,288.95	1,048.46	(-)240.49
	101 रोजगार सेवाएँ				
(8)	03 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना				
	मूल	110.43	110.43	92.01	(-)18.42
(9)	09 विदेशी रोजगार प्रकोष्ठ				
	मूल	84.45	84.45	38.95	(-)45.50
	03 प्रशिक्षण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(10)	03 प्रशिक्षण एवं रोजगार संबंधी अधिष्ठान				
	मूल	703.36	703.36	600.48	(-)102.88
	003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण				
(11)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,194.59			
	पुनर्वि०	(-)384.59	810.00	800.00	(-)10.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 384.59 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(12)	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान				
	मूल	13,158.00			
	पुनर्वि०	(-)1,597.35	11,560.65	11,428.27	(-)132.38
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,597.35 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	--	------------	---------------	--------------------------------------

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

01 श्रम

103 सामान्य श्रमिक कल्याण

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 35.00

60.00 0.00 (-)60.00

पूरक 25.00

वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

02 रोजगार सेवा

004 अनुसंधान, सर्वेक्षण और सांख्यिकी

(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 40.00

40.00 0.00 (-)40.00

03 प्रशिक्षण

003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

(3) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल 89.11

10.00 0.00 (-)10.00

पुनर्वि० (-)79.11

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 79.11 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी । वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

102 शिशुता प्रशिक्षण

(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 294.28

102.14 0.00 (-)102.14

पुनर्वि० (-)192.14

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 192.14 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी । वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(5)	04 राज्य कौशल विकास योजना			
	मूल	1,600.00		
			0.00	0.00

पुनर्वि० (-)1,600.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 1,600.00 लाख की कमी प्रशिक्षण व्यय तथा अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास

03 प्रशिक्षण

003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ

मूल 7,500.00

9,755.84

9,755.84

0.00

पुनर्वि० 2,255.84

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 2,255.84 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (vi) ₹ 1,184.31 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 1,184.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 700.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2018-19	1,400.22	1,095.96	304.26
2019-20	1,534.49	421.74	1,112.75
2020-21	4,500.01	3,585.31	914.70
2021-22	11,701.00	5,114.99	6,586.01
2022-23	6,877.11	4,833.67	2,043.44

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार समाप्त.		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण

98 नाबार्ड पोषित

मूल 5,000.00

पूरक 700.00 4,500.00 3,315.69 (-)1,184.31

पुनर्वि० (-)1,200.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 1,200.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

60 अन्य इमारतें

051 निर्माण

97 बाह्य सहायतित योजनाएँ

मूल 2,500.00

3,700.00 3,700.00 0.00

पुनर्वि० 1,200.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 1,200.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 17 कृषि फर्म एवं अनुसंधान	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	--------------------------------------	------------	---------------	--

राजस्व:

2401 फसल कृषिफर्म				
2415 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा				

दत्तमत -

मूल	12,16,56,76			
		12,22,60,20	8,06,09,92	(-4,16,50,28)
पूरक	6,03,44			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				41,54,13

पूँजीगत:

4401 फसल कृषिफर्म पर पूँजीगत परिव्यय				
6401 फसल कृषिफर्म के लिए ऋण				

दत्तमत -

मूल	77,58,81			
		90,03,81	78,84,24	(-)11,19,57
पूरक	12,45,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				4,13,04

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 41,650.28 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 4,154.13 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 41,650.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 603.44 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	113,796.89	96,812.47	16,984.42
2019-20	120,727.53	88,889.38	31,838.15
2020-21	117,645.59	98,847.75	18,797.84
2021-22	114,145.81	100,785.18	13,360.63
2022-23	119,393.55	95,941.13	23,452.42

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 17 कृषि फर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
	2401 फसल कृषिफर्म				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	26,438.53			
			26,438.54	9,660.68	(-)16,777.86
	पूरक	0.01			
(2)	04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान				
	मूल	12,894.76			
			10,864.30	10,811.42	(-)52.88
	पुनर्वि०	(-)2,030.46			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2024 को ₹ 8.09 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 2,038.55 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
(3)	06 जलागम प्रबंधन निदेशालय/पी0एम0के0एस0वाई0				
	मूल	994.01			
	पूरक	17.00	531.16	409.56	(-)121.60
	पुनर्वि०	(-)479.85			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 479.85 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
(4)	11 राज्यस्तरीय जलागम अनुश्रवन परिषद				
	मूल	29.50	29.50	6.98	(-)22.52
(5)	12 आयोग / परिषदों के भुगतान				
	मूल	55.51	55.51	35.41	(-)20.10
(6)	22 मिलेट मिशन				
	मूल	1,500.00			
			1,239.58	339.58	(-)900.00
	पुनर्वि०	(-)260.42			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 260.42 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 17 कृषि फर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(7)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	3,266.26			
			3,266.28	1,073.09	(-)2,193.19
	पूरक	0.02			
(8)	96 पूर्व योजना के सापेक्ष टॉप अप				
	मूल	1,000.00			
			589.43	589.43	0.00
	पुनर्वि०	(-)410.57			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 410.57 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(9)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ				
	मूल	6,128.52			
			5,163.78	1,925.29	(-)3,238.49
	पुनर्वि०	(-)964.74			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 964.74 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(10)	102 खाद्यान्न फसलें				
	03 स्थानीय फसलों के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम				
	मूल	2,000.00			
			1,991.91	1,250.00	(-)741.91
	पुनर्वि०	(-)8.09			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2024 को ₹ 8.09 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(11)	103 बीज				
	03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र				
	मूल	55.00	55.00	48.48	(-)6.52
(12)	109 विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	7,103.20	7,103.20	2,538.90	(-)4,564.30

अनुदान सं० 17 कृषि फर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...					
क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	819.80	819.80	271.31	(-548.49)
(14)	111 कृषि अर्थ व्यवस्था और सांख्यिकी				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	100.00	100.00	21.48	(-78.52)
(15)	02 कृषि बीमा सर्वेक्षण				
	मूल	100.00	100.00	55.40	(-44.60)
(16)	114 तिलहन विकास				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	45.00			
			47.01	29.54	(-17.47)
	पूरक	2.01			
2415 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा					
	80 सामान्य				
	120 अन्य संस्थाओं को सहायता				
(17)	03 कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर को सहायता अनुदान				
	मूल	23,500.00	23,500.00	20,204.47	(-3,295.53)
(18)	04 उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसाड़				
	मूल	3,800.00	3,800.00	2,159.21	(-1,640.79)
(19)	09 पटवाड़ांगर में जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (अनुदान 23 से स्थानांतरित)				
	मूल	500.00	500.00	410.00	(-90.00)
(20)	13 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, जखोली				
	मूल	200.00	200.00	13.37	(-186.63)
(21)	14 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, भराडीसेण				
	मूल	252.35	252.35	55.40	(-196.95)
(22)	15 खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, डोईवाला				
	मूल	232.40	232.40	53.30	(-179.10)

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 17 कृषि फर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय			
(23)	20	भारसाड़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत माली ट्रेनिंग सेंटर, प्रतापनगर (टिहरी)				
		मूल	17.71	17.71	9.33	(-)8.38
(24)	21	भरसाड़ विश्वविद्यालय के जाखिंडा (टिहरी) परिसर				
		मूल	15.65	15.65	8.67	(-)6.98
(25)	25	जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान				
		मूल	600.00	600.00	475.00	(-)125.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषिफर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 15 एकीकृत कृषि ग्राम योजना

मूल 1,200.00 1,200.00 0.00 (-)1,200.00
वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

108 वाणिज्यिक फसलें

(2) 06 गन्ना एवं चीनी विकास उद्योग बोर्ड

मूल 15.60 15.60 0.00 (-)15.60
वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

110 फसल बीमा

(3) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल 400.00 400.00 0.00 (-)400.00

2415 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

80 सामान्य

120 अन्य संस्थाओं को सहायता

(4) 24 फूल के बीज एवं प्रशिक्षण केन्द्र सेलाकुई

मूल 15.00 15.00 0.00 (-)15.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

अनुदान सं० 17 कृषि फर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2401 फसल कृषिफर्म

00

108 वाणिज्यिक फसलें

05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति

मूल

0.01

5.63

4.35

(-)1.28

पुनर्वि०

5.62

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2024 को ₹ 5.62 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 1,119.57 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 413.04 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(viii) ₹ 2,897.87 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4401 फसल कृषिफर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

107 वनस्पति संरक्षण

(1) 03 कीटनाशकों औषधियों की खरीद एवं माइक्रो न्यूट्रीएंट की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है

मूल

1,500.00

1,086.96

1,086.48

(-)0.48

पुनर्वि०

(-)413.04

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 413.04 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

113 कृषि इंजीनियरिंग

(2) 02 गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के लिए विशेष अनुदान

मूल

500.00

500.00

184.20

(-)315.80

अनुदान सं० 17 कृषि फर्म एवं अनुसंधान समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

	119 बागवानी और सब्जी फसलें			
(3)	02 भरसार विश्वविद्यालय हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास			
	मूल	500.00	500.00	383.87
				(-116.13)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

6401 फसल कृषिफर्म के लिए ऋण

00

109 वाणिज्यिक फसलें

10 उत्तराखंड सहकारी क्षेत्र/निगम की मिलों को ऋण

मूल	158.77	158.77	0.00	(-158.77)
-----	--------	--------	------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 18 सहकारिता कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	--------------------------------------	------------------	--

राजस्व:

2425 सहकारिता

दत्तमत -

मूल	1,44,18,23		
		1,76,90,50	1,10,15,49
			(-)66,75,01
पूरक	32,72,27		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			44,97,63

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,36 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूँजीगत:

4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

6425 सहकारिता हेतु ऋण

दत्तमत -

मूल	2,00,00,01		
		2,03,00,01	8,00,00
			(-)1,95,00,01
पूरक	3,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			1,00,00,00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 6,675.01 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 4,497.63 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 6,675.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 3,272.27 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
	2425 सहकारिता				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	03 सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण				
	मूल	3,861.58			
			3,245.77	3,176.45	(-)69.32
	पुनर्वि०	(-)615.81			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 615.81 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(2)	05 सहकारिता न्यायाधिकरण				
	मूल	221.20	221.20	89.81	(-)131.39
(3)	06 सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण				
	मूल	98.30	98.30	13.32	(-)84.98
(4)	07 सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन				
	मूल	40.00	40.00	20.00	(-)20.00
	107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता				
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	0.00			
			1,928.05	368.74	(-)1,559.31
	पूरक	1,928.05			
(6)	95 केंद्रीय पोषित योजनाओ में राज्यांश				
	मूल	0.00			
			214.22	36.87	(-)177.35
	पूरक	214.22			
	800 अन्य व्यय				
(7)	05 एम पैक्स के माध्यम से जन औषद्धि केंद्र की स्थापना				
	मूल	0.00			
			130.00	36.00	(-)94.00
	पूरक	130.00			

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(8)	28 उत्तराखंड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम (एकमुश्त अनुदान)				
	मूल	50.00	50.00	25.01	(-)24.99
(9)	32 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा देय अनुदान				
	मूल	4,000.00			
	पुनर्वि०	(-)3,881.83	118.17	102.43	(-)15.74
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 3,881.83 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (iv) ₹ 19,500.01 लाख को अंतिम बचत में से ₹ 10,000.00 लाख को धनराशे अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
- (v) ₹ 19,500.01 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 300.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	468.20	313.59	154.61
2019-20	10,000.01	9,997.99	2.02
2020-21	10,000.00	0.00	10,000.00
2021-22	8,000.00	0.00	8,000.00
2022-23	8,700.00	7,300.00	1,400.00

- (vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

6425 सहकारिता हेतु ऋण

- 00
- 108 अन्य सहकारी योजनाओं के लिए ऋण
- (1) 02 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा ऋण 64250080006 से स्थानान्तरित
- | | | | | |
|----------|--------------|-----------|--------|-------------|
| मूल | 20,000.00 | | | |
| पुनर्वि० | (-)10,000.00 | 10,000.00 | 700.00 | (-)9,300.00 |
- दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 10,000.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

अनुदान सं० 18 सहकारिता समाप्त.				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	03 उपभोगता सहकारी संघ लिमिटेड को वन टाइम कार्यशील पूंजी			
	मूल	0.00		
			300.00	100.00
	पूरक	300.00		(-)200.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

दत्तमत -

मूल	14,38,02,97			
		17,92,14,90	11,90,52,32	(-6,01,62,58)
पूरक	3,54,11,93			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				88,83,83

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,86,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 2,48 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2024 को आहरण वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

पूंजीगत:

4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत -

मूल	18,34,50,05			
		18,51,44,52	11,91,56,30	(-6,59,88,22)
पूरक	16,94,47			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 29,86,08 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

टिप्पणियां एवं टीकायें**राजस्व:****दत्तमत-**

- ₹ 60,162.58 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 8,883.83 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 60,162.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 35,411.93 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	100,400.58	79,809.17	20,591.41
2019-20	102,613.11	68,316.43	34,296.68
2020-21	102,482.02	77,291.18	25,190.84
2021-22	104,666.13	75,873.15	28,792.98
2022-23	141,178.62	115,636.18	25,542.44

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम					
06 स्व रोजगार कार्यक्रम					
102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन					
(1)	02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत गठित प्रकोष्ठ मूल	75.21	75.21	27.40	(-)47.81
(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	1,534.01	1,534.01	1,071.99	(-)462.02
2505 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम					
02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएँ					
101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून					
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	30,200.00	34,349.00	13,606.56	(-)20,742.44
	पूरक	4,149.00			
(4)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	10,000.00	10,000.00	3,744.31	(-)6,255.69
2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
00					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(5)	03 ग्रामीण विकास का मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान मूल	535.75	555.75	430.70	(-)125.05
	पूरक	20.00			

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
		कुल अनुदान				
(6)	04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान	मूल	365.60	368.10	285.69	(-)82.41
		पूरक	2.50			
(7)	05 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	मूल	5,585.62	4,906.77	4,839.98	(-)66.79
		पुनर्वि०	(-)678.85			
		दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 678.85 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(8)	003 प्रशिक्षण 03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)	मूल	1,123.11	1,133.11	996.04	(-)137.07
		पूरक	10.00			
(9)	04 उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम	मूल	270.00	270.00	163.73	(-)106.27
(10)	101 पंचायती राज 17 वन पंचायत	मूल	30.60	30.60	21.61	(-)8.99
		पूरक				
(11)	18 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ	मूल	76.40	86.50	76.48	(-)10.02
		पूरक	10.10			
(12)	20 क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानांतरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)	मूल	8,015.00	6,495.63	6,484.96	(-)10.67
		पूरक	685.00			
		पुनर्वि०	(-)2,204.37			
		दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 2,204.37 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
	102 सामुदायिक विकास				
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	21,630.72			
	पूरक	25,525.39	46,634.62	27,972.86	(-)18,661.76
	पुनर्वि०	(-)521.49			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2024 को ₹ 521.49 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(14)	03 जनपद/विकास खण्ड अधिष्ठान				
	मूल	17,745.89			
	पूरक	100.00	14,758.93	14,584.05	(-)174.88
	पुनर्वि०	(-)3,086.96			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 3,086.96 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(15)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अधिष्ठान				
	मूल	8,970.00			
			7,151.15	7,100.49	(-)50.66
	पुनर्वि०	(-)1,818.85			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1,818.85 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(16)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना				
	मूल	48.14	48.14	20.63	(-)27.51
(17)	26 डी0आर0डी0ए0 प्रकोष्ठ				
	मूल	62.20	62.20	51.13	(-)11.07
(18)	28 इंद्रा अम्मा भोजनालय (रेस्तरां) योजनान्तर्गत सब्सिडी का भुगतान				
	मूल	200.00	200.00	59.33	(-)140.67
(19)	32 गरीबी उन्मूलन क्षमता विकास एवं रोजगार प्रकोष्ठ का अधिष्ठान				
	मूल	1,485.41			
	पूरक	10.00	1,150.62	1,033.65	(-)116.97
	पुनर्वि०	(-)344.79			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 344.79 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(20)	34 ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग मूल	175.01	175.01	112.79	(-)62.22
(21)	44 सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना मूल	20.00	20.00	4.75	(-)15.25
(22)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	2,873.19			
	पूरक	2,836.49	5,709.68	2,960.83	(-)2,748.85

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

00

	101 पंचायती राज				
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	0.00			
	पूरक	155.00	155.00	0.00	(-)155.00
(2)	21 पंचायती भवनों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार मूल	0.00			
	पूरक	250.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)250.00			

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 250.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

	102 सामुदायिक विकास				
(3)	35 मुख्यमंत्री महिला स्व-सहायता समूह सशक्तिकरण योजना मूल	500.00			
	पुनर्वि०	(-)500.00	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 500.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		

(4)	42 ग्राम्य विकास महायोजना				
	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

06 स्व. रोजगार कार्यक्रम

102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 9,506.00

10,027.49 9,647.93 (-)379.56

पुनर्वि० 521.49

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2024 को ₹ 521.49 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

पूँजीगत: दत्तमत-

- (vii) ₹ 65,988.22 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 65,988.22 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 1,694.47 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (ix) ₹ 1,993.00 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)
- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 सामुदायिक विकास

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 93,600.01 93,600.01 55,105.00 (-)38,495.01

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास समाप्त.			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	10,400.01	10,400.01	8,140.00	(-)2,260.01
(3)	96 पूर्व योजना के सापेक्ष टॉप-अप मूल	32,500.00	28,500.00	5,413.46	(-)23,086.54
	पुनर्वि०	(-)4,000.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2024 को ₹ 4,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।				
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।				
(xi)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:				
	4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
	00				
	102 सामुदायिक विकास				
(1)	12 मेरा गाँव, मेरी सड़क मूल	700.00	1,385.32	1,312.65	(-)72.67
	पुनर्वि०	685.32			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2023 को ₹ 315.01 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 370.31 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(2)	21 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपातकालीन निधि मूल	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	पुनर्वि०	4,000.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 मार्च 2024 को ₹ 4,000.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:				
2700	मुख्य सिंचाई			
2701	मध्यम सिंचाई			
2702	लघु सिंचाई			
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
दत्तमत -				
	मूल	5,87,35,33		
			5,92,85,33	(-)72,33,71
	पूरक	5,50,00		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			64,55,00
भारित-				
	मूल	3,00,00		
			3,00,00	(-)2,54,92
	पूरक	...		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			...
पूँजीगत:				
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत -				
	मूल	8,53,07,07		
			8,61,57,12	(-)2,57,02,37
	पूरक	8,50,05		
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)			11,03,72
टिप्पणियां एवं टीकायें				
राजस्व:				
दत्तमत-				
(i)	₹ 7,233.71 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 6,455.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।			
(ii)	₹ 7,233.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 550.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।			

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	50,017.70	42,796.45	7,221.25
2019-20	57,771.57	42,394.43	15,377.14
2020-21	55,926.05	43,072.99	12,853.06
2021-22	52,041.81	44,536.08	7,505.73
2022-23	56,631.84	49,417.53	7,214.31

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2700 मुख्य सिंचाई				
80 सामान्य				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	02 निदेशन			
	मूल	5,049.00		
			4,457.29	4,382.72
	पुनर्वि०	(-591.71)		(-74.57)
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 591.71 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(2)	03 कार्यकारी अधिष्ठान			
	मूल	30,017.00		
			24,489.95	24,415.04
	पुनर्वि०	(-5,527.05)		(-74.91)
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 5,527.05 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(3)	04 दैनिक वेतनभोगीयों एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान(सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों) हेतु एकमुश्त प्रावधान			
	मूल	150.00	150.00	121.55
				(-28.45)
	005 सर्वेक्षण			
(4)	02 डी0पी0आर0 निर्माण			
	मूल	275.00	275.00	144.99
				(-130.01)

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			
	2701 मध्यम सिंचाई				
	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(5)	02 नलकूप, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य				
	मूल	100.00	100.00	85.06	(-)14.94
	2702 लघु सिंचाई				
	02 भूजल				
	005 अन्वेषण				
(6)	03 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढीकरण				
	मूल	3,807.00			
			3,470.76	3,363.29	(-)107.47
	पुनर्वि०	(-)336.24			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 336.24 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(7)	05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति				
	मूल	14.16	14.16	6.94	(-)7.22
	80 सामान्य				
	005 अन्वेषण				
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	292.00	292.00	109.05	(-)182.95

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

05 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान (27000000108 से स्थानांतरित)

मूल	13.50	13.50	0.00	(-)13.50
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

राजस्व:
भारित-

- (vi) ₹ 254.92 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (vii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2700 मुख्य सिंचाई

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 कार्यकारी अधिष्ठान

मूल 300.00 300.00 45.08 (-)254.92

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

पूंजीगत:
दत्तमत-

- (viii) ₹ 25,702.37 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,103.72 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
- (ix) ₹ 25,702.37 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 850.05 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (x) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2018-19	46,819.59	36,592.26	10,227.33
2019-20	63,999.05	33,427.95	30,571.10
2020-21	71,995.08	25,917.79	46,077.29
2021-22	81,265.45	25,417.35	55,848.10
2022-23	75,987.03	35,494.38	40,492.65

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(xi)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:					
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
	02 नलकूप, नहर एवं लघुडाल नहर निर्माण					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(1)	98	नाबार्ड पोषित				
		मूल	16,000.00			
				12,406.03	12,406.03	0.00
		पुनर्वि०	(-3,593.97			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2024 को ₹ 3,250.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 343.97 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।					
	13 सौंग बांध का निर्माण					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(2)	02	अन्य व्यय				
		मूल	11,000.00			
				10,245.00	224.43	(-10,020.57
		पुनर्वि०	(-755.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को ₹ 755.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।					
	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
	00					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(3)	02	जल संवर्धन, जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति हेतु जलाशयों आदि का निर्माण (47018005102 से स्थान्तरित)				
		मूल	500.00	500.00	264.61	(-235.39
(4)	05	नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य (47010000104 सम्मिलित)				
		मूल	500.00			
				297.97	297.97	0.00
		पुनर्वि०	(-202.03			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 202.03 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।					

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	80 सामान्य					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(5)	05 निरीक्षण/कार्यालय भवनो का निर्माण (47018005104 से स्थानांतरित)					
	मूल	300.00				
			142.41	112.83		(-)29.58
	पुनर्वि०	(-)157.59				
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 157.59 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।					
	005 सर्वेक्षण और अन्वेषण					
(6)	03 निर्माण कार्य (किशाउ बांध सम्मिलित करते हुए)					
	मूल	100.00	100.00	61.50		(-)38.50
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।					
(xii)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
	00					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	1,000.01	1,000.01	0.00		(-)1,000.01
	वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	250.00	250.00	0.00		(-)250.00
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
	01 जमरानी बांध					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	5,000.01	5,000.01	0.00		(-)5,000.01
(4)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	2,000.01	2,000.01	0.00		(-)2,000.01

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
	80 सामान्य				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(5)	08 नदियों एवं झीलों का पुनर्जीवीकरण एवं निर्माण कार्य (47010000105 से स्थानांतरित)				
	मूल	0.00			
	पूरक	500.00	400.00	0.00	(-)400.00
	पुनर्वि०	(-)100.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।				
	003 प्रशिक्षण				
(6)	04 प्रशिक्षण केन्द्र का उच्चीकरण/शोध कार्य (47018000403 सम्मिलित)				
	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	004 अनुसंधान				
(7)	03 निर्माण कार्य				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
	00				
	102 भूजल				
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,500.00			
			353.94	0.00	(-)353.94
	पुनर्वि०	(-)1,146.06			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 1,146.06 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस एन ए में अंतरण में हुई बचत के कारण की यी ।				
(9)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	967.00	967.00	0.00	(-)967.00

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			
	4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
	01 बाढ़ नियंत्रण				
	103 सिविल निर्माण कार्य				
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	3,500.00	3,500.00	0.00	(-)3,500.00
(11)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।				
(xiii)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:				
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
	18 बाँध/ बैराज का निर्माण एवं आधुनिकरण/ पुनरोद्धार				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	02 अन्य व्यय				
	मूल	750.00			
	पुनर्वि०	100.00	850.00	792.66	(-)57.34
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 15 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				
	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
	00				
	800 अन्य व्यय				
(2)	98 नाबार्ड				
	मूल	3,000.00			
	पुनर्वि०	1,146.06	4,146.06	4,083.82	(-)62.24
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 1,146.06 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				

अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

	01 बाढ़ नियंत्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(3)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	4,000.00	8,756.37	8,756.37
	पुनर्वि०	4,756.37		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को ₹ 4,859.72 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 103.35 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(xiv) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक**- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त**- विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2023-24 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III एवं IV में दिया गया है।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं०	21 ऊर्जा	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	----------	------------	---------------	--

राजस्व:

2801	बिजली				
2810	अपारंपरिक उर्जा स्रोत				

दत्तमत -

मूल	35,73,65				
		36,23,67	30,61,58		(-5,62,09)
पूरक	50,02				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)					...

पूँजीगत:

4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
4810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजी परिव्यय				
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण				

दत्तमत -

मूल	12,15,60,04				
		12,65,60,05	7,30,59,19		(-5,35,00,86)
पूरक	50,00,01				
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)					...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत व्यय में ₹ 1,75,03,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि दिनांक 31.03.2024 को आहरण वितरण अधिकारियों के बैंक खातों में अव्ययित हैं।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 562.09 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 562.09 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 50.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2018-19	1,323.86	1,110.86		213.00
2019-20	1,420.13	1,263.81		156.32
2020-21	2,431.70	2,054.48		377.22
2021-22	1,421.54	1,310.32		111.22
2022-23	3,130.34	1,666.64		1,463.70

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2801 बिजली

05 प्रेषण एवं वितरण

001 निदेशन तथा प्रशासन

02 ऊर्जा विकास निधि का प्रबंधन

मूल	32.40	32.40	20.33	(-)12.07
-----	-------	-------	-------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा

00

800 अन्य व्यय

(1) 05 पारुल आधारित योजना

मूल	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
-----	--------	--------	------	-----------

(2) 06 सौर ऊर्जा परियोजना तथा उपकरणों पर विभिन्न छूट की प्रतिपूर्ति

मूल	0.00			
-----	------	--	--	--

		50.00	0.00	(-)50.00
--	--	-------	------	----------

पूरक	50.00			
------	-------	--	--	--

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

क्रम सं०	शीर्ष सं०	अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-----------	---	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 53,500.86 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 53,500.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 5,000.01 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
मूल 45,000.00
27,757.81 16,556.00 (-)11,201.81

पुनर्वि० (-)17,242.19

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2023 को ₹ 3007.00 लाख, दिनांक 27 सितंबर 2023 को ₹ 3978.08 लाख, दिनांक 10 नवंबर 2023 को ₹ 5200.00 लाख तथा दिनांक 14 मार्च 2024 को ₹ 5057.11 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी।

- (2) 05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन
मूल 500.00 500.00 200.00 (-)300.00
- (3) 12 स्यूनी आराकोट, प्लाससू जल विद्युत् परियोजना में निवेश
मूल 500.00 500.00 61.00 (-)439.00

05 पारेषण एवं वितरण

800 अन्य व्यय

- (4) 97 बाह्य सहायतित योजना
मूल 18,000.00 18,000.00 9,000.00 (-)9,000.00

6801 बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण

00

800 विद्युत बोर्डों को ऋण

- (5) 03 यु0पी0सी0एल0-(बाह्य सहायतित परियोजना लागत का 8 प्रतिशत)
मूल 2,000.00 2,000.00 1,000.00 (-)1,000.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(ix)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
	4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
	01 जल विद्युत उत्पादन				
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश				
(1)	10 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु किसान कारपोरेशन लि० में निवेश				
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	05 प्रेषण एवं वितरण				
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश				
(2)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ				
	मूल	16,344.00	16,344.00	0.00	(-)16,344.00
	वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	800 अन्य व्यय				
(3)	03 यु०पी०सी०एल०-(आर०डी०एस०एस०)				
	मूल	13,000.00	13,000.00	0.00	(-)13,000.00
	4810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय				
	00				
	600 अन्य				
(4)	02 सुपर एनर्जी कंसर्वेशन बिल्डिंग मॉडल				
	मूल	300.00	300.00	0.00	(-)300.00
	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण				
	00				
	205 पारेषण एवं वितरण				
(5)	03 पिटकुल को ऋण-(बाह्य सहायतित परियोजना लागत का 8 प्रतिशत)				
	मूल	1,816.00	1,816.00	0.00	(-)1,816.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 21 ऊर्जा समाप्त. कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(x)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
	4801 विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 जल विद्युत उत्पादन			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(1)	06 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड में निवेश			
	मूल	5,000.00		
			8,007.00	8,007.00
	पुनर्वि०	3,007.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2023 को ₹ 3007.00 लाख की वृद्धि निवेश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	5,000.00		
			8,978.08	8,978.08
	पुनर्वि०	3,978.08		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 सितंबर 2023 को ₹ 3978.08 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
(3)	96 पूर्व योजना के सापेक्ष टॉप अप			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.01	5,057.12	5,057.11
	पुनर्वि०	5,057.11		(-)0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 को ₹ 5057.11 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			
	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए ऋण			
	00			
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ऋण			
(4)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	5,000.00		
			10,200.00	10,200.00
	पुनर्वि०	5,200.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 10 नवंबर 2023 को ₹ 5200.00 लाख की वृद्धि ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान/ विनियोग			

राजस्व:

2059	लोक निर्माण कार्य
2216	आवास
3054	सड़क तथा सेतु

दत्तमत -

मूल	14,32,23,10			
		17,32,23,10	13,65,60,89	(-)3,66,62,21
पूरक	3,00,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				1,90,74,37

भारित-

मूल	11,30,00			
		11,30,00	9,08,92	(-)2,21,08
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				1,65,56

अनुदान के राजस्व भारित अनुभाग में ₹ 3,05,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूँजीगत:

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	13,48,30,00			
		16,04,81,35	12,99,50,40	(-)3,05,30,95
पूरक	2,56,51,35			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				52,17,11

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 36,662.21 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 19,074.37 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(ii) ₹ 36,662.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 30,000.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	87,536.29	71,630.12	15,906.17
2019-20	89,328.10	66,667.78	22,660.32
2020-21	98,685.65	76,969.95	21,715.70
2021-22	106,748.33	86,777.70	19,970.63
2022-23	104,943.22	90,235.38	14,707.84

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2059 लोक निर्माण कार्य				
80 सामान्य				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	03 निदेशन			
	मूल	6,256.10		
	पुनर्वि०	(-811.35)	5,444.75	5,391.64 (-)53.11
दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 811.35 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
051 निर्माण				
(2)	03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखंड			
	मूल	50,930.00		
	पुनर्वि०	(-9,346.37)	41,583.63	41,473.20 (-)110.43
दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 9,346.37 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
053 रखरखाव एवं मरम्मत				
(3)	02 सर्किट हाउस कार्यालय भवनों की निगरानी एवं रखरखाव - सामान्य और विशेष मरम्मत			
	मूल	247.00	247.00	177.48 (-)69.52

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2216 आवास					
	80 सामान्य					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(4)	03 सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण					
	मूल	620.00	620.00	473.35	(-146.65)	
	3054 सड़क तथा सेतु					
	01 राष्ट्रीय राजमार्ग					
	337 सड़क निर्माण कार्य					
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	2,530.00	2,530.00	154.12	(-2,375.88)	
	03 राज्य राजमार्ग					
	337 सड़क निर्माण कार्य					
(6)	04 मोटर मार्ग अनुरक्षण हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था					
	मूल	800.00	800.00	554.39	(-245.61)	
(7)	05 सड़क सुरक्षा					
	मूल	30,000.00				
	पूरक	20,000.00	39,750.60	25,325.60	(-14,425.00)	
	पुनर्वि०	(-10,249.40)				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2024 को ₹ 5,575.00 लाख की कमी आतिथ्य व्यय में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 4,674.40 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।					
	04 जिला एवं अन्य सड़कें					
	337 सड़क निर्माण कार्य					
(8)	05 मोटर मार्ग अनुरक्षण कार्य हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था					
	मूल	300.00	300.00	237.25	(-62.75)	

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

3054 सड़क तथा सेतु

04 जिला एवं अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

03 अनुरक्षण एवं मरम्मत

मूल	50,800.00			
पूरक	10,000.00	62,132.75	62,052.15	(-)80.60
पुनर्वि०	1,332.75			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2024 को ₹ 5,575.00 लाख की वृद्धि अनुरक्षण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 4,242.25 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

**राजस्व:
भारित-**

(vi) ₹ 221.08 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 165.56 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	1,100.00	486.57	613.43
2019-20	746.00	469.00	277.00
2020-21	1,100.00	753.89	346.11
2021-22	972.00	855.21	116.79
2022-23	1,078.30	632.56	445.74

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2216 आवास

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 02 राजभवन (देहरादून और नैनीताल)(2216017000302 से स्थानांतरित)

मूल	210.00	210.00	172.24	(-)37.76
-----	--------	--------	--------	----------

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...

क्रम सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

3054 सड़क तथा सेतु

04 जिला एवं अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

(2) 06 न्यायालयों को अज्ञापितियों का भुगतान (भारित)

मूल 500.00

334.44

332.56

(-)1.88

पुनर्वि० (-)165.56

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 165.56 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

पूँजीगत:

दत्तमत-

- (ix) ₹ 30,530.95 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 5,217.11 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (x) ₹ 30,530.95 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 25,651.35 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	139,150.01	132,488.43	6,661.58
2019-20	122,900.01	84,883.24	38,016.77
2020-21	127,970.02	104,463.80	23,506.22
2021-22	170,202.38	131,054.41	39,147.97
2022-23	156,580.00	123,513.74	33,066.26

(xii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 02 लोक निर्माण(नए कार्य)

मूल 10.00

10.00

0.25

(-)9.75

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	--------------------------------	------------	---------------	--------------------------------------

5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

			03 राज्य राजमार्ग			
			101 पुल			
(2)		03	पुलों का निर्माण एवं सुदृढीकरण			
			मूल	2,500.00		
				2,123.16	2,123.16	0.00
			पुनर्वि०	(-376.84		
			दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 376.84 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
			04 जिला एवं अन्य सड़कें			
			337 सड़क निर्माण कार्य			
(3)		01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
			मूल	43,000.00		
				42,721.96	26,326.31	(-)16,395.65
			पुनर्वि०	(-)278.04		
			दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 278.04 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(4)		98	नाबार्ड पोषित			
			मूल	29,000.00		
			पूरक	10,000.00	29,000.00	28,356.97
			पुनर्वि०	(-)10,000.00		(-)643.03
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 मार्च 2024 को ₹ 10,000.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

			04 जिला एवं अन्य सड़कें			
			337 सड़क निर्माण कार्य			
(1)		06	क्रोनिक स्लिप ज़ोन के उपचार हेतु प्रावधान			
			मूल	0.00		
				50.00	0.00	(-)50.00
			पूरक	50.00		

वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(2)	97 बाह्य सहायतित परियोजना/एडीबी/विश्व बैंक सहायतित परियोजना के अंतर्गत सुदृढीकरण			
	मूल	20.00	20.00	0.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			(-)20.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(xiv) **उचन्त लेन-देन "उचन्त"**

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है । लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं । तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं । उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त ।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक**- इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं । इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है । अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा ।

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ**- इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है ।

(3) **वर्कशॉप उचन्त**- विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं ।

वर्ष 2023-24 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा **परिशिष्ट- V** में दिया गया है ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 23 उद्योग	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	----------------------	------------	---------------	--

राजस्व:

2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग			
2853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग			
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			

दत्तमत -

मूल	4,04,89,13			
		4,66,09,19	3,53,32,87	(-),1,12,76,32
पूरक	61,20,06			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				10,43,57

पूँजीगत:

4851	ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय			

दत्तमत -

मूल	56,42,00			
		56,42,00	50,45,98	(-),5,96,02
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 11,276.32 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1,043.57 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 11,276.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 6,120.06 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	25,087.27	19,783.36	5,303.91
2019-20	29,618.75	22,130.60	7,488.15
2020-21	36,847.68	22,220.87	14,626.81
2021-22	39,411.47	27,730.05	11,681.42
2022-23	39,061.58	32,525.19	6,536.39

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 राष्ट्रीय मुद्रणालय रूडकी अधिष्ठान			
	मूल	1,305.00		
			1,100.48	971.10
	पुनर्वि०	(-)204.52		(-)129.38
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2024 को ₹ 10.00 लाख की कमी मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 194.52 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
	2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग			
	00			
	101 औद्योगिक संपदा			
(2)	04 मेगा औद्योगिक/मेगा टेक्सटाइल नीति के अंतर्गत अनुदान			
	मूल	3,000.00	3,000.00	1,500.00
				(-)1,500.00
	102 लघु उद्योग			
(3)	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	2,396.00		
			2,300.28	2,060.00
	पुनर्वि०	(-)95.72		(-)240.28
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2024 को ₹ 29.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय तथा गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 124.72 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			
(4)	23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्य पूंजी उपादान सहायता			
	मूल	300.00		
			271.00	135.16
	पुनर्वि०	(-)29.00		(-)135.84
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2024 को ₹ 29.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।			

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः... कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली का अधिष्ठान मूल	40.96	40.96	30.68	(-)10.28
(6)	27 माटी कला परिषद के लिए सहायता मूल	20.00	20.00	10.00	(-)10.00
(7)	49 विभिन्न नितियों के तहत उद्योगों को अनुदान मूल	2,600.00	1,100.00	1,000.00	(-)100.00
	पुनर्वि०	(-)1,500.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2024 को ₹ 1,500.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(8)	52 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गति शक्ति कार्यक्रम मूल	2,500.00	2,340.00	150.00	(-)2,190.00
	पुनर्वि०	(-)160.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2024 को ₹ 160.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।				
2853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग					
02 खानों का विनियमन एवं विकास					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(9)	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान मूल	2,591.51	1,867.17	1,598.13	(-)269.04
	पुनर्वि०	(-)724.34			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 724.34 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
	102 खनिज अन्वेषण				
(10)	03 पर्यावरणीय प्रभाग आकलन व प्रबंध योजना मूल	15.00	15.00	1.02	(-)13.98

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(11)	04 खनन निगरानी				
	मूल	2,057.50			
			3,957.50	40.37	(-)3917.13
	पूरक	1,900.00			

3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60 अन्य

004 अनुसंधान और विकास

(12)	09 उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना				
	मूल	567.00	567.00	507.00	(-)60.00

600 अन्य योजनाएँ

(13)	02 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण/आई0टी0डी0ए0 को अनुदान				
	मूल	3,490.00	3,490.00	2,369.92	(-)1,120.08

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग

00

101 औद्योगिक संपदा

(1)	05 स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (कार्यालय/सचिवालय)				
	मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00

102 लघु उद्योग

(2)	51 निर्यात नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन				
	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

2853 अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग

02 खानों का विनियमन एवं विकास

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3)	04 राज्य खनिज विकास परिषद				
	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	वर्ष 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान				
	60 अन्य				
	600 अन्य योजनाएँ				
(4)	05 विभिन्न विभागों में क्षैतिज कनेक्टिविटी के लिए आईटीडीए को अनुदान				
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।				
(vi)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:				
	2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण				
	00				
	104 अन्य स्रोतों से मुद्रण की लागत				
(1)	03 छपाई की लागत				
	मूल	30.00			
			40.00	40.00	0.00
	पुनर्वि०	10.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 जनवरी 2024 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				
	2851 ग्रामीण एवं लघु उद्योग				
	00				
	102 लघु उद्योग				
(2)	30 महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना				
	मूल	500.00			
			660.00	651.35	(-)8.65
	पुनर्वि०	160.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2024 को ₹ 160.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				
(3)	50 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना				
	मूल	4,000.00			
	पूरक	500.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	पुनर्वि०	1,500.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2024 को ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि सब्सिडी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।				

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 23 उद्योग समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 596.02 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	7,336.01	2,668.46	4,667.55
2019-20	4,869.37	2,671.22	2,198.15
2020-21	11,050.04	1,010.71	10,039.33
2021-22	6,950.03	1,395.42	5,554.61
2022-23	15,956.02	12,039.62	3,916.40

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4859 दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

02 इलेक्ट्रॉनिक्स

800 अन्य व्यय

16 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण/आई0टी0डी0ए0 को अनुदान

मूल	1,621.00	1,621.00	1,201.98	(-419.02)
-----	----------	----------	----------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

- (x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4851 ग्राम और लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 लघु उद्योग

11 ग्रोथ सेंटर का संचालन

मूल	100.00	100.00	0.00	(-100.00)
-----	--------	--------	------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 24 परिवहन कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------------------------------	------------------	--

राजस्व:

2041	वाहनों पर कर
3053	नगर विमानन
3055	सड़क परिवहन

दत्तमत -

मूल	1,79,72,19			
		1,91,97,19	1,80,25,93	(-)11,71,26
पूरक	12,25,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				1,44,78

पूँजीगत:

5053	नगर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय
7055	सड़क परिवहन के लिए ऋण

दत्तमत -

मूल	2,74,00,07			
		2,86,00,07	1,64,66,74	(-)1,21,33,33
पूरक	12,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 1,171.26 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 144.78 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	10,024.67	7,474.48	2,550.19
2019-20	12,236.09	10,280.67	1,955.42
2020-21	23,492.16	17,927.10	5,565.06
2021-22	21,836.30	15,440.84	6,395.46
2022-23	17,289.57	15,409.97	1,879.60

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	2041 वाहनों पर कर			
	00			
	800 अन्य व्यय			
(1)	03 राज्य परिवहन अपीलीय अधिष्ठान			
	मूल	125.65	125.65	109.21
				(-)16.44
	3053 नगर विमानन			
	02 विमान पत्तन			
	102 हवाई अड्डे			
(2)	10 राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत अनुदान			
	मूल	1,000.00	1,000.00	476.35
				(-)523.65
	80 सामान्य			
	003 प्रशिक्षण और शिक्षा			
(3)	03 नागरिक उड्डयन			
	मूल	131.51	131.51	60.83
				(-)70.68
	3055 सड़क परिवहन			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(4)	10 वाहन चालको को प्रशिक्षण			
	मूल	60.00	60.00	41.69
				(-)18.31

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (iv) ₹ 12,133.33 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (v) ₹ 12,133.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 1,200.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(vi) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	18,781.35	1,395.18	17,386.17
2019-20	17,350.02	3,047.35	14,302.67
2020-21	44,806.02	4,885.88	39,920.14
2021-22	43,059.80	10,963.31	32,096.49
2022-23	18,985.78	13,964.72	5,021.06

(vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5053 नगर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

	02 हवाई अड्डा				
	102 हवाई अड्डे				
(1)	03 हेलीपैड एवं हैंगर का निर्माण				
	मूल	8,500.00	8,500.00	2,816.51	(-)5,683.49
(2)	07 हवाई पट्टी / हेलीपैड निर्माण / विस्तार हेतु अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर/ अध्याप्ति / एन0पी0वी0 का भुगतान				
	मूल	5,000.00	5,000.00	3,889.33	(-)1,110.67

5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

	00				
	050 भूमि और भवन				
(3)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	650.00			
	पुनर्वि०	(-)305.02	344.98	344.98	0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2024 को ₹ 305.02 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	800	अन्य व्यय			
(4)	03	चालको के प्रशिक्षण हेतु आटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक्स का निर्माण			
		मूल	500.00		
				234.19	0.00
		पुनर्वि०	(-)265.81		
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2024 को ₹ 265.81 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।			

7055 सड़क परिवहन के लिए ऋण

	00				
	101	सड़क परिवहन निगमों को स्थायी ऋण			
(5)	05	बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु अनुदान			
		मूल	600.00	600.00	286.90
					(-)313.10

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5053 नगर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय

	02	हवाई अड्डा			
	102	हवाई अड्डे			
(1)	04	हेलीकाप्टर/ हवाई जहाज का क्रय (50530280009 से स्थानान्तरित)			
		मूल	5,000.00	5,000.00	0.00
					(-)5,000.00

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

	00				
	050	भूमि और भवन			
(2)	16	नरेन्द्र नगर में बस अड्डे का निर्माण			
		मूल	250.00		
				0.00	0.00
		पुनर्वि०	(-)250.00		
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2024 को ₹ 250.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।			

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 24 परिवहन समाप्त.		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(3)	98 नाबार्ड पोषित मूल	2,400.00		
	पुनर्वि०	(-),2,400.00	0.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2023 को ₹ 2,400.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।			

(ix) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

00

050 भूमि और भवन

(1)	03 परिवहन आयुक्त/संभागीय कार्यालयों के अनावासीय भवन हेतु भूमि क्रय			
	मूल	500.00		
	पूरक	200.00	1,520.83	1,520.83
	पुनर्वि०	820.83		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2024 को ₹ 820.83 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			

(2) 15 बस अड्डों का निर्माण

	मूल	1,000.00		
	पूरक	1,000.00	4,400.00	4,400.00
	पुनर्वि०	2,400.00		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2023 को ₹ 2,400.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 25 खाद्य कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	-----------------------------------	------------------	--

राजस्व:

2408	खाद्य, भंडारण तथा भंडारागारण
3456	सिविल पूर्ति
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

दत्तमत -

मूल	2,78,11,77	5,67,54,77	2,00,28,59	(-3,67,26,18
पूरक वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)	2,89,43,00			4,91,01

पूँजीगत:

4408	खाद्य भंडारण तथा भण्डारागारण पर पूँजीगत परिव्यय
------	---

दत्तमत -

मूल	6,52,00,01	6,52,00,01	6,41,68,05	(-)10,31,96
पूरक वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)	...			8,23,62

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 36,726.18 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 491.01 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 36,726.18 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 28,943.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	25,769.11	17,123.37	8,645.74
2019-20	22,558.98	4,852.17	17,706.81
2020-21	22,314.17	9,213.81	13,100.36
2021-22	16,357.86	10,307.17	6,050.69
2022-23	26,329.73	18,143.61	8,186.12

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
	2408 खाद्य, भंडारण तथा भंडारागारण			
	01 खाद्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)			
	मूल	5,213.77		
			4,947.84	4,665.48
	पुनर्वि०	(-)265.93		(-)282.36
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 42.50 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 35.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्यय की विभिन्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 343.43 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	04 राज्य खाद्य आयोग			
	मूल	55.22	55.22	34.86
				(-)20.36
(3)	05 खाद्य गोदामों/भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव			
	मूल	300.00	300.00	104.34
				(-)195.66
(4)	06 उपभोक्ता जागृति योजना			
	मूल	15.50	15.50	7.01
				(-)8.49
	102 खाद्य सहायता			
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	8,000.00		
			36,629.00	6,474.09
	पूरक	28,629.00		(-)30,154.91
(6)	05 शक्कर वितरण योजना के अंतर्गत परिवहन एवं कर का भुगतान			
	मूल	300.00	300.00	53.39
				(-)246.61

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	-------------------------------	------------	---------------	--------------------------------------

3456 सिविल पूर्ति

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(7) 04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निदेशालय की स्थापना

मूल 1,461.50

पूरक 179.00 1,527.92 1,184.59 (-)343.33

पुनर्वि० (-)112.58

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को ₹ 35.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 147.58 लाख के अभ्यर्पण, योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

102 नागरिक पूर्ति योजना

(8) 02 निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान

मूल 5,500.00

5,465.00 2,660.00 (-)2,805.00

पुनर्वि० (-)35.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को ₹ 35.00 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण की गयी ।

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

00

106 बाट और माप का विनियमन

(9) 03 अधिष्ठान व्यय

मूल 710.01

720.01 601.61 (-)118.40

पूरक 10.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 25 खाद्य समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2408 खाद्य, भंडारण तथा भंडारागारण

	01 खाद्य				
	102 खाद्य सहायता				
(1)	06 राज्य खाद्य योजना				
	मूल	2,000.00			
			1,922.50	0.00	(-)1,922.50
	पुनर्वि०	(-)77.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2024 को ₹ 42.50 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 35.00 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण की गयी। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान भी, उक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

	00				
	106 बाट और माप का विनियमन				
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

पूँजीगत: दत्तमत-

- (vi) ₹ 1031.96 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 823.62 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (vii) ₹ 1,274.71 लाख की वसूली पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)
- (viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4408 खाद्य भंडारण तथा भण्डारागारण पर पूँजीगत परिव्यय

	02 भण्डारण एवं भण्डारागारण				
	800 अन्य व्यय				
	06 गोदामों का निर्माण				
	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 26 पर्यटन	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
राजस्व:				
3452 पर्यटन				
दत्तमत -				
मूल	1,41,59,76			
		1,51,59,76	1,46,12,34	(-)5,47,42
पूरक	10,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				1,10,72
पूँजीगत:				
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय				
दत्तमत -				
मूल	1,60,45,00			
		1,60,45,00	1,35,79,10	(-)24,65,90
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 547.42 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 110.72 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	7,701.96	6,206.35	1,495.61
2019-20	9,875.11	5,752.30	4,122.81
2020-21	10,491.05	6,490.35	4,000.70
2021-22	12,868.91	7,919.95	4,948.96
2022-23	13,409.26	12,022.63	1,386.63

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	26 पर्यटन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(iii)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:					
	3452 पर्यटन					
	80 सामान्य					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(1)	04 यात्रा प्रशासन संगठन अधिष्ठान (अनुदान संख्या 07 से स्थानांतरित)					
	मूल	52.50	52.50	41.39	(-)11.11	
(2)	05 शासकीय कर्मचारियों का अधिष्ठान (मुख्यालय)					
	मूल	456.25	456.25	352.33	(-)103.92	
(3)	11 दीनदयाल मात-पितृ तीर्थाटन योजना					
	मूल	100.00		58.00	53.30	(-)4.70
	पुनर्वि०	(-)42.00				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2024 को ₹ 42.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।					
(4)	12 होटल प्रबंधन संस्थान, नई टिहरी					
	मूल	291.01	291.01	177.53	(-)113.48	
(5)	16 श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट					
	मूल	800.00		640.00	639.54	(-)0.46
	पुनर्वि०	(-)160.00				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2024 को ₹ 160.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।					
(6)	17 आई०एच०एम०रामनगर को अनुदान					
	मूल	350.00		150.00	125.00	(-)25.00
	पुनर्वि०	(-)200.00				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ₹ 200.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।					

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः... कुल अनुदान		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	104 प्रचार एवं प्रसार				
(7)	18 राजकीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठाान				
	मूल	430.00	430.00	314.57	(-)115.43
(8)	26 उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2018 हेतु अनुदान				
	मूल	1,100.00			
			260.00	260.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)840.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ₹ 500.00 लाख, दिनांक 24 जनवरी 2024 को ₹ 40.00 लाख तथा दिनांक 27 फरवरी 2024 को ₹ 300.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय तथा सब्सिडी में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(9)	27 पर्यटन विकास के अंतर्गत अवस्थापना				
	मूल	100.00	100.00	73.43	(-)26.57

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	18 फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा को अनुदान				
	मूल	350.00			
			1.00	0.00	(-)1.00
	पुनर्वि०	(-)349.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ₹ 300.00 लाख तथा दिनांक 27 फरवरी 2024 को ₹ 49.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-------	--	---------------	--------------------------------------

	104 प्रचार एवं प्रसार			
(2)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ			
	मूल	100.00		
			1.00	0.00
	पुनर्वि०	(-99.00)		(-1.00)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2024 को ₹ 99.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।			

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

3452 पर्यटन

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	03 उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद्			
	मूल	6,300.00		
	पूरक	1,000.00	7,879.28	7,846.63
	पुनर्वि०	579.28		(-32.65)

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2024 को ₹ 200.00 लाख तथा दिनांक 27 फरवरी 2024 को ₹ 490.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 110.72 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।

	104 प्रचार एवं प्रसार			
(2)	25 दीन दयाल उपाध्याय (होम स्टे) विकास योजना			
	मूल	500.00		
			1,500.00	1,500.00
	पुनर्वि०	1,000.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ₹ 1000.00 लाख की वृद्धि सब्सिडी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 26 पर्यटन समाप्त.		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान			

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 2465.90 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	11,258.72	5,747.81	5,510.91
2019-20	13,260.02	8,869.07	4,390.95
2020-21	18,054.20	12,330.69	5,723.51
2021-22	15,239.81	11,122.53	4,117.28
2022-23	22,300.03	19,161.40	3,138.63

- (viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

01 पर्यटक अवसंरचना

101 पर्यटक केंद्र

03 इको पर्यटन

मूल	500.00	500.00	239.77	(-260.23)
-----	--------	--------	--------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

- (ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 सामान्य

104 प्रचार एवं प्रसार

97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ

मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-1,500.00)
-----	----------	----------	------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	--------------------------------	------------------	--

राजस्व:

- 2406 वानिकी और वन्य जीवन
3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

दत्तमत -

मूल	10,10,85,90	11,32,87,95	7,45,39,98	(-)3,87,47,97
पूरक वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)	1,22,02,05			2,11,98,84

पूँजीगत:

- 4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	70,72,97	74,70,59	58,67,03	(-)16,03,56
पूरक वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)	3,97,62			9,58,75

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 38747.97 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 21198.84 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
- (ii) ₹ 38747.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 12202.05 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	74,216.69	61,353.90	12,862.79
2019-20	103,027.35	63,128.38	39,898.97
2020-21	106,716.11	77,999.33	28,716.78
2021-22	129,809.11	112,066.37	17,742.74
2022-23	85,276.62	76,184.31	9,092.31

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-------	--	------------------	--------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2406 वानिकी और वन्य जीवन

01 वानिकी

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 अधिष्ठान एवं क्षमता विकास

मूल 58,663.57

50,119.15 49,420.19 (-)698.96

पुनर्वि० (-)8,544.42

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 145.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 8689.42 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण

(2) 01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 5,679.90

5,679.90 3,064.08 (-)2,615.82

(3) 05 वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन

मूल 9,184.30

पूरक 1,010.00

9,391.41 8,181.69 (-)1,209.72

पुनर्वि० (-)802.89

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 802.89 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

(4) 06 वनीकरण एवं संरक्षण

मूल 3,275.14

पूरक 300.00

2,997.89 2,794.10 (-)203.79

पुनर्वि० (-)577.25

दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 577.25 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	17 वन मार्गों, अश्व मार्गों, पुल एवं अन्य अवस्थापना विकास मूल	2,600.00	2,205.00	755.69	(-)1,449.31
	पुनर्वि०	(-)395.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2024 को ₹ 250.00 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 145.00 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी।				
(6)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	636.92	636.92	344.90	(-)292.02
	102 सामाजिक तथा फार्म वानिकी				
(7)	07 विभिन्न बोर्ड, परिषदों एवं फ़ाउंडेशन को सहायता मूल	1,800.00	2,700.00	1,089.36	(-)1,610.64
	पूरक	900.00			
(8)	97 वानिकी परियोजनाएँ (विश्व बैंक पोषित) मूल	9,000.00	9,000.00	3,000.00	(-)6,000.00
	02 पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन				
	110 वन्य जीवन संरक्षण				
(9)	01 केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	5,038.30	4,802.91	2,123.19	(-)2,679.72
	पुनर्वि०	(-)235.39			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 को ₹ 98.57 लाख, दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 2.59 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 134.23 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी।				
(10)	09 वन्य जीव प्रबंधन, राष्ट्रीय पार्कों एवं पक्षी विहारों का विकास तथा जू प्रबंधन मूल	938.21	528.19	277.31	(-)250.88
	पुनर्वि०	(-)410.02			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2024 को ₹ 410.02 लाख की कमी मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र, अन्य विभागीय व्यय, अनुरक्षण तथा लघु निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-------	--	---------------	--------------------------------------

	04 वनीकरण तथा पारिस्थितिकी विकास			
	103 राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण			
(11)	03 राज्य प्राधिकरण			
	मूल	32,554.46		
	पूरक	9,923.05	31,492.34	23,738.57
	पुनर्वि०	(-10,985.17)		(-7,753.77)
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 10985.17 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			

3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

	03 पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक उत्थान			
	102 पर्यावरण नियोजना तथा समन्वय			
(12)	02 पर्यावरण निदेशालय (अनुदान संख्या 07 से स्थानांतरित)			
	मूल	1,094.51		
			1,138.51	59.52
	पूरक	44.00		(-1,078.99)
(13)	05 सुन्दरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना			
	मूल	8.00	8.00	0.75
				(-7.25)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2406 वानिकी और वन्य जीवन

	01 वानिकी			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	05 उत्तराखंड वन विकास निधि का गठन			
	मूल	250.00	250.00	0.00
				(-250.00)

3435 पारिस्थितिकी और पर्यावरण

	03 पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक पुनर्जनन			
	102 पर्यावरण नियोजना तथा समन्वय			
(2)	06 आद्र भूमि प्राधिकरण			
	मूल	25.00	25.00	0.00
				(-25.00)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः... कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(vi)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
	2406 वानिकी और वन्य जीवन			
	02 पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन			
	110 वन्य जीवन संरक्षण			
(1)	06 मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गूजर पुनर्वास			
	मूल	1,896.03		
			2,411.94	2,318.55
				(-) 93.39
	पुनर्वि०	515.91		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 फरवरी 2024 को ₹ 660.02 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 144.11 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	426.02		
			661.41	524.78
				(-) 136.63
	पुनर्वि०	235.39		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 को ₹ 98.57 लाख, दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 2.59 लाख तथा 30 मार्च 2024 को ₹ 134.23 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			
	04 वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास			
	902 कटौती - राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि से पूरी की गयी धनराशि			
(3)	70 घटाएं वापसियां			
	मूल	(-) $32,554.46$	(-) $32,554.46$	(-) $23,738.57$
				(+) $8,815.89$
	₹ 23,738.57 लाख राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि से राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा हेतु प्रतिपूर्ति की गई, जिसे प्रारंभ में मुख्य शीर्ष-2406-04-103-03 के अंतर्गत प्रावधान के सापेक्ष लेखांकित की गई थी।			

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	----------------------------	------------	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 1603.56 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 958.75 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
- (viii) ₹ 1603.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 397.62 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	8,778.08	3,860.44	4,917.64
2019-20	9,059.96	3,676.14	5,383.82
2020-21	8,445.07	4,824.91	3,620.16
2021-22	7,543.23	4,569.03	2,974.20
2022-23	9,047.40	5,260.20	3,787.20

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय

01 वानिकी

101 वन संरक्षण और विकास

- (1) 03 वन मार्ग, अश्व मार्ग, पुल एवं अन्य अवस्थापना विकास
- | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|----------|
| मूल | 500.00 | | | |
| | | 177.82 | 133.57 | (-)44.25 |
| पुनर्वि० | (-)322.18 | | | |
| दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 322.18 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए । | | | | |
- (2) 04 आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण
- | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|-----------|
| मूल | 300.00 | 300.00 | 192.24 | (-)107.76 |
|-----|--------|--------|--------|-----------|
- (3) 08 वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन
- | | | | | |
|------|--------|--------|-------|-----------|
| मूल | 0.00 | | | |
| | | 397.61 | 60.74 | (-)336.87 |
| पूरक | 397.61 | | | |

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन समाप्त.		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन			
	110 वन्यजीव			
(4)	04 वन्य जीव प्रबंधन, राष्ट्रीय पार्को एवं पक्षी विहारो का विकास तथा जू प्रबंधन			
	मूल	150.00		
			125.50	99.91
	पुनर्वि०	(-)24.50		(-)25.59
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2023 को ₹ 24.50 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।			
(5)	06 मानव वन्यजीव संघर्ष एवं गूजर पुनर्वास			
	मूल	477.80		
			318.37	210.94
	पुनर्वि०	(-)159.43		(-)107.43
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2023 को ₹ 12.44 लाख तथा दिनांक 29 जनवरी 2024 को ₹ 35.41 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी । दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 111.59 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	------------	------------------	--

राजस्व:

2403	पशुपालन
2404	डेयरी विकास
2405	मत्स्य पालन

दत्तमत -

मूल	5,52,18,60			
		5,76,58,63	4,98,57,15	(-)78,01,48
पूरक	24,40,03			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				24,33,22

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,30,83 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

पूँजीगत:

4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय
4404	डेयरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय
4405	मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	65,25,00			
		79,75,00	68,14,38	(-)11,60,62
पूरक	14,50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 9,99,73 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 7801.48 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2433.22 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 7801.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 2440.03 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	31,617.49	29,078.31	2,539.18
2019-20	34,401.62	29,372.10	5,029.52
2020-21	40,245.98	32,183.80	8,062.18
2021-22	40,340.64	33,014.51	7,326.13
2022-23	49,417.80	40,422.74	8,995.06

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2403 पशुपालन

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	2,579.83			
पूरक	0.02	2,578.11	1,257.55	(-)1,320.56
पुनर्वि०	(-)1.74			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 1.74 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।

(2) 13 कृत्रिम गर्भाधान हेतु बी0ए0एफ0 केन्द्रों का संचालन

मूल	360.87			
		253.26	194.85	(-)58.41
पुनर्वि०	(-)107.61			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2023 को ₹ 0.63 लाख, दिनांक 03 अक्टूबर 2023 को ₹ 1.00 लाख, 05 मार्च 2024 को ₹ 102.59 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 3.39 लाख की कमी अन्य विभागीय व्यय में हुई बचत के कारण की गयी ।

(3) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल	583.41			
		583.42	311.26	(-)272.16
पूरक	0.01			

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
	106 अन्य पशुधन विकास				
(4)	22 पशुधन मिशन योजना ऋण पर ब्याज भुगतान मूल	0.00			
			400.00	328.59	(-71.41)
	पूरक	400.00			
	2404 डेयरी विकास				
	00				
	102 डेयरी विकास परियोजनाएँ				
(5)	11 दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन मूल	3,500.00			
			2,792.00	2,782.33	(-9.67)
	पुनर्वि०	(-708.00)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 को ₹ 350.00 लाख तथा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 358.00 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(6)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	1,000.00	1,000.00	99.39	(-900.61)
(7)	98 नाबार्ड मूल	2,500.00	2,500.00	1,282.56	(-1,217.44)
	2405 मत्स्य पालन				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(8)	03 अधिष्ठान मूल	1,788.34			
			1,411.75	1,316.99	(-94.76)
	पुनर्वि०	(-376.59)			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 376.59 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101		अंतर्देशीय मत्स्य पालन			
(9)	95		केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
			मूल	492.04		
			पुनर्वि०	(-)157.83	334.21	333.95
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 157.83 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।			(-)0.26
	2404		डेयरी विकास			
			00			
	102		डेयरी विकास परियोजनाएँ			
(10)	97		वाह्य सहायतित योजना			
			मूल	1,200.00	1,200.00	0.00
			उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।			(-)1,200.00
(v)			आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
	2403		पशुपालन			
			00			
	101		पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य			
(1)	12		नकुल स्वास्थ्य पत्र/पशुधन संजीवनी			
			मूल	13.30		
			पुनर्वि०	3.59	16.89	16.89
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 मार्च 2024 को ₹ 3.59 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			0.00
	113		प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी			
(2)	01		केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
			मूल	131.11		
			पुनर्वि०	5.76	136.87	135.50
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2023 को ₹ 0.63 लाख, दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 1.74 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2024 को ₹ 3.39 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।			(-)1.37

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2404 डेयरी विकास					
	00					
	102 डेयरी विकास परियोजनाएँ					
(3)	14 दुग्ध संघ कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना					
	मूल	0.01				
	पुनर्वि०	350.00		350.01	350.00	(-)0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 को ₹ 350.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।					
(4)	15 साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना					
	मूल	1,500.00				
	पूरक	700.00	2,458.00	2,458.00		0.00
	पुनर्वि०	258.00				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 258.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।					
(5)	17 पशुचारा बीज वितरण					
	मूल	200.00				
	पुनर्वि०	100.00	300.00	300.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 04 मार्च 2024 को ₹ 100.00 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।					
	2405 मत्स्य पालन					
	00					
	101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन					
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	2,616.91				
	पुनर्वि०	157.83	2,774.74	2,774.73		(-)0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 157.83 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।					

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 1160.62 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	2,727.78	896.86	1,830.92
2019-20	3,762.69	1,322.73	2,439.96
2020-21	2,895.55	848.89	2,046.66
2021-22	3,049.30	814.54	2,234.76
2022-23	6,525.02	2,655.01	3,870.01

- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

00

- 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य
- (1) 09 पशुपालन विभाग में राज्य क्षेत्र योजनांतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य
- | | | | | |
|------|--------|--------|--------|----------|
| मूल | 300.00 | | | |
| | | 500.00 | 420.41 | (-79.59) |
| पूरक | 200.00 | | | |
- 106 अन्य पशुधन विकास
- (2) 98 नाबार्ड पोषित
- | | | | | |
|------|----------|----------|----------|-----------|
| मूल | 3,000.00 | | | |
| | | 4,100.00 | 3,524.11 | (-575.89) |
| पूरक | 1,100.00 | | | |

4405 मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय

00

- 001 निदेशन तथा प्रशासन
- (3) 03 मत्स्य विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण
- | | | | | |
|-----|-------|-------|------|----------|
| मूल | 25.00 | 25.00 | 2.07 | (-22.93) |
|-----|-------|-------|------|----------|

अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य समाप्त.				
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	101 अंतर्देशीय मत्स्य पालन			
(4)	98 नाबार्ड मूल	900.00	900.00	417.79 (-)482.21

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
	कुल अनुदान/ विनियोग			

राजस्व:

2401 फसल कृषिकर्म

दत्तमत -

मूल	5,80,96,46			
		5,89,37,66	3,54,59,73	(-) 2,34,77,93
पूरक	8,41,20			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				50,62,03

भारित-

मूल	2,30,12			
		2,30,12	1,83,31	(-) 46,81
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

अनुदान के राजस्व भारत अनुभाग में ₹ 84,30 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

पूँजीगत:

4401 फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत -

मूल	2,32,40,00			
		2,36,40,00	91,37,87	(-) 1,45,02,13
पूरक	4,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				...

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 23477.93 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 5062.03 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 23477.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 841.20 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	30,744.45	26,282.24	4,462.21
2019-20	32,885.99	26,087.16	6,798.83
2020-21	42,067.36	32,351.15	9,716.21
2021-22	40,186.03	33,233.98	6,952.05
2022-23	53,674.41	39,512.59	14,161.82

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषिकर्म

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	8,766.01	8,766.01	4,226.39	(-)4,539.62
(2)	03 औद्योगिक विकास				
	मूल	30,783.75			
	पूरक	431.20	26,893.97	23,907.99	(-)2,985.98
	पुनर्वि०	(-)4,320.98			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 511.21 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 3809.77 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
(3)	06 चाय विकास योजना				
	मूल	1,862.50			
			1,454.50	1,454.50	0.00
	पुनर्वि०	(-)408.00			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 408.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	09 जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान मूल	800.00	460.00	460.00	0.00
	पुनर्वि०	(-340.00)			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 को ₹ 60.00 लाख की वृद्धि वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 400.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।				
(5)	13 मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना मूल	66.44	66.44	55.49	(-10.95)
(6)	26 सगंध पौधा केंद्र को अनुदान और सगंध पौधों के क्लस्टर का विकास (09 से स्थानांतरित) मूल	2,450.00	2,450.00	640.00	(-1,810.00)
(7)	31 मिशन एप्पल योजना मूल	3,500.00	3,500.00	1,077.89	(-2,422.11)
(8)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	2,156.20	2,156.20	714.04	(-1,442.16)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

2401 फसल कृषिकर्म

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

(1)	08 सघन पौधा रोपण हेतु फलपौध सामग्री का आयात मूल	100.01	100.01	0.00	(-100.01)
(2)	15 मेहल एवं अन्य फलों (आंवला, आम) के ढांचा रोपण की योजना मूल	0.00			
	पूरक	400.00	340.00	0.00	(-340.00)
	पुनर्वि०	(-60.00)			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 को ₹ 60.00 लाख की कमी वृक्षारोपण में हुई बचत के कारण की गयी।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(3)	16 मानव संसाधन विकास की योजना मूल	8.00	8.00	0.00	(-)8.00
(4)	18 भेषज कृषि विकास मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
(5)	36 औद्योगिक उत्पादों का ढुलान मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
(6)	97 बाह्य सहायतित परियोजनायें मूल	4,000.00	4,000.00	0.00	(-)4,000.00
(7)	98 नाबार्ड पोषित मूल	500.01	500.01	0.00	(-)500.01

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

2401 फसल कृषिकर्म

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

34 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना

मूल 1,000.00

1,066.94

1,066.94

0.00

पुनर्वि०

66.94

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 511.21 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 444.27 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------------------	------------------	--------------------------------------

**राजस्व:
भारित-**

- (vii) ₹ 46.81 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	105.98	105.35	0.63
2019-20	172.55	106.02	66.53
2020-21	157.55	145.66	11.89
2021-22	162.43	147.06	15.37
2022-23	199.48	165.01	34.47

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषिकर्म

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

03 औद्योगिक विकास

मूल	230.12	230.12	183.31	(-)46.81
-----	--------	--------	--------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

**पूंजीगत:
दत्तमत-**

- (x) ₹ 14502.13 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (xi) ₹ 677.53 लाख की वसूली पूंजीगत दत्तमत अनुदान के अंतर्गत प्राप्त हुई (परिशिष्ट-II)
- (xii) ₹ 14502.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 400.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
--------------	-------	------------	------------------	--------------------------------------

(xiii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4401 फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

98 नाबार्ड

मूल	20,000.00	20,000.00	7,773.97	(-)12,226.03
-----	-----------	-----------	----------	--------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4401 फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

(1) 14 रोपवे/ट्राली का निर्माण

मूल	230.00			
		182.50	0.00	(-)182.50
पुनर्वि०	(-)47.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 47.50 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।

(2) 97 बाह्य सहायतित परियोजनायें

मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-)2,000.00
-----	----------	----------	------	-------------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

(xv) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4401 फसल कृषिकर्म पर पूँजीगत परिव्यय

00

119 बागवानी और सब्जी फसलें

13 राजकीय बागवानी उद्यानों का सुदृढीकरण

मूल	100.00			
		147.50	147.50	0.00
पुनर्वि०	47.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को ₹ 47.50 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण		
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेलकूद और युवा सेवाएँ		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना एवं प्रचार		
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास		
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		
2401	फसल कृषिकर्म		
2403	पशुपालन		
2404	डेयरी विकास		
2405	मत्स्य पालन		
2406	वानिकी और वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2505	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
2701	मध्यम सिंचाई		
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास		
2810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा		
2851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

दत्तमत -

मूल	16,70,56,94	17,91,99,82	11,95,23,06	(-),96,76,76
पूरक	1,21,42,88			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				22,13,79

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,38,01 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
-----------	-------	------------	---------------	---------------------------------------

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय			
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय			
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय			
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजी परिव्यय			
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			

दत्तमत -

मूल	4,10,04,08			
		6,71,23,55	5,01,89,98	(-)1,69,33,57
पूरक	2,61,19,47			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				4,14,61

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 59676.76 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 2213.79 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 59676.76 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 12142.88 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...		आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	120,062.34	87,954.75	32,107.59
2019-20	120,953.24	82,957.32	37,995.92
2020-21	121,166.22	93,289.04	27,877.18
2021-22	150,760.08	87,061.78	63,698.30
2022-23	173,893.18	110,433.69	63,459.49

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारंभिक शिक्षा

	102 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता				
(1)	03 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति				
	मूल	3,100.00	3,100.00	2,778.15	(-)321.85
	112 प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0 एम0 पोषण)				
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	3,333.22	3,333.22	2,771.84	(-)561.38
(3)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	315.19	315.19	277.66	(-)37.53
	02 माध्यमिक शिक्षा				
	106 पाठ्य पुस्तक				
(4)	02 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तक				
	मूल	1,000.00			
	पूरक	1,122.00	2,122.00	1,084.14	(-)1,037.86
	113 समग्र शिक्षा				
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	12,564.67	12,564.67	9,205.59	(-)3,359.08

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...					
क्रम. सं०	शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	1,395.41	1,395.41	1,022.84	(-)372.57
	800 अन्य व्यय				
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	501.12	501.12	338.04	(-)163.08
(8)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	55.68	55.68	37.56	(-)18.12
	2203 तकनीकी शिक्षा				
	00				
	112 अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान				
(9)	03 पंत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, पंतनगर को सहायता अनुदान				
	मूल	353.00	353.00	49.00	(-)304.00
	2204 खेलकूद और युवा सेवाएँ				
	00				
	104 खेलकूद और क्रीड़ा				
(10)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान				
	मूल	30.00	30.00	23.09	(-)6.91
	2205 कला तथा संस्कृति				
	00				
	102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्धन				
(11)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान				
	मूल	50.00	50.00	24.90	(-)25.10
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी				
	110 अस्पताल एवं औषधालय				
(12)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	46.63			
			611.63	70.48	(-)541.15
	पूरक	565.00			

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	03 नगरो का समेकित विकास					
	मूल	0.00				
			950.00	411.45	(-538.55)	
	पूरक	950.00				
	800 अन्य व्यय					
(18)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	80.00	80.00	68.57	(-11.43)	
	2220 सूचना एवं प्रचार					
	60 अन्य					
	107 संगीत एवं नाट्य सेवाएँ					
(19)	02 गीत एवं नाट्य योजना					
	मूल	100.00	100.00	71.69	(-28.31)	
	2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण					
	01 अनुसूचित जाति का कल्याण					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(20)	07 एससीपी/टीएसपी नियोजना प्रकोष्ठ का अधिष्ठान					
	मूल	108.00				
			118.00	88.40	(-29.60)	
	पूरक	10.00				
(21)	08 अनुसूचित जाति आयोग का अधिष्ठान					
	मूल	134.84	134.84	79.75	(-55.09)	
	102 आर्थिक विकास					
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	2,820.40	2,820.40	120.49	(-2,699.91)	
(23)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना					
	मूल	35.83	35.83	3.02	(-32.81)	

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(24)	07 अनुसूचित जाति के प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान				
	मूल	2,700.00			
	पुनर्वि०	(-1,147.00)	1,553.00	903.00	(-650.00)
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 1147.00 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(25)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	150.00	150.00	100.49	(-49.51)
(26)	277 शिक्षा 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,019.02			
	पुनर्वि०	17.20	1,036.22	17.20	(-1,019.02)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2024 को ₹ 17.20 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(27)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन				
	मूल	378.51	378.51	273.36	(-105.15)
(28)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन				
	मूल	708.53	708.53	392.53	(-316.00)
(29)	12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास				
	मूल	621.54	621.54	340.26	(-281.28)
(30)	16 अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति				
	मूल	1,150.00	1,150.00	988.32	(-161.68)
(31)	18 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना				
	मूल	311.37	311.37	155.87	(-155.50)
(32)	20 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु सेमिनार/कार्यशाला/सर्वेक्षण/अनुसंधान/ प्रचार का संचालन				
	मूल	20.00	20.00	4.95	(-15.05)

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(33)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	2,712.00	2,694.80	420.00	(-)2,274.80
		पुनर्वि०	(-)17.20			
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2024 को ₹ 17.20 लाख की कमी छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(34)	283	आवास				
	02	अटल आवास योजना मूल	400.00	267.20	267.20	0.00
		पुनर्वि०	(-)132.80			
		दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 132.80 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(35)	793	अनुसूचित जाति की संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता				
	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	500.00	500.00	164.66	(-)335.34
		2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास				
		02 रोजगार सेवा				
		101 रोजगार सेवाएँ				
(36)	02	शिक्षा एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना मूल	77.79	77.79	63.54	(-)14.25
		03 प्रशिक्षण				
		003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण				
(37)	02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण मूल	119.70	119.70	78.30	(-)41.40
		2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
		02 समाज कल्याण				
		101 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण				
(38)	02	अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान मूल	2,841.60	2,841.60	2,387.60	(-)454.00

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	102 बाल कल्याण					
(39)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	7,208.66	7,208.66	5,633.31	(-)1,575.35	
(40)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	800.96	800.96	625.93	(-)175.03	
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम					
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना					
(41)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	2,930.87	2,930.92	1,784.31	(-)1,146.61	
	पुनर्वि०	0.05				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ₹ 0.05 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।					
(42)	96 पूर्व योजना के सापेक्ष टॉप अप					
	मूल	9,561.92	9,561.87	6,107.64	(-)3,454.23	
	पुनर्वि०	(-)0.05				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ₹ 0.05 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी ।					
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम					
	102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन					
(43)	03 किसान पेंशन योजना					
	मूल	840.00	796.24	357.38	(-)438.86	
	पुनर्वि०	(-)43.76				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 मार्च 2024 को ₹ 43.76 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी ।					

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2401 फसल कृषिकर्म					
	00					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(44)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	6,729.91		6,729.92	1,876.32	(-)4,853.60
	पूरक	0.01				
(45)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	570.40		749.43	208.48	(-)540.95
	पूरक	179.03				
(46)	109 विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण					
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	2,018.41		2,018.41	591.10	(-)1,427.31
(47)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	237.60		237.60	65.68	(-)171.92
(48)	114 तिलहन विकास					
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	16.20		16.20	7.10	(-)9.10
(49)	119 बागवानी और सब्जी फसलें					
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	2,402.01		2,402.01	868.12	(-)1,533.89
(50)	02 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना					
	मूल	1,184.61		1,184.61	433.72	(-)750.89
(51)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	288.73		288.73	96.46	(-)192.27

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2403 पशुपालन					
	00					
	101 पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य					
(52)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	774.27	774.27	271.41	(-)502.86	
(53)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	201.33	201.33	30.15	(-)171.18	
	2406 वानिकी और वन्य जीवन					
	01 वानिकी					
	101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण					
(54)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	120.00	120.00	37.02	(-)82.98	
(55)	02 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण					
	मूल	490.37	490.37	432.58	(-)57.79	
(56)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	20.00	20.00	4.11	(-)15.89	
	102 सामाजिक और कृषि वानिकी					
(57)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	128.25	128.25	41.78	(-)86.47	
(58)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	14.25	14.25	4.64	(-)9.61	
	02 पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन					
	110 वन्य जीवन संरक्षण					
(59)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	262.79				
			261.46	210.37	(-)51.09	
	पुनर्वि०	(-)1.33				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 1.33 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<i>04 वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास</i>					
	101 राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम					
(60)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,045.33	1,045.33	619.67	(-)425.66	
(61)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	175.16	175.16	112.72	(-)62.44	
	2505 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम					
	<i>02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएँ</i>					
	101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून					
(62)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	7,000.00				
			6,316.50	2,736.22	(-)3,580.28	
		पुनर्वि०	(-)683.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 683.50 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।					
(63)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	3,000.00	3,000.00	912.07	(-)2,087.93	
	2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
	<i>00</i>					
	101 पंचायती राज					
(64)	03	पंचायत भवनो का अनुरक्षण / जीर्णोद्धार				
	मूल	112.00				
			224.00	200.00	(-)24.00	
		पूरक	112.00			
	102 सामुदायिक विकास					
(65)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	25,364.20				
	पूरक	2,051.00	28,098.70	21,057.51	(-)7,041.19	
	पुनर्वि०	683.50				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 683.50 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।					

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(66)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	2,951.80		3,179.80	2,339.72	(-840.08)
	पूरक	228.00				
	2701 मध्यम सिंचाई					
	80 सामान्य					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(67)	03 नलकूप, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य					
	मूल	200.00	200.00	200.00	42.93	(-157.07)
	2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास					
	01 बाढ़ नियंत्रण					
	103 सिविल कार्य					
(68)	03 निर्माण					
	मूल	300.00	300.00	300.00	227.26	(-72.74)
(69)	04 बाढ़ सुरक्षा कार्यो हेतु					
	मूल	50.00	50.00	50.00	15.94	(-34.06)
	2810 नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा					
	02 सौर ऊर्जा					
	102 सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम					
(70)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान					
	मूल	826.00	826.00	826.00	655.71	(-170.29)
	3452 पर्यटन					
	80 सामान्य					
	104 प्रचार एवं प्रसार					
(71)	02 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना					
	मूल	250.00	250.00	250.00	148.58	(-101.42)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
	2202 सामान्य शिक्षा					
	03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(1)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	855.00	855.00	0.00	(-)855.00
(2)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	95.00	95.00	0.00	(-)95.00
	2203 तकनीकी शिक्षा					
	00					
	112 अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान					
(3)	04	इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा को सहायता अनुदान				
		मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य					
	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ					
	789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना					
(4)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी					
	110 अस्पताल एवं औषधालय					
(5)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	0.02			
		पूरक	5,085.99	5,086.01	0.00	(-)5,086.01

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
		2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
		01	अनुसूचित जातियों का कल्याण				
		001	निदेशन तथा प्रशासन				
(6)		06	राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (50% केंद्र पोषित)				
			मूल	40.83	40.83	0.00	(-)40.83
		102	आर्थिक विकास				
(7)		05	शिल्पी ग्राम योजना				
			मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
(8)		08	सफाई कर्मचारियों की सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मृत्यु होने पर अनुदान				
			मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00
		277	शिक्षा				
(9)		07	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना				
			मूल	800.00	800.00	0.00	(-)800.00
		2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास				
		03	प्रशिक्षण				
		102	शिक्षिता प्रशिक्षण				
(10)		01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
			मूल	26.97	26.97	0.00	(-)26.97
		2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम				
		06	स्व-रोजगार कार्यक्रम				
		102	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन				
(11)		01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
			मूल	28.35	28.35	0.00	(-)28.35

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...		
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 16933.57 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 414.61 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	33,133.26	23,505.53	9,627.73
2019-20	32,665.51	23,800.03	8,865.48
2020-21	42,818.73	30,320.38	12,498.35
2021-22	61,685.11	31,381.05	30,304.06
2022-23	35,597.84	23,357.81	12,240.03

- (viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

	<i>01 सामान्य शिक्षा</i>			
	202 माध्यमिक शिक्षा			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,503.36		
			8,600.36	4,942.83
	पूरक	3,097.00		(-)3,657.53
(2)	02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	200.00	200.00	77.12
				(-)122.88
(3)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
	मूल	667.04		
			888.04	482.54
	पूरक	221.00		(-)405.50
	<i>02 तकनीकी शिक्षा</i>			
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान			
(4)	03 पन्त कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी पंतनगर			
	मूल	318.00	318.00	174.73
				(-)143.27

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ					
	102 खेलकूद स्टेडियम					
(5)	03 इंडोर हॉल एवं छात्रावास का निर्माण					
	मूल	100.00	100.00	6.81	(-)93.19	
	4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय					
	01 जलापूर्ति					
	101 शहरी जल आपूर्ति					
(6)	05 नगरीय पेयजल					
	मूल	220.00	220.00	97.17	(-)122.83	
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति					
(7)	02 हैण्डपम्प का अधिष्ठान					
	मूल	520.00	520.00	215.40	(-)304.60	
	02 सीवरेज एवं स्वच्छता					
	106 सीवरेज सेवाएँ					
(8)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	2,000.00				
	पूरक	1,945.82	2,445.82	1,732.94	(-)712.88	
	पुनर्वि०	(-)1,500.00				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 1500.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।					
(9)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	250.00				
			299.54	192.55	(-)106.99	
	पूरक	49.54				
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय					
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण					
	277 शिक्षा					
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	2,700.00	2,700.00	325.00	(-)2,375.00	

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	800	अन्य व्यय				
(11)	03	अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास				
		मूल	3,000.00			
		पूरक	3,500.00	4,000.00	3,761.12	(-)238.88
		पुनर्वि०	(-)2,500.00			
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 2500.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।				
	4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
		02 समाज कल्याण				
		102 बाल कल्याण				
(12)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	61.00	61.00	44.44	(-)16.56
	4406	वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय				
		01 वानिकी				
		101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण				
(13)	04	बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण				
		मूल	509.84	509.84	448.39	(-)61.45
	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
		00				
		102 सामुदायिक विकास				
(14)	02	अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान				
		मूल	2,400.01			
				1,086.97	671.15	(-)415.82
		पुनर्वि०	(-)1,313.04			
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 1500.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2023 को ₹ 57.49 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 129.47 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
	04 नलकूपों का निर्माण					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(15)	02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान					
	मूल	200.00		75.33	69.12	(-)6.21
	पुनर्वि०	(-)124.67				
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 124.67 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।					
	06 नलकूप, नहर एवं लिफ्ट निर्माण/पुनरोद्धार कार्य					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(16)	02 निर्माण कार्य					
	मूल	300.00	300.00	217.21		(-)82.79
	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय					
	00					
	101 सतही जल					
(17)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	200.00	200.00	166.66		(-)33.34
	4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
	01 बाढ़ नियंत्रण					
	103 सिविल निर्माण कार्य					
(18)	02 अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना					
	मूल	350.00	350.00	97.83		(-)252.17
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय					
	04 जिला एवं अन्य सड़कें					
	337 सड़क निर्माण कार्य					
(19)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कॉम्पोनेन्ट प्लान					
	मूल	3,150.00	2,860.05	2,795.85		(-)64.20
	पुनर्वि०	(-)289.95				
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 289.95 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।					

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(ix)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
	4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय					
	02 तकनीकी शिक्षा					
	104 बहुशिल्प					
(1)	03 राजकीय बहुशिल्प संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/ सुदृढ़ीकरण					
	मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00	
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान					
(2)	04 इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट					
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	
(3)	05 इंजीनियरिंग कॉलेज घुडदौड़ी					
	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	
	04 कला और संस्कृति					
	800 अन्य व्यय					
(4)	03 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन					
	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00	
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय					
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण					
	190 सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश					
(5)	03 अनुसूचित जाति निगम को स्वरोजगार हेतु अंश पूँजी					
	मूल	30.01	30.01	0.00	(-)30.01	
	277 शिक्षा					
(6)	05 अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विद्यालय का निर्माण					
	मूल	300.01	300.01	0.00	(-)300.01	
(7)	06 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का भवन निर्माण					
	मूल	33.71	33.71	0.00	(-)33.71	

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(8)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00
	4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
	02 समाज कल्याण				
	800 अन्य व्यय				
(9)	03 निदेशालय के भवन का निर्माण मूल	52.25	52.25	0.00	(-)52.25
	4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
	00				
	102 सामुदायिक विकास				
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	0.01	1,500.01	0.00	(-)1,500.01
	पूरक	1,500.00			
(11)	96 पूर्व योजना के सापेक्ष टॉप अप मूल	5,000.00			
	पूरक	4,100.00	4,408.04	0.00	(-)4,408.04
	पुनर्वि०	(-)4,691.96			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 4100.00 लाख, दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को ₹ 405.00 लाख, दिनांक 27 दिसंबर 2023 को ₹ 57.49 लाख तथा दिनांक 07 मार्च 2024 को ₹ 129.47 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी।				
	5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय				
	80 सामान्य				
	104 प्रचार एवं प्रसार				
(12)	04 पर्यटन विकास की नई योजनाएँ (राज्य सेक्टर) मूल	200.00	200.00	0.00	(-)200.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(x) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान

105 एलोपैथी

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 0.00

पूरक 0.01 8,600.01 8,503.48 (-)96.53

पुनर्वि० 8,600.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 8600.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

(2) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल 0.00

पूरक 0.01 1,000.01 950.00 (-)50.01

पुनर्वि० 1,000.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 1000.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

00

102 सामुदायिक विकास

(3) 04 विधायक निधि

मूल 5,058.75

पूरक 1,186.25 6,650.00 6,650.00 0.00

पुनर्वि० 405.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर 2023 को ₹ 405.00 लाख की वृद्धि पूँजीगत परिसम्पत्तियों का सृजन हेतु अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-) (₹ हजार में)
------------------	--	------------	---------------	--

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा			
2203	तकनीकी शिक्षा			
2204	खेलकूद और युवा सेवाएँ			
2205	कला तथा संस्कृति			
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211	परिवार कल्याण			
2217	शहरी विकास			
2220	सूचना एवं प्रचार			
2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास			
2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2401	फसल कृषिकर्म			
2403	पशुपालन			
2404	डेयरी विकास			
2405	मत्स्य पालन			
2406	वानिकी और वन्य जीवन			
2425	सहकारिता			
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2701	मध्यम सिंचाई			
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
2810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा			
2851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग			
3452	पर्यटन			

दत्तमत -

मूल	4,68,98,23			
		5,02,30,28	3,07,11,25	(-1,95,19,03)
पूरक	33,32,05			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				17,68,52

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,40,00 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में हुई।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
----------	-------	--	------------	---------------	---------------------------------------

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय				
4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय				
4215	जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय				
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय				
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
4810	नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर पूँजी परिव्यय				
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय				
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय				
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय				

दत्तमत -

मूल	1,46,04,94			
		2,31,09,40	1,57,53,47	(-)73,55,93
पूरक	85,04,46			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2024)				1,84,84

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 62,37 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किये गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 19519.03 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 1768.52 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 19519.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह सितंबर 2023 को प्राप्त ₹ 3332.05 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
----------	-------	--	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2018-19	36,387.92	24,178.87	12,209.05
2019-20	38,432.74	23,902.84	14,529.90
2020-21	39,264.30	28,014.30	11,250.00
2021-22	42,625.62	28,652.09	13,973.53
2022-23	46,640.97	27,194.94	19,446.03

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2202 सामान्य शिक्षा

01 प्रारंभिक शिक्षा

102 गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

(1)	02 शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति				
	मूल	700.00	700.00	617.37	(-82.63)

112 प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम0 पोषण)

(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	401.81	401.81	334.15	(-67.66)

02 माध्यमिक शिक्षा

106 पाठ्य पुस्तक

(3)	02 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्यपुस्तक				
	मूल	124.71			
			267.03	142.30	(-124.73)
	पूरक	142.32			

113 समग्र शिक्षा

(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	4,205.58	4,205.58	1,155.35	(-3,050.23)

(5)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	467.06	467.06	128.37	(-338.69)

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	800 अन्य व्यय					
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	167.04	167.04	42.52	(-124.52)	
(7)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	18.56	18.56	4.72	(-13.84)	
	2205 कला तथा संस्कृति					
	00					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(8)	02 जनजातीय कला एवं संस्कृति का अभिलेखन, संरक्षण तथा उन्नयन हेतु योजना (22050079602 से स्थानान्तरित)					
	मूल	20.00	20.00	2.00	(-18.00)	
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य					
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी					
	110 अस्पताल एवं औषधालय					
(9)	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना					
	मूल	72.25	72.25	47.49	(-24.76)	
(10)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	13.49	132.49	9.39	(-123.10)	
	पूरक	119.00				
	04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं					
	102 होम्योपैथी					
(11)	02 कालसी देहारादून में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना					
	मूल	41.73	41.96	32.44	(-9.52)	
	पूरक	0.23				
	06 लोक स्वास्थ्य					
	101 रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण					
(12)	02 राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना					
	मूल	74.40	113.22	64.91	(-48.31)	
	पूरक	38.82				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...			
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(13)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन (पी०पी०पी०)				
	मूल	80.00	80.00	48.80	(-)31.20
	2211 परिवार कल्याण				
	00				
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ				
(14)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	459.50			
	पूरक	77.50	215.60	105.37	(-)110.23
	पुनर्वि०	(-)321.40			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 321.40 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
	2217 शहरी विकास				
	03 छोटे और मध्यम शहरों का एकीकृत विकास				
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता				
(15)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	700.00	700.00	140.40	(-)559.60
(16)	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का एकीकृत विकास				
	मूल	0.00			
	पूरक	200.00	200.00	174.75	(-)25.25
(17)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	100.00	100.00	20.40	(-)79.60
	2225 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण				
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(18)	04 उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान				
	मूल	110.68			
	पुनर्वि०	(-)3.93	106.75	33.40	(-)73.35
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2024 को ₹ 3.93 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण की गयी ।				

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...					
क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(19)	05 जनजातीय सलाहकार परिषद मूल	37.02	37.02	21.71	(-)15.31
	102 आर्थिक विकास				
(20)	02 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना मूल	75.35	75.35	65.36	(-)9.99
(21)	06 बक्सा और राजी जनजातियों का विकास मूल	50.00			
	पुनर्वि०	(-)19.55	30.45	22.03	(-)8.42
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2023 को ₹ 10.86 लाख, दिनांक 20 फरवरी 2024 को ₹ 3.12 लाख तथा दिनांक 27 फरवरी 2024 को ₹ 5.57 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।				
	277 शिक्षा				
(22)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,570.00	1,570.00	972.97	(-)597.03
(23)	03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रखरखाव मूल	262.70	262.70	197.80	(-)64.90
(24)	04 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रखरखाव मूल	3,128.91			
	पूरक	2.24	2,946.40	2,645.71	(-)300.69
	पुनर्वि०	(-)184.75			
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 184.75 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(25)	06 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना मूल	654.20			
	पुनर्वि०	(-)122.50	531.70	479.11	(-)52.59
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 122.50 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
(26)	07 सहायता प्राप्त पुस्तकालयों/छात्रावासों और प्राथमिक पाठशालाओं हेतु अनुदान				
	मूल	1,005.00			
	पुनर्वि०	8.60	1,013.60	893.72	(-119.88)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2024 को ₹ 8.60 लाख की वृद्धि वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(27)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	140.00	140.00	28.72	(-111.28)
(28)	283 आवास				
	02 अटल आवास योजना				
	मूल	200.00			
	पुनर्वि०	(-149.60)	50.40	50.40	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 149.60 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए ।				
(29)	794 जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	400.00			
	पुनर्वि०	(-164.05)	235.95	43.39	(-192.56)
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2024 को ₹ 164.05 लाख की कमी सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(30)	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	0.00			
	पूरक	100.00	100.00	30.00	(-70.00)
(31)	2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास				
	03 प्रशिक्षण				
	003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण				
	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना				
	मूल	20.30	20.30	14.31	(-5.99)

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण					
	02 समाज कल्याण					
	101 विकलांगों का कल्याण					
(32)	02 दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु भत्ता					
	मूल	483.48		366.21	361.56	(-)4.65
	पुनर्वि०	(-)117.27				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ₹ 6.25 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 111.02 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी ।					
(33)	03 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण यंत्र अनुदान					
	मूल	8.00		8.00	0.19	(-)7.81
	103 महिला कल्याण					
(34)	02 निराश्रित विधवा पेंशन					
	मूल	1,021.50		948.54	918.53	(-)30.01
	पुनर्वि०	(-)72.96				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ₹ 72.96 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी ।					
	104 वृद्धों, दुर्बल और निराश्रितों का कल्याण					
(35)	02 वृद्धावस्था पेंशन					
	मूल	3,200.00		1,905.20	1,875.70	(-)29.50
	पुनर्वि०	(-)1,294.80				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 जून 2023 को ₹ 1294.80 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी ।					
	200 अन्य कार्यक्रम					
(36)	02 किसान पेंशन योजना					
	मूल	125.00		119.09	53.48	(-)65.61
	पुनर्वि०	(-)5.91				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ₹ 3.83 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 2.08 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी ।					

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		03	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
		796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(37)		96	पूर्व योजना के सापेक्ष टॉप अप			
			मूल	1,767.91		
			पुनर्वि०	(-1,348.49)	419.42	394.31
						(-25.11)
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ₹ 462.26 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 128.85 लाख की कमी सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 757.38 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
		2401	फसल कृषिकर्म			
		00				
		001	निदेशन तथा प्रशासन			
(38)		01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
			मूल	840.61		
			पूरक	141.01	953.15	331.73
			पुनर्वि०	(-28.47)		(-621.42)
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2024 को ₹ 13.72 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 14.75 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी।			
(39)		95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश			
			मूल	93.56		
			पूरक	16.03	106.51	37.20
			पुनर्वि०	(-3.08)		(-69.31)
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2024 को ₹ 1.44 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 1.64 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0 एन0 ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी।			
(40)		109	विस्तार एवं कृषक प्रशिक्षण			
		01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
			मूल	386.41		
			पुनर्वि०	28.47	414.88	133.25
						(-281.63)
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2024 को ₹ 13.72 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 14.75 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(41)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	42.60			
				45.68	14.72	(-)30.96
		पुनर्वि०	3.08			
		प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2024 को ₹ 1.44 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 1.64 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।				
(42)	119	बागवानी और सब्जी फसलें				
	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	253.10	253.10	154.25	(-)98.85
(43)	17	पर ड्राप मोर क्राप के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (राज्य)				
		मूल	127.62	127.62	9.15	(-)118.47
(44)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	57.82	57.82	17.14	(-)40.68
	2403 पशुपालन					
	00					
	101 पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य					
(45)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	269.81	269.81	137.73	(-)132.08
(46)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	76.00	76.00	15.30	(-)60.70
	2406 वानिकी और वन्य जीवन					
	01 वानिकी					
	101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण					
(47)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	302.06	302.06	130.14	(-)171.92
(48)	02	बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण				
		मूल	251.42	251.42	217.60	(-)33.82
(49)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	32.26	32.26	14.46	(-)17.80

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(50)	102 सामाजिक और कृषि वानिकी 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	20.25	20.25	20.25	6.50	(-)13.75
	02 पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन					
(51)	110 वन्य जीवन संरक्षण 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	262.79		235.41	223.72	(-)11.69
	पुनर्वि०	(-)27.38				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 को ₹ 17.53 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 9.85 लाख की कमी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।					
	2425 सहकारिता					
	00					
	800 अन्य व्यय					
(52)	02 दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना मूल	200.00		700.00	517.44	(-)182.56
	पूरक	500.00				
	2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम					
	01 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
	003 प्रशिक्षण					
(53)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,378.00	3,378.00	3,378.00	893.89	(-)2,484.11
(54)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	417.00	417.00	417.00	99.32	(-)317.68
	2505 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम					
	02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाएँ					
	101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनायें					
(55)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,616.48	1,616.48	1,616.48	432.04	(-)1,184.44
(56)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल	538.83	538.83	538.83	144.01	(-)394.82

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम					
	00					
	102 सामुदायिक विकास					
(57)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	3,577.59		3,901.59	2,409.33	(-)1,492.26
	पूरक	324.00				
(58)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	397.51		433.51	278.20	(-)155.31
	पूरक	36.00				
	2701 मध्यम सिंचाई					
	80 सामान्य					
	001 निदेशन तथा प्रशासन					
(59)	04 नलकूप, नहर, लिफ्ट योजना में लघु निर्माण कार्य					
	मूल	250.00		250.00	0.49	(-)249.51
	2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास					
	01 बाढ़ नियंत्रण					
	103 सिविल निर्माण कार्य					
(60)	02 बाढ़ सुरक्षा कार्यो हेतु					
	मूल	200.00		400.00	285.90	(-)114.10
	पूरक	200.00				
	3452 पर्यटन					
	80 सामान्य					
	104 प्रचार एवं प्रसार					
(61)	02 अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान					
	मूल	250.00		250.00	117.53	(-)132.47

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:					
	2202 सामान्य शिक्षा					
	03 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा					
	103 सरकारी विद्यालय एवं संस्थान					
(1)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	180.00	180.00	0.00	(-)180.00
(2)	95	केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
		मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	2203 तकनीकी शिक्षा					
	00					
	105 बहुशिल्प					
(3)	03	सामान्य पॉलिटेक्निक				
		मूल	38.16	38.16	0.00	(-)38.16
	112 अभियांत्रिकी/तकनीकी कॉलेज और संस्थान					
(4)	04	इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट (अल्मोड़ा)				
		मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य					
	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-चिकित्सा की अन्य प्रणालियाँ					
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना					
(5)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी					
	110 अस्पताल एवं औषधालय					
(6)	01	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
		मूल	0.01			
				1,071.01	0.00	(-)1,071.01
		पूरक	1,071.00			

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	2501		ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
			06 स्व-रोज़गार कार्यक्रम			
			102 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन			
(11)	01		केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
			मूल	25.65	25.65	0.00
						(-) 25.65
	2711		बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास			
			80 सामान्य			
			103 सिविल निर्माण कार्य			
(12)	03		अनुरक्षण			
			मूल	50.00	50.00	0.00
						(-) 50.00
			उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।			
	(vi)		आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:			
	2225		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
			02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
			001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	02		एकलव्य आवासीय विद्यालयों का संचालन			
			मूल	0.25		
					14.23	13.99
						(-) 0.24
			पुनर्वि०	13.98		
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 नवंबर 2023 को ₹ 10.86 लाख तथा दिनांक 20 फरवरी 2024 को ₹ 3.12 लाख की वृद्धि वृक्षारोपण तथा लघु निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			
	102		आर्थिक विकास			
(2)	01		केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
			मूल	800.00		
					964.05	964.05
						0.00
			पुनर्वि०	164.05		
			प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 29 मार्च 2024 को ₹ 164.05 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।			

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	277 शिक्षा					
(3)	05 कक्षा 1 से 10 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति और गैर-आवर्ती सहायता मूल			30.00	35.57	35.56 (-)0.01
	पुनर्वि०			5.57		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2024 को ₹ 5.57 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।					
	2235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण					
	02 समाज कल्याण					
	102 बाल कल्याण					
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल			1,219.79	1,219.79	1,328.93 (+)109.14
	03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम					
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना					
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल			802.06	2,786.22	2,752.17 (-)34.05
	पुनर्वि०			1,984.16		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 26 जून 2023 को ₹ 1321.37 लाख, दिनांक 21 दिसंबर 2023 को ₹ 79.21 लाख, दिनांक 28 जून 2023 को ₹ 3.18 लाख, दिनांक 22 दिसंबर 2023 को ₹ 571.34 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 241.95 लाख की वृद्धि अन्य विभागीय व्यय तथा सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 232.89 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।					
	2406 वानिकी और वन्य जीवन					
	02 पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन					
	110 वन्य जीवन संरक्षण					
(6)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश मूल			48.48	75.86	75.86 0.00
	पुनर्वि०			27.38		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2024 को ₹ 17.53 लाख तथा दिनांक 30 मार्च 2024 को ₹ 9.85 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी।					

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	--	------------	---------------	--------------------------------------

**पूँजीगत:
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 7355.93 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 184.84 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी ।
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2018-19	15,117.59	9,709.35	5,408.24
2019-20	13,221.59	9,777.38	3,444.21
2020-21	15,766.54	8,589.47	7,177.07
2021-22	21,407.23	11,918.13	9,489.10
2022-23	15,277.30	10,707.99	4,569.31

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

- (1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 2,901.36

पूरक 2,000.00 2,901.36 146.34 (-)2,755.02

पुनर्वि० (-)2,000.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 2000.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।

- (2) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल 321.71 321.71 16.26 (-)305.45

02 तकनीकी शिक्षा

104 बहुशिल्प

- (3) 03 राजकीय बहुशिल्प संस्थान (बालक/बालिका) हेतु भवनों का सुदृढीकरण/निर्माण

मूल 200.00 200.00 79.96 (-)120.04

क्रम. सं०	शीर्ष	अनुदान सं०	31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ					
	102 खेलकूद स्टेडिआ					
(4)	03 इंडोर हॉल एवं छात्रावास का निर्माण					
	मूल	100.00	100.00	82.79	(-)17.21	
	4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय					
	02 सीवरेज एवं स्वच्छता					
	106 मलजल सेवाएँ					
(5)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
	मूल	672.08				
	पूरक	74.30	746.38	245.86	(-)500.52	
(6)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश					
	मूल	74.67				
	पूरक	8.26	82.93	27.31	(-)55.62	
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय					
	02 अनुसूचित जनजातियों का वालफेयर					
	277 शिक्षा					
(7)	05 शासकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन					
	मूल	150.00	150.00	14.62	(-)135.38	
(8)	06 सरकारी आश्रम प्रणाली छात्रावासों में ढांचागत सुविधाओं का उन्नयन					
	मूल	300.00				
	पूरक	100.00	300.00	173.59	(-)126.41	
	पुनर्वि०	(-)100.00				
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 100.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।					
(9)	07 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण में बुनियादी सुविधाएं					
	मूल	150.00	150.00	126.36	(-)23.64	

क्रम सं०	शीर्ष	अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...			आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय		
	800 अन्य व्यय				
(10)	03 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ढांचागत सुविधा का विकास				
	मूल	500.00			
	पूरक	1,700.00	1,800.00	1,776.14	(-)23.86
	पुनर्वि०	(-)400.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 400.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।				
	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
	04 नलकूपों का निर्माण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(11)	02 नलकूपों का निर्माण				
	मूल	200.00	200.00	10.32	(-)189.68
	06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनाएं				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(12)	02 निर्माण कार्य				
	मूल	250.00	250.00	58.89	(-)191.11
	4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय				
	00				
	101 सतही जल				
(13)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,200.00			
	पूरक	1,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,000.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 1000.00 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।				
(14)	95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश				
	मूल	200.00	200.00	133.33	(-)66.67
	102 भूजल				
(15)	02 ट्राइबल विकास खंडों में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आर्टीजन कुपो का निर्माण				
	मूल	80.00	80.00	43.44	(-)36.56

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...				
	4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियंत्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
(16)	03 सिविल निर्माण कार्य			
	मूल	300.00	300.00	269.17 (-)30.83
	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय			
	04 जिला एवं अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(17)	02 नया निर्माण कार्य			
	मूल	10.00	10.00	1.89 (-)8.11
(18)	03 चालू निर्माण कार्य			
	मूल	2,850.00		
	पूरक	1,500.00	2,665.16	1,065.16 (-)1,600.00
	पुनर्वि०	(-1,684.84)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 1500.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी। दिनांक 31 मार्च 2024 को ₹ 184.84 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।			
(19)	04 पुल/सड़क/भवन के लिए भूमि अधिग्रहण			
	मूल	140.00	140.00	109.44 (-)30.56
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024)।			
(x)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	4202 शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
	02 तकनीकी शिक्षा			
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज और संस्थान			
(1)	03 इंजीनियरिंग कॉलेज घुडदौड़ी, पौड़ी को सहायक अनुदान			
	मूल	100.00	100.00	0.00 (-)100.00
(2)	05 इंजीनियरिंग कॉलेज गुडदौड़ी			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएँ			
	101 युवा हॉस्टल			
(3)	02 मिनी स्टेडियम / खेल मैदान			
	मूल	100.00	100.00	0.00
				(-)100.00
	04 कला और संस्कृति			
	800 अन्य व्यय			
(4)	02 अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए सांस्कृतिक भवनों/सामुदायिक केंद्रों का निर्माण			
	मूल	40.00	40.00	0.00
				(-)40.00
	4215 जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय			
	01 जलापूर्ति			
	102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(5)	02 हैण्डपम्प की स्थापना			
	मूल	133.00	133.00	0.00
				(-)133.00
	4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
	02 अनुसूचित जनजातियों का वालफेयर			
	794 जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	250.00		
	पूरक	10.00	172.46	0.00
	पुनर्वि०	(-)87.54		(-)172.46
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 10.00 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2024 को ₹ 77.54 लाख की कमी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण में हुई बचत के कारण की गयी ।			
	5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	104 प्रचार एवं प्रसार			
(7)	02 विशेष घटक योजना एसटी/एससी			
	मूल	200.00		
	पूरक	50.00	200.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		(-)200.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 50.00 लाख की कमी वृहद निर्माण में हुई बचत के कारण की गयी ।			
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (जून 2024) ।			

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाप्त.

क्रम. सं०	शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------	-------	------------	---------------	--------------------------------------

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए:

4210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान

105 एलोपैथी

(1) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 0.00

पूरक 0.01 4,550.01 4,500.00 (-)50.01

पुनर्वि० 4,550.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 4550.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

(2) 95 केंद्रीय पोषित योजना में राज्यांश

मूल 0.00

पूरक 0.01 510.01 501.32 (-)8.69

पुनर्वि० 510.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2023 को ₹ 510.00 लाख की वृद्धि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का एस0एन0ए0 में अंतरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

4515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

00

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(3) 03 मेरा गाँव, मेरी सड़क

मूल 186.42

पुनर्वि० 15.00 201.42 201.41 (-)0.01

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2023 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि वृहद निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गयी ।

परिशिष्ट- I

(सन्दर्भ - विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ सं०-xii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2023-2024 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अंत तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे :-

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(₹ हजार में)
1.	04	2014 - न्याय का प्रशासन	1,55
2.	06	2062 - सतर्कता	2,00,00
3.	11	2202 - सामान्य शिक्षा	8,28,88
4.	14	2220 - सूचना एवं प्रचार	1,81,41,62
5.	15	2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	30,35,03
6.	29	2401 - फसल कृषिकर्म	84,30
7.	28	2405 - मत्स्य पालन	2,30,83
8.	18	2425 - सहकारिता	5,36
9.	22	3054 - सड़कें तथा सेतु	3,05,00
10.	10	4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	25,00,00
11.	31	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 4225 -	62,37
12.	15	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय 4235 -	15,00,00
13.	28	मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय 4405 -	9,99,73
14.	19	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय 4515 -	29,86,08
योग			3,08,80,75

परिशिष्ट- II

(सन्दर्भ: - पृष्ठ सं० - xiii तालिका)

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट प्राक्कलन	
		राजस्व	पूंजीगत (₹ हजार में)
1	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें
2	17-कृषि फर्म एवं अनुसंधान	...	2
3	19-ग्राम्य विकास
4	25-खाद्य	...	2
5	29-औद्योगिक विकास	...	1
योग		...	5

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+) कम (-)	
राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत	राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
...	1,31,70,40	...	(+)1,31,70,40
...	28,97,87	...	(+)28,97,85
...	19,93,00	...	(+)19,93,00
...	12,74,41	...	(+)12,74,39
...	6,77,53	...	(+)6,77,52
...	2,00,13,21	...	(+)2,00,13,16

परिशिष्ट -III

[संदर्भ: - टिप्पणी (xiv), अनुदान-20]
उचंत लेन देन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल, 2023 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2023-24	31 मार्च 2024 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
2701-मध्यम सिंचाई						
उचंत स्टॉक	(-)93.53	(-)93.53
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)49.75	(-)49.75
कार्यशाला उचंत	(-)44.38	(-)44.38
योग	(-)187.66	(-)187.66
2702-लघु सिंचाई						
उचंत स्टॉक
विविध निर्माण कार्य अग्रिम
कार्यशाला उचंत
योग

परिशिष्ट -IV

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xiv), अनुदान 20]

उचंत लेन देन - सिंचाई - पूंजीगत प्रभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल, 2023 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2023-24	31 मार्च 2024 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)94.62	(+)94.62
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)111.18	(-)111.18
योग	(-)16.56	(-)16.56
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)35.76	(+)35.76
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)2.35	(+)2.35
योग	(+)38.11	(+)38.11
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)508.79	(+)508.79
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)12.00	(-)12.00
कार्यशाला उचंत
योग	(+)496.79	(+)496.79

परिशिष्ट -V

[सन्दर्भ: टिप्पणी (xiv), अनुदान-22]

उचंत लेन देन - लोक निर्माण विभाग

(₹ लाख में)

शीर्ष	1 अप्रैल, 2023 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2023-24	31 मार्च 2024 को अंत शेष (आदि + निवल - वसूली) (नामे +) (जमा -)
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(-) 953.97	(-) 953.97
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,704.58	(+) 2,704.58
योग	(+) 1,750.61	(+) 1,750.61

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/en>

